

जो कठोरी (गिरवी). धरिके सामग्री आई सो तो भोग श्रीठाकुरजी आप ही के द्रव्यको आरोगे सो आप ही को भयो. जो श्रीठाकुरजीको द्रव्य खायगो सो मेरो नहीं अरु मेरो सेवक भगवदीय होयगो सो देवद्रव्य कबहू न खायगो. जो खायगो सो महापति होयगो. मर्ते न प्रवृत्तये भोजन करिवेको अपनो अधिकार न हतो. वाके प्रिय आनन्दकुंजवासी श्रीठाकुरजी पधरायो.

— पुष्टिसिद्धान्तप्राकट्यकारी महाप्रभु श्रीवल्लभ (चरुवार्ता ३).

(प्रथम उपकरण)

वैष्णवे सेवा, भगवद्सम्पन्न, भगवद्धर्म इनमें पाखंड न करने. और काहुके दिखायवेके अर्थ, पुजा अर्थ, उद्धारार्थ न करे. आपनो सहज धर्म जानें, जैसे ब्राह्मण गायत्री जपे. लाभ संतोषसु सेवा करे... और विवेक बिना पुजा सेवा करे तो नर्कमें पड़े, और पाखंडीकी पूजा, सेवा प्रभु अंगीकार न करे... अपने सेव्यस्वरूपकी सेवा आपुही करनी. और उत्सवादि समय अस्सारा अपने वित्त अनुसार वस्त्र, आभुषण, भोगातिथिके मनोरथ करि सामग्री करनी... सो रीतिप्रमाण यथाशक्ति करनी. जो द्रव्य होय सो श्रीकृष्णके अर्थ लगावना, कृपणता नहीं करनी.

— पुष्टिसिद्धान्तपालनकारी श्रीवल्लभ गोकुलनाथजी (१४ पाखंडनामृत : ६ तथा १०).

(३)

...श्रीठाकुरजी पधरायके सेवा करन लागी. सुत कांतीके निर्वाह चलावे. हरहमेश अढाई आने कमावे तासों निर्वाह आनंदसों चलावे. तब एक दिन एक वैष्णवने रुपीआ पांच देके कह्यो— आज श्रीठाकुरजीको आछी भांतसों आरोगावो. तब श्रीठाकुरजीके लिये बहोत प्रकाके व्यंजन किये, छेऊ रसको राजभोग धरे. पीछे श्रीको अनोसर किये. तब श्रीठाकुरजी किशोरीबाईसों कहे— मोकुं भुख लागी है. तब किशोरीबाईने कह्यो— आज बहोत सामग्री आरोगाई है, तब भुखे क्यों भये? तब श्रीठाकुरजी कहे— आज तैने पराई सत्ता धाराई है, सो मैं नहि आरोग्यो. तातें वैष्णवको पराई वस्तु अंगीकार न करावनी.


— पुष्टिसिद्धान्तपोषणकारी श्रीवल्लभ (कामवनवाले) (६९ वचनामृत : ५३)

गोरवामी श्यामकलोहर

सेवा ए जाहेर कार्य के जाहेर प्रवृत्ति नहीं परतु सेवा ए पोताना अंतर्किक जीवन साथे संबंध धरावती होवाथी ते आपणा जीवननी आपणा निजी घरमां थती स्वधर्मरूप प्रवृत्ति छे... पोताना माथे बिपजता स्वरूपनी सेवा वगैरेपो पोताना अंगत धर्माचरण तरीके ते ते बालकोनो ज अधिकार अने कर्तव्य छे.

— अघुना पुष्टिसिद्धान्तविनाशार्थ विमर्शकारी श्रीवल्लभ (सुतवाले)

(पुष्टिने शीतल छांयडे : भाग १ पृ. १५८).



मेरे किसी भी गोस्वामिबन्धुद्वारा देवद्रव्यके उपभोग या देवलकतावृत्ति को करनेपर न तो मुझे एक रुपया कम मिल रहा है और न इस असद्वृत्ति कोई छोड़ देगा तो मुझे एक भी रुपया ज्यादा मिलने लग जायेगा. श्रीमहाप्रभुके दिव्य सिद्धान्तोंको घोषित करनेपर लोग कटुसत्यभाषी या हितभाषी कहकर मेरी प्रशंसा करें या पुष्टिमागीं जनताको बरगलानेवाला कहकर मेरी निन्दा करें; इससे भी मुझे कोई अनर्थ नहीं पडता!

मुझे जो पुष्टिमागींय सिद्धान्त जिस रूपमें समझमें आवे हैं वह मेरी समझ सच है या गलत यह तो श्रीमहाप्रभु-प्रभुचरण-सत्तात्मज-पौत्र-प्रपौत्रादिके प्राचीन ग्रन्थ ही निर्णय कर सकते हैं!

उन दिव्य सिद्धान्तोंको मेरे गोस्वामिबन्धु माने-कहें-अनुसरें या न मानें-न कहें-न अनुसरें; मुझे उनसे क्या लेना-देना है — ऐसी "जानन्तु ते किमपि तान्प्रति नैष यत्नः" की उपेक्षामयी अहंता मेरे भीतर है नहीं. पुष्टिमागींय चलनेवाले प्रत्येक सहपथिकके प्रति उन्हें सहयात्री माननेकी अपेक्षामयी वयंता ही मुझे अधिक सुहाती है!

इसलिये कहता रहूंगा, कहता रहूंगा और कहता ही रहूंगा; श्रीमहाप्रभुके दिव्य सिद्धान्त जैसे इस वर्ष कहता रहा वैसे ही आगामी वर्षोंमें भी, जैसे इस जन्ममें कह रहा हूँ वैसे ही आगामी जन्मोंमें भी!

भूल जिन जाय मन अनत मेरो!

— गोरवामी श्यामकलोहर



प्रकाशक-प्रातिस्थल :
गोस्वामी श्याममनोहर
६३, स्वस्तिक सोसायटी,
४था रास्ता, जुहु स्कीम,
पारले, मुंबई-४०००५६.

प्रति : ५०००.

प्रकाशनवर्ष : वि.सं.२०४९.

श्री पी.कुंभनानीभाईके आर्थिक सहयोगसे
तथा

चि.असित, चि.विपुल तथा चि.मनीष के मुद्रणोपयोगी सहयोगसे

निःशुल्कवितरणार्थ

मेरे दादाजी(नित्यलीलास्थित गोस्वामी श्रीदीक्षितजी महाराज)के मुखसे
मैंने प्रमेयरत्नार्णव, सव्याख्य षोडशग्रन्थ, अवतारवादावलीके प्रायः सभी
वाद तथा अंशतः निबन्ध-भाव्यादि ग्रन्थोंका अक्षरशः पांकतालापनकी
प्रक्रियासे श्रवण-मनन किया था. वह मेरे प्रति उनकी सहज कर्तव्य-
बुद्धिप्रेरित वात्सल्याभिव्यक्ति थी. ऐसी कि उसके बारेमें मुखरित
होना भी अनावश्यक ही हैं. फिर भी वक्तृत्व-पाण्डित्य-
निरुपधि-भगवद्भजन-भगवत्कथा-रूप आचार्योंचित्तधर्मके
अक्षुण्ण निर्वाहक प्रातःस्मरणीय नित्यलीलास्थित
श्रीगोविन्दरायजी(सुरत)फूफाजीके यादृच्छिक
सान्निध्यमें मैंने श्रुताधीत सिद्धान्तोंके दर्शन-
निदिध्यासनका दुर्लभ लाभ यदा-कदा प्राप्त
किया था. आज उन्हीं दोनों गुरुचरणोंको
मैं मेरा यह ग्रन्थ समर्पित करता हूँ,
साभिवन्दन!



विनीत

गोस्वामी श्याममनोहर

आनुभवगतिका

आनुभवदर्पण

इसके अन्तर्गत आलोच्य 'विमर्श' ग्रन्थके लेखकोंकी पूर्वधारणा, पूर्वस्वीकृतियों तथा पूर्वचरणों की पृष्ठभूमिमें अधुना प्रकटित ग्रन्थकी एकवाक्यताकी परीक्षा की गई है.

सेवाप्रकरण

(I) पुष्टिमागीय भगवत्सेवाका प्रामाणिक स्वरूप : श्रीमहाप्रभुविरचित सिद्धान्तमुक्तावलीस्थ वचनके आधारपर 'विमर्श'की विशेषनिका

(II) सिद्धान्तमुक्तावलीकारिकाओंके अष्टादि विभागपूर्वक श्रीप्रभुचरणविरचित विवृति-व्याख्याकी 'विमर्श'कत अपसिद्धान्तपूर्ण विवृति-व्याख्याकी विशेषनिका. इसी तरह वित्तदान तथा वित्तपरिग्रह के अनेकविध शास्त्रीय स्वरूपोंकी विवेचनाके सन्दर्भमें सेवार्थ वित्तदान तथा सेवार्थ वित्तपरिग्रह के 'विमर्श'कत अपसिद्धान्तोंकी विशेषनिका

(III) उल्लिखित अष्टादि विभागोंपर प्रभुचरणोत्तर-कालीन विभिन्न व्याख्याकार, नामतः, श्रीगोकुलनाथजी, श्रीकल्याणरायजी, श्रीपुरुषोत्तमजी, श्रीवल्लभजी, श्रीब्रजनाथजी, श्रीलालुभट्टजी, श्रीद्वारकेशजी, श्रीविठ्ठलरायजी, तथा श्रीनरसिंहलालजी द्वारा की गई व्याख्याओंके आधारपर 'विमर्श'कत अपसिद्धान्तोंकी विशेषनिका

(III) उपसंहार

पश्चिम

१-१८

१-५६

१-५

५-३३

३३-५४

५४-५६

५६-५८

॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥

॥ श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः ॥

आनुभव-दर्पण

स्वेपु पुष्टिकरं कारादैव्यबुद्धितमस्करम् ।
नमस्करोगि तं श्यामं सुन्दरं मत्प्रियंकरम् ॥

(१) सेवोपदेशदीक्षा (२) सेवास्वरूप (३) सेवाप्रदर्शन (४) सेवाप्रयोजन (५) सेवास्थल (६) सेव्यस्वरूप (७) सेवार्थ आजीविका (८) सेवाकर्ता-सेवापरिचायक (९) सेवापदेष्टा (१०) भागवतकथा (११) स्वसेव्यस्वरूप-प्रसादग्रहण (१२) तीर्थपर्यटन (१३) आचार्यवचनाशय-निर्धारणप्रकार.

ये वे मुद्दे हैं जिनपर दि. १०-१३ जनवरी १२ विश्वकर्मा बाग पार्ले, मुंबई में आयोजित पुष्टिसिद्धान्त-चर्चासभामें परिचर्चा होनी थी. एतदर्थ स्वमार्गिय मूलग्रन्थोंमें से सभानुवाद 'सिद्धान्तवचनावली' विचारार्थ प्रस्तुत की गई थी. प्रदत्त भवानुवादके समर्थनमें मूलाचार्यवचनसे प्रारम्भ कर प्राचीन ग्रन्थकारों तथा अर्वाचीन गोस्वामिमहानुभावों के भी विधानोंको 'अमृतवचनावली' नामसे संकलित किया गया था. आचार्यवचनाशय-निर्धारणप्रकारके अन्तर्गत प्रामाण्यव्यवस्था सुनिर्धारित थी कि सर्वमूल श्रीमहाप्रभुसे प्रारम्भ कर अपनेसे एक पीढी ऊपर स्थित पूर्वजतक जिस अर्थमें एकवाक्यता मिलती हो उससे विपरीत अर्थके ऊहको प्रामाणिक नहीं माना जायेगा. अपनेसे पूर्वपीढीके भी किसी महानुभावका उनकी पीढीसे पूर्वके ग्रन्थकारोंके अभिप्रायसे विपरीत वचनको प्रामाणिक नहीं माना जायेगा. एतदर्थ भेरे द्वारा उपस्थापित भावार्थके बारेमें भेरेसे पूर्वपर पीढीके अनेक गोस्वामी महानुभावोंके विधानोंकी अमृतवचनावलीमें एकवाक्यता प्रदर्शित की गई थी. इसके अन्तर्गत पू. पा. गो. श्रीब्रजलाललालजी महाराजश्री (सूत) तथा इनके पौत्र गो. श्रीबालकृष्णलालजी तथा गो. श्रीवल्लभरायजी के वचन भी संकलित थे...

... परंतु अक्षय्य कालक्षेप करवा देनेकी कूटनीतिके कारण उक्त चर्चासभा किसी निर्णायक बिन्दुतक पहुँच न पाई. फिर भी चर्चासभाके तीसरे दिन उस सभामें श्रीहरिराय(जामनगर)का अपना पक्ष क्या है यह वे स्पष्ट शब्दोंमें घोषित नहीं करते तो मैं (गो. श्या.म.) भाग नहीं लूँगा, ऐसी स्पष्ट घोषणा करनेपर कई गोस्वामी महानुभावोंके अघोषित प्रतिनिधि गो. वि. श्रीहरिरायजी (जामनगर) को सरोप-सखेद उनके द्वारा ग्रहीत पक्ष घोषित करने ही पड़े! चर्चासभाकी संपूर्ण कार्यवाहीकी उतारी गई ओडियो-वीडियो केसेटके आधारपर तैयार किया गया विवरण 'विस्तृत विवरण' नामसे प्रकाशित करवा दिया गया.

चर्चा जिस मुकाम तक पहुंच पायी उससे और आगे बढ़ानेके लिए 'संक्षिप्त विवरण' नामसे एक पुस्तिका पहले ही प्रकाशित करवा दी थी. अतः उन सारी बातोंका अब पिछेपेघण अनावश्यक ही है.

फिर भी सिंहावलोकन विधिसे इनके उल्लेखका प्रयोजन यह है कि चर्चासभाके तीसरे दिन पक्षग्रहणकी प्रक्रियाके अनन्तगत गो. श्रीहरिरायजीको जो भी कुछ स्वीकाराना पड़ा वह उन्हें अपना अधोषित प्रतिनिधि बनानेवालों द्वारा अपनायी हुई भावत्सेवाप्रणालीसे तथा स्वयं श्रीहरिरायजी द्वारा भी अपना-रखी भावत्सेवाप्रणाली से भी सर्वथा विरुद्ध जानेवाली बातें थी. लिहाजा रात्रिको संवादस्थापकमण्डलके अनेक सदस्योंकी उपस्थितिमें धरपर आकर गो. श्रीहरिरायजी परिचर्चाको स्थगित करनेका अनुरोध करते हुए समझाने लगे कि कैसे पूर्वनिर्धारित संवाद बोलकर सभामें मुझे तथा श्रीहरिरायजीको परस्पर सहमति प्रदर्शित कर देनी चाहिये. एतद्दर्थ मेरे अनुद्यत होनेपर श्रीहरिरायजी समझाने लगे कि कैसे स्वमार्गका अहित हो जायगा. तिसपर मैंने यह सुझाव दिया कि स्वस्वपक्षनिष्पण ही इस चर्चासभाका मुख्य प्रयोजन था, सो पूर्ण हो जानेके कारण चर्चा स्थगित की जाती है ऐसे घोषित किया जा सकता है. गो. श्रीहरिरायजीने इसपर, कोई उन्हें परजित न मान ले यह आशंका प्रकट की. तिसपर मैं संवादस्थापकमण्डल और श्रीहरिरायजी एकमत हुए कि चर्चाको अनिर्णीत घोषित किया जाये. तदनुसार चतुर्थ दिन घोषित भी करवा दिया गया था. निरर्थक भाषणोंके द्वारा चतुर्थ दिनकी कार्यवाहीको यथाकार्यचित् सम्पन्न किया गया. परन्तु बादमें पू. पा. तिलकायत महाराजश्री तथा पू. पा. गो. श्रीब्रजलालजि महाराजश्रीने संयुक्त हस्ताक्षरोंसे अंकित अभिनन्दनपत्र श्रीहरिरायजीको प्रदान कर दिया. उसमें यह उल्लेख किया गया कि श्रीहरिरायजीने सभामें जो सिद्धान्तपक्ष स्थापित किया वह उचित तथा भूशिरः प्रशंसनीय है!

इससे क्षुब्ध होकर संवादस्थापकमण्डलके सदस्योंने उस सभाकी कार्यवाहीमें व्यवधानार्थ आपत्ति प्रस्तुत की, जब अभिनन्दनपत्र गो. श्रीवल्लभरायजी वीडियो केमरेके सामने पढ़ कर सुना रहे थे. बादमें श्रीहरिरायजीको घेर कर मेरे पर लाया गया. ऐसे नाटककी क्या आवश्यकता थी यह मैं पूछ पाऊं उससे पहले श्रीहरिरायजीने कहा कि पूर्वसूचना दिये बिना बडोंने यह कृत्य किया है, जिनका अनादर वे कर नहीं पाये. तब मैंने कहा कि कोई बात नहीं, यह अभिनन्दन किसी तरहकी निर्णायकताका प्रमाण नहीं है ऐसे आशयका पत्र हम दोनों तथा संवादस्थापकमण्डलके सदस्योंके ही हस्ताक्षरोंसे अंकित कर रख लेना चाहिये. वह हीरार किया गया और बादमें समाचारपत्रोंमें मुझे प्रकाशित भी करवाना पड़ा, क्योंकि इसके बाद अभिनन्दनपत्र पानेकी सुशर्मां अभिनन्दनपत्र पानेकी सभाओंके सचित्र वृत्तान्त समाचारपत्रोंमें प्रकाशित होने लगे!

फिर तो सर्वथा निराधार अनर्गल और जनताको बरालानेवाले निवेदनोंका समाचारपत्रोंमें तांता लग गया. विवशतया मुझे भी अपने स्पष्टीकरण देते रहनेको बाधित होना पड़ा. स्वाभाविकतया मार्गिक हितैषियोंका इस आन्तरिक कलहको सार्वजनिक बनानेकी कूटनीतिसे दुःखी होना उचित ही था. वैसे सभामें मुझे ही प्रायः कोसा था कि वह सब मैं कर रहा था, क्योंकि परदेके पीछे खेले जाते खेलेसे सभामें अवगत हो जानेकी सुविधा उपलब्ध नहीं होती. कई लोग कहते हैं—इस विवादको आपसमें मिल-बैठ कर सुलझाना चाहिये.

परन्तु एक हकीकत यह भी है एतद्दर्थ सर्वप्रथम मैंने पू. पा. गो. श्रीतिलकायत महाराजश्रीसे उनकी अध्यक्षतामें गोस्वामिओंकी एक बैठक आयोजित करनेकी विनती की थी, क्योंकि ग्रन्थस्थ सिद्धान्त कुछ और हैं, व्यवहारमें कुछ और न्यायालय कुछ तीसरी ही बात हमारे सिद्धान्तोंके बारेमें मान कर चलते हैं. तिसपर पू. पा. तिलकायत महाराजश्रीने मुझे कहा कि नाथद्वाराके मुकद्दमेंके सुप्रीम फैसलेको बदल पाना अब शक्य नहीं है अतः जो-जैसा कुछ निता है उससे वे सन्तुष्ट हैं; तथा मेरे जैसे गोस्वामिओंकी इसके कारण जो कठिनाईयां हैं उन्हें वे गोस्वामी स्वयं सुलझा पायेंगे ऐसी शुभकामना रखते हैं. इसके बाद स्वमार्गमें ज्ञानव्योवृद्ध पू. पा. श्रीब्रजलालजि महाराजश्रीकी अध्यक्षतामें सभामें गोस्वामिओंकी एक बैठक बुलाई जाये ऐसी प्रार्थना पू. पा. महाराजश्रीसे मैंने की. तदनुसार पू. पा. महाराजश्रीके यहां मुंबईके यदुनाथजीके मंदिरमें सभा आयोजित हुई. इस सभामें उपस्थित सभी गोस्वामिमहानुभाव एक संयुक्त घोषणापत्र द्वारा स्वमार्गीय भावत्सेवा आदि विषयोंसे सम्बद्ध सिद्धान्त एवं परम्परा का सुस्पष्ट निर्देश दे यह प्रस्तावित था. किसी कारणवश यह शक्य न हो पाये तो एक वैकल्पिक उपाय सिद्धान्तविपरित सेवा-मनोर-दर्शन-प्रसाद-कथाने आयोजनोंमें सहयोगी न बनने के आत्मनिर्णयको घोषित करनेवाला एक शपथपत्र भी तैयार किया गया था.

सखेद, परन्तु, यह स्वीकारना पड़ता है कि पू. पा. श्रीब्रजलालजि महाराजश्रीने उस सभामें सम्मिलित होना न जाने क्यों उचित नहीं समझा! उस गोस्वामिओंकी बैठकसे एक दिन पहले मेरे धरपर गो. श्रीकल्याणरायजी पधारे थे उन्हें शपथपत्रका प्रारूप पढ़ कर मैंने सुनाया था और सैद्धान्तिक दृष्टिसे जो अनुचित हो उसका निर्देश देनेकी विनती की. पर्याप्त धीरजसे पढ़ कर उन्होंने कहा कि सभी कुछ ठीक ही है. तब मैंने अनुरोध किया कि आपसे भी हस्ताक्षर इसपर हो जायें तो अच्छा! इतना सुनते ही श्रीकल्याणरायजी चुपचाप मेरे हाथसे खिसक गये. दूसरे या तीसरे दिन गोस्वामिओंकी बैठक सुलझवालोंकी पूर्वोक्त हवेलीमें हुई जिसमें श्रीकल्याणरायजी तो अनुपस्थित थे

परन्तु श्रीबालकृष्णलालजी उपस्थित थे. उपस्थित गोस्वामिओंमें वयसा ज्येष्ठ श्रीगोविन्दरायजी(पोखन्दर) थे सो उनकी अध्यक्षतामें बैठक सम्पन्न हुई. संयुक्त घोषणापत्रका प्रारूप पढ कर सुनाया गया, एक प्रति श्रीबालकृष्णलालजीको भी दी गई थी. तब सभी महानुभावोंने निरपवाद सहमति प्रदान करते हुए अपने-अपने हस्ताक्षरोंसे उसे अंकित किया जिनमें श्रीबालकृष्णलालजी तथा उक्त बैठकके अध्यक्ष श्रीगोविन्दरायजी(पोखन्दर) के हस्ताक्षर भी थे ही.

बादमें अध्यक्ष तथा स्वयं के हस्ताक्षरोंसे अंकित एक स्पष्टीकरणका छोटा पुरजा श्रीबालकृष्णलालजी तथा श्रीकल्याणरायजी भेरे घरपर ले कर आये कि उक्त बैठकमें सुप्रीम कोर्टमें रीव्यूपिटिशनमें जानेके एक निर्णयके अलावा अन्य किसी भी निर्णयके साथ उनकी सहमति न मानी जाये -ऐसा स्पष्ट उल्लेख था. लिहाजा संयुक्त घोषणापत्रगत अध्यक्ष महोदय तथा श्रीबालकृष्णलालजी के हस्ताक्षरोंपर भैंने व्हाईटनर लगा दिया. तब श्रीबालराज पुनः तो उभर नहीं आयेगे! तब भैंने आश्रय लिया यदि उभरे भी तो उन्हें पुनःपुनः व्हाईटनरके प्रयोग द्वारा बंकता रूंगा! तिसपर श्रीबालराजाने कई वैष्णवोंकी उपस्थितिमें कहा कि सिद्धांततया तो हमें सभी कुछ मान्य है परन्तु जब तक कोई दूसरा व्यवसाय चारपांच वर्षपर्यन्त जम नहीं जाये तब तक भावस्तेवार्थ परिवर्तन न लेनेका दुराग्रह करना उचित नहीं होगा. यह सुन कर मैं तो समुपस्थित वैष्णवोंसमेत हतप्रभ हो गया! श्रीकल्याणरायजीने, तिसपर, यह खुलासा दिया था कि ऐसा कहनेसे तो हम देवलक सिद्ध हो जायेंगे. सो श्रीबालराजाने तब श्रीकल्याणरायजीको ही कैसे कहना यह मुझानेका आग्रह किया. तिसपर श्रीकल्याणरायजीने कहा कि ऐसे कहना चाहिये कि हमें तो सभी सिद्धान्त मान्य हैं परन्तु अपनी अवयस्कतामें क्योंकि हमारे पितामह (पू. पा. श्रीब्रजलालजी महाराजश्री) वणिग ट्रस्टियोंके मार्गदर्शनाधीन रहे थे अतः उनकी मनेवृत्ति सिद्धान्तशुद्ध नहीं है, परन्तु बड़ोंकी आज्ञाके निश्चय हम क्या कर सकते हैं! तब श्रीबालराजाने भी इस खुलासाके साथ अपनी सहमति-संगुष्टि प्रदर्शित की... बादमें निजहस्ताक्षरोंपेट एक पत्र (दि. २२-१०-८६), संयुक्त घोषणापत्रगत “विना ब्रह्मसम्बन्ध दिये भी अपने घरमें भगवत्सेवाकी छूट तो है ही” वाक्यके अलावा सारेके सारे संयुक्त घोषणापत्रगत विचारोंको योग्यतया मान्यता प्रदान करनेवाला, प्रेषित किया गया था. उल्लेखनीय है कि उसमें स्वगृहस्थित भगवत्स्वरूपकी भावसंगोपनात्मिका अव्यावसायिक-अपौरुहित्यात्मिका स्वतन्त्रविपरिजनविनियोगात्मिका सेवाका सिद्धान्त ही प्रस्तुत हुआ था. इस तरह बन्द दरवाजोंमें आपसमें विवाद सुलझानेके प्रयासोंकी प्रभावहीनताका सुस्पष्ट प्रमाण वह है कि अधुनाप्रकाशित सेवा-देवद्रव्यादिविधर्ममें

इन्हीं दोनों श्रीबालकृष्णलालजी तथा श्रीकल्याणरायजी के नाम भी जुड़े हुए हैं! अस्तु.

विश्वकर्मा बाग पार्ले-मुंबईवाली सार्वजनिकसभामें मैट्रदार प्रदत्त सिद्धान्त वचनावलीके भावानुवादके साथ अपनी असहमति तथा गोस्वामी श्रीहरिरायजीके द्वारा ग्रहीत पक्षकी भूरिभूरि प्रशंसा करनेवाले श्रीवल्लभरायजी भेरे छण्डनार्थ एक जबरदस्त ग्रन्थ लिखनेवाले हैं - लिख रहे हैं - लिख लिया है - प्रकाशित करवा देंगे - प्रकाशित हो गया है - पोहर हाउसमें अनावरण भी हो गया है —ऐसी कर्णोपकर्ण बातें सुनाई देती रही और ग्रन्थदर्शनालालसा मेरी तीव्रसे तीव्रतर होती चली गई. परसों (९-९-९२) के दिन सहसा वह जब भेरे हस्तगत हुआ तो भेरे विस्मय की कोई सीमा नहीं रही! क्योंकि इस ग्रन्थका वास्तविक कर्ता कौन है यह जान पाना भी दुष्कर परीक्षण हो गया!

मुखपृष्ठपर पू. पा. श्रीब्रजलालजी महाराजश्रीका नाम ऐसे छपा है मानों वे इस ग्रन्थके कर्ता हो. भीतर प्रकाशकीय-सर्वाधिकारसूक्ष्मापृष्ठपर पू. पा. महाराजश्रीके नामके साथ तीन ओर नाम जुड़े हुए मिले. यथा (१) गो. श्रीबालकृष्णलालजी (२) गो. श्रीकल्याणरायजी तथा (३) गो. श्रीवल्लभराय दीक्षित. पू. पा. महाराजश्री नामके साथ प्रकाशित आमुझको पढनेपर तो अचंभेमें डाल देनेवाली कई बातें सामने आती है. अतएव उस आमुझके कुछ उल्लेखनीय अंशोंपर दृष्टिगत क लेना उचित होगा.

“...वर्तमान शताब्दीमें साम्प्रदायिक ग्रन्थोंके यथावत् अध्ययनाध्यापनकी परम्परा उच्छिन्नप्राय हो जानेसे तथा तत्पक्षपाती विद्वानोंकी संगति नुर्लभ हो जानेसे अनेक विषयोंमें सन्देह एवं भ्रान्ति व्याप्त हैं. इस स्थितिको देखते हुए सेवा-देवद्रव्य आदिके विषयमें वास्तविक तथ्यको विदित कर उसे कहीं लिपिवद्ध कर देना आवश्यक प्रतीत हुआ. तदुत्सार हमने उपलब्ध प्रमाणोंके आधारपर इस ग्रन्थमें सेवा देवद्रव्यादिके विषयमें विचारोंको स्वान्तःसुखाय लिपिवद्ध करवाया है... उपलब्ध प्रमाणोंके आधारपर ग्रन्थका प्रणयन किया गया है. अतः अन्य प्रमाणोंके उपलब्ध होनेपर ग्रन्थके द्वितीय संस्करणमें आवश्यक परिवर्तन एवं परिवर्धन किया जा सकता है... हमारे पूर्वके लेखन एवं वक्तव्यको इस ग्रन्थके अविरोधसे ही ग्रहण करना चाहिये. यह हमारा निवेदन है... ग्रन्थ में कुल ९ प्रकरण हैं - (१) कृष्णसेवा प्रकरण (२) देवद्रव्य प्रकरण (३) देवलक प्रकरण (४) ट्रस्ट प्रकरण (५) भावसंगोपन प्रकरण (६) सेतिहास ब्रह्मसम्बन्ध प्रकरण (७) मंत्रविक्रमाशंकातिरसन प्रकरण (८) गुरुशिर्यानिर्गम प्रकरण (९) भागवतकथा प्रकरण. इनमेंसे प्रारम्भके पांच प्रकरण ग्रन्थके पूर्वार्धमें आते हैं, अवशिष्ट चार प्रकरण उत्तरार्धमें आयेगे...”

पुष्टिसिद्धान्तचर्चासभाके तेरह मुद्दोंमेंसे कुछ कुछ मुद्दे यहां परिगृहीत हुए हैं। जो छूट गये हैं उन्हें “अप्रतिपिद्धम् अनुमतं भवति” न्यायके अनुसार मान्य समझना अथवा “अनावश्यकम् उपेक्षणीयं भवति” न्यायके अनुसार उपेक्षणीय समझना यह भी समझमें नहीं आया। सन्देहनिराकरणार्थ प्रवृत्तियोंमें सन्देहजनक विधानोंका होना यानि स्पष्टताका अभाव होना या तो अनुभवहीनता या किसी दुराव-छिपाव की वृत्तिको प्रकट करता है।

पू. पा. महाराजश्री सम्प्रदायमें न केवल ज्येष्ठतम वयोवृद्ध अपितु विद्याध्याव्यायतयोवृद्ध भी हैं ही। अतः कमसे कम मेरा अन्तर तो गवाही नहीं देता कि सेवा-देवद्रव्यादि जैसे महत्त्वपूर्ण तथा बहुधा चर्चित विषयमें साम्प्रदायिक ग्रन्थगत कोई भी प्रमाणवचन अपनी आयुके इस भागमें भी इस तरह अनुपलब्ध रह गये हों कि उन्हें विदित करके लिपिबद्ध करने पड़े! सो भी इस भीति और संशयात्मता के साथ कि अन्य प्रमाणवचन उपलब्ध होनेपर इस ग्रन्थमें परिवर्तन-परिवर्धन भी किया जा सकेगा! अपने पूर्वलेख एवं पूर्ववक्तव्यों को इस ग्रन्थसे अविरोधसे लेनेके पू. पा. महाराजश्रीके निवेदनमें भी अन्तिमेत्येके सु-काकुकी जगह पूर्वकालीन लेखन-वक्तव्योंके बारेमें अज्ञान संशय भ्रान्ति अथवा मिथ्याभाषण का दैन्य और इस वक्तव्यमें अनिश्चयात्मकता अर्थात् संशयात्मकताकी मनोवृत्ति इस आमुखके पू. पा. महाराजश्री द्वारा लिखित होनेके दावेपर एक प्रश्नचिन्हका धब्बा सा लगा देती है!

प्रकाशकीय पृष्ठपर प्रथम तीन नाम ही “जी”कार सहित प्रयुक्त हुए हैं, केवल “श्रीवल्लभराय दीक्षित” “जी”कारसहित प्रयुक्त हुआ है। कहीं इधरमें आमुखकी प्रामाणिकतापर लगे प्रश्नचिन्हका गूढ़ उतर तो ध्वनित नहीं हो रहा!

उल्लेखनीय है कि आमुखके ये शब्द - “हमने लिपिबद्ध कराया है” भी ग्रन्थकर्ता, ग्रन्थनिर्माणप्रेरक, अथवा निर्मितग्रन्थशाशंसक होनेमेंसे किस अर्थमें प्रयुक्त हुआ है यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है।

मुखपृष्ठपर उल्लिखित पू. पा. महाराजश्रीके नामसे उनका ग्रन्थकर्ता होना ध्वनित हो रहा है। उसे मानकर चलनेपर पू. पा. महाराजश्रीके द्वारा नडियादके केसमें दी गई जुबानी तथा हालमें श्रीहरिरायजी(जामनगर)को दिये अभिनन्दनपत्रके कारण खड़े होते नैतिक उत्तरदायित्वसे छटकनेकी कूटनीति प्रकट होती है। इसी तरह प्रकाशकीय पृष्ठोल्लिखित “श्रीबालकृष्णलालजी - श्रीवल्लभराय” नामोंके साथ ग्रन्थकर्तृत्वको जोड़नेपर इन दोनों महानुभावोंद्वारा “पुष्टिमे शीतल छांयडे” ग्रन्थोंमें दिये उतरोंसे तथा संयुक्त घोषणापत्रके समर्थनाथ गो. श्रीबालकृष्णलालजी द्वारा मुझे लिखे गये पत्रोंके नैतिक उत्तरदायित्वसे छटक जानेकी कूटनीति खेली जा रही है ऐसा लगता है!

बहुत सम्भव है कि हाल ही में जैसे नाशिकमें हमारे चचेरे भाई श्रीब्रजधारीराजीको उकसा कर उनसे स्वमागणिय सिद्धान्तोंके विपरीत यद्वा-तद्वा अनर्गल वक्तव्य दिलावा दिये गये और यहां पुष्टिसिद्धान्तचर्चासभा पार्ले-मुंबई में, जब इस तथ्यकी ओर ध्यान आकृष्ट किया गया, तब भरी सभामें यह कह कर श्रीवल्लभरायजी कतरा गये कि नाशिकमें वे न तो अध्यक्ष थे, न मुख्य वक्ता; और न प्रेरक ही! अर्थात् “वृद्धास्ते न विचारणीयविषयाः” न्यायानुसार श्रीवल्लभरायजी तो केवल अहोवादादाता ही थे! अतएव कहा गया है : “जने विद्वानेकः सकलमभिसन्धाय कपटैः तटस्थः स्वानर्थान् घटयति च भ्रौं च भजते.”

कर्तृगुण-प्रहेलिकार्यें “गौरीनखरसादृश्यश्रद्धया शशिनं दधौ इहैव गोप्यते कर्ता वर्षेणापि न लभ्यते” तो काव्यकुशलता प्रकट करनेको लिखी जाती रही हैं परन्तु सम्पूर्ण ग्रन्थ ही कर्तृगुण लिखनेमें विमर्शकुशलताकी जगह भावकुटिलता ही अधिक प्रकट होती है।

पुष्टिसिद्धान्तचर्चासभा पार्ले-मुंबई में भी यही कुटिल नाटक खेला गया था। जान करके चर्चासभाके सारे नियमोंको ताकपर रख उन्हीं विषयोंको छेड़ा गया कि जिनका जवाब, पू. पा. महाराजश्री - जो सभास्थलके बाहर स्वेच्छया कारणों ही बिराजे रहते थे - की मौजूदगीमें देने या न देने दोनों ही स्थितियोंका भरपूर लाभ उठाया जा सके, बड़ोंकी अवहेलनाका बहाना बना कर! अन्याया शान्त चित्तसे समझनेकी बात थी कि श्रीबालकृष्णलालजी, श्रीकल्याणरायजी तथा श्रीवल्लभरायजी को चर्चासभामें बेरोकटोक पधारकर अनर्गल बातें बोलनेसे भी रोक नहीं गया। स्वयं श्रीवल्लभरायजीको पू. पा. महाराजश्रीका लिखित वक्तव्य पढ़नेके ब्याजसे संवादस्थापकमण्डलके नवयुवक सदस्योंके प्रति दिल खोल कर विषयमन भी करने दिया ही गया था। तो पू. पा. महाराजश्रीके सभा पधारनेसे और अधिक क्या होना जाना था? जबकि संवादस्थापकमण्डलके सदस्योंको तो पता भी नहीं था कि पू. पा. महाराजश्री कब पधारना चाहते थे और क्यों नहीं पधारे! वास्तवमें तो स्वयं श्रीकल्याणरायजीके कहनेपर पू. पा. महाराजश्री नहीं पधारे। उन्हें बोलनेके अवसरसे वंचित रखे जानेका रोषवेदनापूर्ण वक्तव्य, क्या कारण था कि स्वयं श्रीकल्याणरायजीको पढ़नेको नहीं दिया गया? और क्यों श्रीवल्लभरायजीको ही दिया गया? सो भी श्रीकल्याणरायजीसे कारण पूछे बिना ही!

मैंने जब श्रीकल्याणरायजीसे अनर्गल विधान करते श्रीवल्लभरायजीको रोकनेको कहा तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्हें जो कुछ कहना है, कह लेने दो, बादमें खुलासा कर दूंगा। क्या खूब यह साधी हुई मिलिभागत थी! सो श्रीकल्याणरायजीने बादमें खुलासा दे दिया कि समयाभाववश श्रीकल्याणरायजी पू. पा. महाराजश्रीको

केवल न अनेकी ही सूचना दे पाये थे और कोई खुलासा दे नहीं पाये और श्रीवल्लभरायजी क्योंकि इस तथ्यसे वाकिफ नहीं थे सो... सो बस हो गया न सारा खुलासा!

प्रतीत होता है वही चक्कर यहां भी चलाया जाना है कि पू. पा. महाराजश्रीके नामपर ग्रन्थ छपा दो ताकि लोग इसकी महत्ता पू. पा. महाराजश्रीके नामानुसार स्वीकार लें! भविष्यमें जब भी बात बदलनी हो तो "आज्ञा गुरुणा मविचरणीया" भी कहा जा सकेगा. अन्यथा वृद्धजनोकी अवहेलनाका बावला तो चर्चासभाकी तरह मचाया ही जा सकेगा।

परन्तु भगवत्कृपासे पार्लेकी चर्चासभामें भी अधिकांश जनता इस नाटकको बराबर भांप गईं सो मनोवांछित सफलता नहीं मिली. अतएव अनिर्णीत चर्चासभामें सिद्धान्तपक्ष स्थापित करनेका निर्णायक प्रमाणपत्र श्रीहरिरायजीको प्रदान करवाकर प्रतिशोध लिया गया. उसमें भी "तवाथि च ममार्थं च" की एक कूटनीति और वापरी गई थी. श्रीहरिरायजीके अनुज काशीकी गादीपर गोद गये हैं - जाहिर है कि षष्ठपीठकी दावेदार काशीकी भी गादी है. सो पू. पा. तिलकायत महाराजश्री तथा श्रीहरिरायजी दोनोंको, अभिनन्दनपत्रपर षष्ठपीठाधीश्वरकी हैसियतमें, सहस्रताक्षरकतकि रूपमें फंसा लिया गया। प्रकाशित ग्रन्थके '१२६वें पृष्ठपर स्वीकारा गया है - "...निरूपधि" यह विशेषण दिया है, जिसका अर्थ है फलकी आकांक्षा एवं कपटता से रहित. श्रीहरिरायजीने भी कहा है "तस्य सेवां प्रकुर्वीत यावज्जीवं स्वधर्मतः न फलार्थं न भोगार्थं न प्रतिष्ठाप्रसिद्धये" तदनुसार निरपेक्षरूपसे सेवा कर्तव्य है यह निश्चित होता है."

यह सद्योग्रहीत पक्ष भविष्यमें कितने समय तक टिकेगा यह भी देखनेका विषय है.

क्योंकि नडियाद केसकी जुबानी में पू. पा. महाराजश्रीने यह स्वीकारा था कि कांकरोली अर्थात् तीसरे घरके उपग्रहमें वे श्रीगिरधरजीके वंशज हैं. ऐसी स्थितिमें ठाकुरजी श्रीबालकृष्णलालजीको षष्ठनिधि मान भी लिया जाये तो स्वप्रतिश्रुत तृतीय गृहान्तर्गत उप (३/२) गृहमें श्रीगिरधरजीकी वंशजताके पक्षको छोड़ कर षष्ठनिधिके दावेको अपनी षष्ठपीठाधीश्वरतामें पर्यवसित करना और उसकी प्रसिद्धिके लिये मिथ्या मनोरथ-स्तोत्रादिका आयोजन क्या 'प्रतिष्ठाप्रसिद्धये' षष्ठनिधिसेवन नहीं है? भूलना नहीं चाहिये कि प्रस्तुत ग्रन्थके १६०वें पृष्ठपर यह स्वीकारा गया है कि अपने लाभ एवं अपनी पूजा के लिए की जानेवाली भगवत्सेवा ही धर्मशास्त्रतः निषिद्ध प्रकारकी देवतकत्वापादिका भगवत्सेवा है. इससे यह सिद्ध हो जाता है कि षष्ठनिधिकी सेवाका आधिदैविक लाभ लेनेके लिए सुतकी हवेलीको 'षष्ठपीठ' नहीं कहा जा रहा है, परन्तु

अपनी षष्ठपीठाधीश्वरता पूजाकी अभिवृद्धिके लिए अपने सेव्यस्वरूपको 'षष्ठनिधि' कहा जा रहा है. अन्यथा मिथ्या मनोरथों-स्तोत्रोंद्वारा "इतिश्रीयदुनाथगृहोद्भव" विशेषणोंको प्रचारित करनेकी क्या आवश्यकता? नाशिकके आयोजनमें वि. श्रीवागीशकुमार भी आये थे उनके नामोंकी घोषणाके साथ 'तृतीयपीठ'का उल्लेख तो नहीं हो रहा था. पू. पा. महाराजश्रीकी विद्यमानतामें जबकि श्रीवल्लभरायजीके नामके साथ उनके षष्ठपीठके साथ जुड़े होनेका उल्लेख निरन्तर होता रहा (मेरे पास इसकी कैसेट मौजूद है)! इससे सिद्ध होता है षष्ठनिधिके लिए षष्ठपीठाधीश्वरता नहीं है बल्कि षष्ठपीठाधीश्वरत्वेन पूजाभिवृद्धयर्थं स्वसेव्यस्वरूपकी षष्ठनिधिता घोषित की जा रही है.

जैसे पूजाभिवृद्धयर्थं भगवत्सेवनका यह नम्रताण्डव है, वैसे ही आजसे करीब सित्तर-अस्सी वर्षपूर्व आर्थिकलाभार्थं स्वसेव्यके षष्ठनिधित्वका झण्डा जानबूझ कर खडा किया गया था. वह प्रमाण भी द्रष्टव्य है :

"सात स्वरूप निमित्ते काढेली सेवा श्रीठाकुरजीनी के गुसांईजी महाराज बालकोनी ?

लखनूर दरबार श्रीकरणसिंहजी ठाकोर साहेब एक परम वैष्णव छे... राजकोटमें एकठा महाराजश्रीना दर्शनार्थे गयेला... जेमां तिलकायितश्री बिराज्या हाता. आ मेलावडामां लखतला दरबार श्रीकरणसिंहजी ठाकोर साहेबे पण हाजरी आपी हती. आ प्रसंगेने लाभ लई पोताना मनमां घणा वखतथी घोळाले प्रश्न पुष्टिमार्गना श्रेष्ठमां श्रेष्ठ गादीनशीन तिलकायित महाराजने नम्रताथी अने बिनयथी विनंतीरूपे रजु कर्वा... 'सात स्वरूपनी सेवा अने भेट श्रीठाकुरजीनी के श्रीगुसांईजीना सात बालकोनी, वैष्णवोए समजवी?' हसता मुखावदिदधी अने मनप्रसन्नथी उत्तर तिलकायितश्रीए आप्यो के 'ते सेवा अने भेट सात स्वरूपो एटले श्रीगुसांईजीना सात लालजीओना घरनी गादीए बिराजता टिकेर श्रीगोस्वामी बालकोने अर्पण करवामा आवे छे तेम समजनुं. ए सेवा अने भेट श्रीठाकुरजीने अर्पण थयेली छे एम मामनुं नहीं.' (श्रीगुड्डालाजी संस्था द्वारा प्रकाशित "पुष्टिमार्गना वैष्णवोने खास, तेमज धर्मविलासीअने सामान्यपणे जाणवा अने मनन करवा जेवा धर्मना विषयोनुं टीपण अथवा संग्रहस्थान" पृष्ठ ५२-५३ ले. प्रका. काशीदास नारणदास दलाल. प्रका. वर्ष : संवत् १९७४).

"आवी रीते हवेली अने तेमां बिराजता स्वरूपो अने तेने लागती स्वावर-जंगम

मिलकतो महाराजोनी खानगी मिलकत होवाथी श्रीराजकोट मुकामे तिलकावितश्रीए आपलो जवाब रास्त गणाय अने ते सेवा अने भेट स्वरूप-श्रीठाकुरजी-नी मानो के जेम्ने माथे ते बिराजता होय तेम्नी मानो पण छेवटे सरवाळो एकसरीओ छे एम कही शकाय. परन्तु सुरतनी गादी साधे शेरगढवाळी गादीनी श्रीबालकृष्णजीने लीधे तकरार छे ते तरफ जोतां ए सरवाळो कामनो नथी. एमां तो गंभीर सवाल ए छे के जो ते ठाकुरजीना निमित्ते कढायेली होय तो ते ठाकुरजीनी कहेवाय अने ज्यां ते स्वरूप बिराजतुं होय त्यां वैणजोए मोकली देवी जोईए. पण जो सेवाभेट छड्डा बालकनी, ऊपर जणावेला तिलकावितश्री गोवर्धनलालजीना अभिप्राय प्रमाणे, थती होय तो ते शेरगढवाळा महाराजने छड्डा घटना तिलकावित तरीके तेम्ने मळवी जोईए...

सुरतवाला तरफथी घणी दलीलोमांनी एक एवी दलील होय एम जणाय छे के श्रीहरियजी महाराजे एक नमन श्लोकमां आ स्वरूपने छड्डा घटना श्रीजदुनाथजीना कही नमन करुं छे... उक्त श्रीहरियजीना वहुजी महाराजे धोळ बनाव्या छे तेनुं एक लघुपुस्तक हमोने खास आ तकरार माटे वांचवासाए आपवामां आच्युं छे. तेमांना एक धोळमां लख्युं छे — 'जोडी हाथने कहे छे जदुनाथजीरे लोल, मन कस्या छे हमारे तो श्रीनाथजी रे लोल, कृपाणुग्रहथी श्री आप पधरावीआ रे लोल, श्रीबालकृष्णजी हमारे मन भावीआ रे लोल, त्यारे प्रसन्न थडिने तात मन घणुं रे लोल, स्वरूप पधराव्युं श्रीकल्याणरायजी तणुं रे लोल...' आ धोळ सुरतवाला महाराजश्रीना घरमांथी गुजरातीमां प्रकट करवामा आच्युं छे... सुरतनी हवेलीमां सेवाविधिनुं एक. हस्तलिखित पुस्तक छे तेमां चैत्र सुद ६ ने दिवसे आ छड्डा लाल श्रीजदुनाथजीना उत्सवने जणाव्यो छे. ते दिवसे केसरी वखो एवे प्रसंगे धाराववा जोईए तेने बदले श्याम (काळी) चुंदडी धराववी एवुं लख्युं छे. आ शुं सूचवे छे?... शेरगढवाला महाराजश्री गिरधरलालजी ए स्वरूप ऊपर कोई प्रकाराने हक के दावो धरावता नथी एम एमनुं खुल्ला शब्दोमां हमो प्रत्ये बोलवुं थ्युं छे... एमनी तकरार एटली ज छे के तेओश्री जणावे छे के सात स्वरूपनी सेवा अने भेट वैणजो तरफथी मले छे तेमां छड्डा घटने मलती सेवा भेट लेवानो, तिलकावित तरीके हक तेम्नो ज छे अने सुरतवाला महाराजश्रीने ते लेवानो हक नथी... सुरतमां हाल बिराजता महाराजश्री गो. श्रीब्रजलालजीना फर्ड... श्रीजसोदा बेटीजीए 'सात स्वरूपोनी कहाडी भेट तथा मनोरथ भेट नी व्यवस्था बाबत सप्रमाण विवेचन' ए नामनुं

लघुपुस्तक संवत १९६५ मां छपावेलुं छे' (वर्ही पृष्ठ ५९-६३).

उस लघुपुस्तकके आद्यन्त पृष्ठोंकी प्रतिलिपि :

२४

अधरथ बांधी संशय दूर-करे-अने-वृत्ताथं थाये.

—श्रीनाथछे—

श्रीनाथभूषे! विनये

सात स्वरूपेपानी कांछाडी सेट तथा

मनोरथ सेटनी व्यवस्था

प्यालत सप्रमाण

विवेचन.

ठपानी प्रसिद्ध करवारे—

सुरतवाला श्रीब्रजलालजीना वाली

श्रीबरीछा. वेदीछा भद्राचामी आछामी

तेमन हस्तीये—

संवत-१९६५ अदिच्छा १

ब्रिजिनसेठ आछामी

अभूषण—

उ पुस्तकावत श्लोकमे तेने सुल्ल वेदलनुं मळवळ न होय तेम्ने वीसुंमांनं वेदलनुंमांनं अणुए वीरनुंमांनं भद्राचामय भेटींमांनं वना भावनी अने ते आभयवती बावी धमती सुल्ल प्यवावी पंचेय वने.

श्री वैष्णोवना साननाथ.

श्रीधरीछा वेदीछा भद्राचामी आछामी छपाचकार.

तेमना हस्तीयेन लखवत रमणुं.

विनंती.

आ वेधमांनी करं हडिक सुल्लवना श्रीभद्रपुण्यल भद्राचामय वेदीन भद्राचाम श्रीवेद्या विधिने जेनि श्रीभग-नवल्लभ भद्राचामना सुवीर लखवामा श्रीब्रजलालजीना वाली हस्ती ठेवेलुं थयेनुं अस्वीकृत करीने वैष्णोवए हण हरीने नीसडी हरी हस्ती वने ए उभय करं हणं पुणं मयु अने छापना आपण माटे कांठ मिलेन मळती ते उभय तेमन पतिन भोगवणवत थो अने ते हडिक कापि न्यायिथोथी पेलवत श्रीभग वरदां मयुं लोख हडिने चेतो वेवत करुं कांठ पतिनी हस्तीमांनं उपवती श्याम वट्टे पणुं भोगवणवत सपरे अनेपिने हस्तीनी नीपिनी आ तीप येवत लने तेम तासोती छपनिने वैष्णोने मूल वरुं वना आसा हरी चोथी अ-मिओ आ संतं छापल्यो छे तेमां ए अणुवृत्तापीनी दीव यडं छे. सुल्ल वैष्णोये हणम करेरे.

—

उपुणुं

हणं हरी ते हणं

हणं भद्राचामे. छे' माटे हडि हडि

निकरवने हणमांनं नही मी.

श्रीभद्रपुण्यल एवम वना

आ डि पयुं वेधमांनं.

आलोच्य ग्रन्थके पूर्वोद्धत आमुखमें लिखा गया है — 'वर्तमान शताब्दीमें साम्प्रदायिक ग्रन्थोंके यथावत् अध्ययनाध्यापनकी परम्परा उच्छिन्नप्राय हो जानेसे...'. इस शब्दावलीद्वारा पाठकके हृदयमें ऐसा आभास प्रकट करनेका प्रयास किया गया है कि आलोच्य ग्रन्थके विधान या निष्कर्ष साम्प्रदायिक ग्रन्थोंके यथावत् अध्ययनाध्यापनकी परम्परामें दीक्षित व्यक्तिक्रान्त किये गये हैं. अतः हमें थोडा सा यह भी देखना है कि अन्य परम्पराओंको थोडी हदके लिए भूल कर भी केवल सूतके घरसे भूतकालमें क्या-क्या विधान-प्रशंसा-निष्कर्ष प्रकट हुए थे! यदि उन सभीसे विरुद्ध विधान तथा निष्कर्ष इस ग्रन्थमें प्रकट हुए हों तो सिद्ध हो जाता है कि प्रस्तुत ग्रन्थमें भी जैसे ग्रन्थगत सिद्धान्त परम्परा

अधीत या अध्यापित थे उनसे नितान्त विरुद्ध ही है !

नडिबाद के केसमें पू. पा. श्रीब्रजराजलालजी महाराजजी द्वारा दी गई साक्षी दि. २-४ नवंबर ४६ (का हिन्दी अनुवाद)

पू. पा. म. श्री : निवेदनों स्वयंके स्वत्व की निवृत्ति नहीं होती होनेसे स्वयंके उपयोगमें उन वस्तुओंको लिखा जा सकता है. निवेदनोंमें स्वत्वकी निवृत्ति होती नहीं यह बात श्रीब्रजराजराजजी स्पष्ट रीतिये समझाते हैं. अतः जो प्रभुको अर्पित की गई वस्तु धन बन जाता शीतम तो हमें उन्हें उपभोगमें लानेकी आज्ञा श्रीमहाप्रभुजी दे नहीं सकते (पृष्ठ ५) सम्प्रदायके अनुसार किये गये समर्पणमें अर्पण की गई वस्तु अर्पणकताक पार रहती हैं.

वकील : आपके कथनानुसार वैष्णवद्वारा श्रीठाकुरजीको जो मिल्कत अर्पण की जाती है उसपरसे उस (वैष्णव) की मालिकी हट नहीं जाती. क्या यह सच है ?

पू. पा. म. श्री : वैष्णवके घरमें बिराजते ठाकुरजीके बारेमें पूछा जा रहा है कि गुरुके घर बिराजते श्रीठाकुरजीको उद्देश्य कारके यह प्रश्न है ?

वकील : यह प्रश्न श्रीठाकुरजी वैष्णवके घर बिराजते हैं या अन्य कोई वैष्णवके घर बिराजते हैं, श्रीगोस्वामी बालकके यहां बिराजते हैं, पुष्टिभार्या मंदिरमें बिराजते हैं, अर्थात् जहांजहां पुष्टिभार्या स्वरूप बिराजते हैं उनके बारेमें है.

पू. पा. म. श्री : गोस्वामी बालकके घरमें बिराजते स्वरूपोंको वैष्णव अर्पण कर ही नहीं सकते. परन्तु गुरुओंको ही भेट दी जाती है. अतः वहां देनेवालेकी

सेवा-देवब्रह्मविद्यमार्ग तथा से. दे. बि. सासंलग्न ग्रह क्रोडपत्रसहित

फलाकांक्षा एवं कायस्थ को छोड़कर अपने समस्त द्रव्यका प्रभुके लिए विनियोग करना विचित्रा सेवाका स्वरूप है. तब जिस प्रकार भगवत्सेवामें विनियुक्त करने हेतु पतिद्वारा प्रदत्त द्रव्यसे सामग्री लाकर प्रभुको अंगीकार करनेमें पत्नीकी तनुजा सेवामें बाधा नहीं तथा पतिको भी उस द्रव्यको देनेमें उसकी विचित्रा सेवामें बाधा नहीं, उन्हीं प्रकार एक वैष्णवद्वारा भगवत्सेवामें विनियुक्त करनेके हेतु दूसरे वैष्णवको सामग्री दिये जानेपर प्रभुद्वारा उस सामग्रीका अंगीकार होनेमें बाधा नहीं होनी चाहिये. तब किशोरीबाईकी बातमें यह उल्लेख कैसे आया ? "...यामें यह जताये जो वैष्णवको अतीक सत्ताकी सामग्री अपने श्रीठाकुरजीको आरोग्यावनी नालीं. और कछू वैष्णवकेसे लेके श्रीठाकुरजीके विनियोग न करवाने, जो श्रीठाकुरजी अंगीकार न करे."

उत्तर : "तसिद्वयै तनुवितया" की व्याख्यामें समागत पंक्तियां मानसीकी साधिका तनुजा, विचित्रा कौन है व कौन मानसीकी साधिका नहीं है यह बतलाने आयी हैं. किशोरीबाईकी बातमें समागत पंक्तियां भगवान्के लिये दूसरे द्वारा प्रदत्त सामग्रीको अंगीकार करनेके निषेधमें हैं, अतः दोनोंका प्रतिपाद्य विषय भिन्न है.... यह निगम सार्वत्रिक है अथवा संकुचित ? सार्वत्रिक यदि हो तो इतनी प्रकार भगवत्सेवामें विनियुक्त करने हेतु गुरुको शिष्य द्रव्य नहीं दे सकते हैं तथा न तो गुरु शिष्यको द्रव्य दे सकते. पतिद्वारा प्रदत्त सामग्रीको पत्नी प्रभुको अंगीकार न करवै. पुत्र अपने पिताकी सम्पत्तिका प्रभुसेवामें विनियोग न करे इत्यादि आरंभियों आती हैं... प्रकृतमें किशोरीबाईको जिस वैष्णवने ठाकुरजीके लिए सामग्री दी है वह किशोरीबाईके पतिवाक्या है या शिष्य है इसमें कोई प्रमाण नहीं. (पृष्ठ १०-११).

मालिकी रह नहीं जाती... और वहां 'अर्पण' नहीं परन्तु 'भेट' बाचर जाता है. खुलके घर (अर्थात् एक वैष्णवके घर) कोई स्वरूप बिराजता हो तो उस स्वरूपको अपने उपयोगमें लानेसे पहले अर्पणकताका स्वत्व रहता है... 'भेट' और 'अर्पण' ये दोनों प्रयुक्त हैं. भेट करनेपर देनेवालेका स्वत्व निवृत्त होता है और देनेवालेका स्वत्व वैद्य होता है. और समर्पण करनेपर देनेवालेका स्वत्व कायम रहता है. अतः दोनों एक अर्थमें कही दो बातें नहीं...

वकील : साम्प्रदायिक किसी भी मन्दिर कि जिसमें गो. बा. हों वा न हों ऐसे किसी भी मंदिरमें श्रीठाकुरजीकी सेवामें के लिए वैष्णव भेट घर सकते हैं वा नहीं अथवा जिन मंदिरमें गो. बा. हों उन्हीं नहीं दे सकते ?

पू. पा. म. श्री : कहीं भी नहीं (पृष्ठ : ४, ८, तथा १८).

[यहां तुलनीय है कि परम्परा अधीत ग्रन्थभिन्नप्रय में पू. पा. महाराजजीने समर्पण और भेटका पृथक्करण निरूपित किया था. एक वैष्णवद्वारा अपने गुरुको जब भेट की जाती है तब वहां शिष्यके स्वत्वकी निवृत्ति स्वीकार थी. गुरुके ठाकुरजीको वैष्णव अर्पण नहीं कर सकते थे यह भी स्वीकार था. अर्पण करनेपर स्वत्वकी निवृत्ति नहीं होती यह भी स्वीकार था; जैसे पतिपत्नी वा मातापिता-सन्तति के अविभक्त स्वत्ववाली सम्पत्ति अर्पणार्थ देनेपर स्वत्वनिवृत्ति नहीं होती. ये सारे पूर्ववर्णित सिद्धान्त परम्पराधीत थे अथवा अधुनाप्रकाशित सिद्धान्त ? यदि पूर्ववर्णित तो अधुनाप्रकाशित अपरम्पराधीत अपसिद्धान्त हैं. और यदि अधुनावर्णित सिद्धान्त तो यह कौन सी विचिन्न परम्परा है जो पुनरुज्जीवित हुई है ! -इसका खुलासा देना पड़ेगा.

यह ठीक है कि पहले कहीं सारा बातोंको इससे अविरोधसे लेने की शर्त रखी गई है. परन्तु पूर्वस्वीकृति या इस ग्रन्थके बीच किसी एकको अज्ञान वा स्वार्थ से प्रेरित स्वीकारना होगा. इसमें सच क्या यह तो प्रत्येकका ही बता पारेंगे !

(गो. श्याम)]

ता. २-१२-८० के दिन श्रीब्रजराजलालदास परीक्षकृत पुस्तकार्थ प्रदत्त आशीर्वाचनमें पू. पा. महाराजजी आज्ञा करते हैं - "आ पुस्तक अमे साद्योपान्त वांची गया छीए अने अमने लायुं छे के पुस्तक सामान्य शिक्षित वैष्णवने पण लीतानुभावन करवा माटे अति उपयोगी थई पडरो. पुस्तकमां ज्यां आवश्यक सुधार करवा जगाया ते अमें करव्या छे. आवुं सुंदर पुस्तक प्रकट थवाथी अमने घणो आनन्द धाय छे."

साम्प्रदायिक ग्रन्थोंके यथावत् परम्पराधायनप्राप्त बोधके अनुसार सेवाद्वैविध्य है या सेवान्तैविध्य एतद्विषयक ऊहापोहके सन्दर्भमें यहां एक मजेदार वदंतोव्याधात उभर कर आता है :

श्रीब्रजराजदासभाई परीक्षकृत पुस्तक, जो. पू. पा. महाराजश्रीद्वारा अभिनन्दित है ...पोतुं पर ब्रज-गोकुल छे अने परमां ज्यां श्रीजकोजी विराजे छे त्वां होंशे-होंशे पहेंकी जई, श्रीशोदामैथानी आज्ञा लई, श्रीबालकृष्णतालने लाड लडावीए छीए तेवी भावनाथी चितने सेवामा जोड़वुं, अधवा नंदारायजीना आपणे पाडोगी छीए, श्रीशोदामैथायए श्रीबालकृष्णने कृपा करीने थोडो समय खेलाववा आया छे. तेमने आपणा घेर पधारी लाववा छीए —तेवा ब्रजभक्तना भावधी चितने सेवामां जोड़वुं... श्रीमहाप्रभुजी सेवामा मुख्य बे प्रकार बतावे छे (१) साधनरूपा सेवा (२) फलरूपा सेवा. साधनरूपा सेवा शरीर अने इन्द्रियना विनियोगद्वारा धाय छे. ते जातेज गोपीजननी भावनाथी प्रेमपूर्वक-दीनताधी काली जोड़वुं. स्वामर्गनी रीते कलवी. कल्पित प्रकारे न करवी... आम शरीर अने द्रव्य द्वार सेवा कर्तांकतां भावावलकृपाथी न्यारे मन एकाग्र थई तल्लैन थई जाय त्यारे मानसी सेवा जे फलस्वरूप छे ते आपोआर सिद्ध थाय छे. (पृ. ११-१२).

इस तरह हम देख सकते हैं कि सन '८० तक सेवाके जो दो ही प्रकार थे वे कहनेको वैसे यहां तीन हुये हैं परन्तु शान्त चित्तसे विचारनेपर केवल तीन नहीं रह जाते हैं. यह कैसी वज्रना स्वामार्गीय सिद्धान्तोंके साथ की जा रही है! यथा —

- (१) केवल स्वतनु केवल स्वचित द्वारा सम्पन्न मानसीसाधिका सेवा (उदाहरणतया अधिकांश निष्ठागील वैष्णवोंद्वारा अनुष्ठित).
- (२) स्वतनुविसहकृत परतनुद्वारा सम्पन्न क्रीता मानसीअबाधिका वित्तजा सेवा (उदा. स्वसिद्धान्त-निष्ठाबोधरहित देवलकमोहित प.भ.धनिकोंद्वारा अनुष्ठित).
- (३) स्वतनुविसहकृत परवित्तद्वारा सम्पन्न विक्रीता मानसीअबाधिका तनुजा सेवा (उदा. कतिपय गो.महाराजों तथा अनोध अकिंचन भावुक वैष्णवद्वारा भी अनुष्ठित).
- (४) स्वतनुविसाहकृत परवित्त-परतनुद्वारा क्रीता-विक्रीता मानसीअसाधिका नामैकरणीका सेवा (उदा. गो.बालकोंके नाममात्र स्वामित्ववाली — कलोल, भरुक जैसी सूतकी — हवेलीओमें अनुष्ठित).

सेवा-देवद्वयादि विमर्श तथा से. दे. विमर्शासंसंग कौडयत्रसहित ऐसी स्थितिमें फलरूपा और साधनरूपा इस प्रकारसे गणना करनेपर सेवा दो प्रकारकी होती है. मानसी, तनुजा और वित्तजा इस प्रकार सेवामा गणना करनेपर सेवा तीन प्रकारकी होती है. "अन्तसेवासाधने इतरे इत्याहुलनिति" ऐसा श्रीप्रभुचरणने लिखा है... इस वाक्यमें दिवचनका प्रयोग होनेसे तनुजा और वित्तजा इस प्रकारसे साधनरूपा दो प्रकारकी निश्चित होती है. अतः मानसी, तनुजा और वित्तजा इस प्रकार तीन प्रकारकी सेवा मनःकल्पित नहीं किन्तु प्रामाणिक है (पृ. ८१).

वित्तको वेतनके रूपमें देकर दूसरे पुरुषके द्वारा करायी गयी एक. वित्तको वेतनके रूपमें ग्रहण कर की हुई सेवा दूसरी "एताहुर्यो ते तत्साधिके न" — ऐसी दोनों सेवामें मानसीकी साधिका नहीं. सांशः क्रीत तनुजा और विक्रीत तनुजा मानसीके साधन नहीं यह कहना अनिष्ट है. अतएव सेवामा मूल्य देकर सेवा कराना संबंध निश्चित नहीं. सेवामा मूल्य देकर करायी गयी सेवा द्रव्यदाताकी वित्तवा सेवामें अन्तर्गत होगी अतः वलोर द्रव्यदाताको तनुजा सेवा कराना आवश्यक है. (पृ. ५-६).

(५) परवित्तद्वारा सम्पन्न विक्रीता मानसीअसाधिका होनेपर भी अनिषिद्धा तनुजा सेवा (उदा. 'पुष्टिसिद्धान्तसंक्षेपशिरोमणि' त्वसाधिका!).

(६) परतनुद्वारा सम्पन्न क्रीता मानसीअसाधिका होनेपर भी अनिषिद्धा वित्तजा सेवा (उदा. देवलकव्यामोहित अधिकांश वैष्णव जनता जिसे आज परमार्थ समझती है).

इस तरह तीनकी जगह छह प्रकार की अनिषिद्ध सेवामें अब अकस्मात् परम्पराधीत-ग्रन्थ-निष्कर्षतया 'इन्द्रान्ते श्रूयमाण' हो रही हैं!

वैसे प्रातःस्मरणीय नि.ली.श्रीगोविन्दरायजी, जो स्वामर्गीय सिद्धान्तोंको निष्ठापूर्वक जीनेके एक मूर्तिमान आदर्श थे, उनके वचनानुसृत इस सन्दर्भमें अतीव मनीष्य हैं. वे आज्ञा करते हैं — "पूर्ण पुरुषोत्तमका ही भजन यह (स्वतः पुरुषार्थरूप) भक्ति है. इस लोककी या परलोककी किस्ती भी फलसाराके बिना प्रभुमें अपने चित्तको जोड़ देना, तत्त्वण... श्रुतिमें किया गया है. ऐसी सभी श्रुतियोंके आशयको लेकर श्रीमहाप्रभुने सिद्धान्तमुक्तावलीमें "कृष्णसेवासद कायां मानसी सा परा मता, चेतस्तत्रयमं सेवा तत्सिद्धये तनुवित्तजा" इत्यादि का समावेश किया है. (श्रीगोविन्दप्रभुकर २४ वचनानुसृतगत ८वे वचनानुसृतका हिन्दी अनुवाद)

कहां तो फलांकाशाहितताके सन्दर्भमें तनुवित्तजा सेवामें निहायेकी उनकी भक्तिमयी दृष्टि और कहां उनकेद्वारा सुपाठित होनेपर भी उनके ही आत्मजोंकी 'तनुवित्तजा'के दिव्यैक्यको भंग करके स्वसेव्य प्रभुकी सेवार्थ परवित्त एतैनेकी वकालतकी वृत्ति! अस्तु भगवदिच्छा!

कुल मिला कर बात यही है कि अधुनाप्रकटित ग्रन्थोक्त बातें यदि परम्पराधीत सिद्धान्त होता तो श्री आर.के.भट्टकी 'श्रीमद् वल्लभाचार्यके दार्शनिक आचार की परम्पर' पुस्तकका पुनःप्रकाशन क्यों किया गया? वह भी श्रीगोविन्दप्रभु ट्रस्ट (सुरत) द्वारा 'उज्ज्वलतमणि' तथा प्रातःस्मरणीय नि.ली.श्रीगोविन्दरायजी द्वारा प्रकाशित होनेके उल्लेखके साथ क्यों यह पुस्तक प्रकाशित की गई? भट्टजीके इस पुस्तकको 'अत्युत्तम' कहकर बिरदानेवाले सुतके धरके षडपीठके दावेमें मौन रहनेवाले पू.पा.तिलकान्यतश्री को क्या खुश करने के लिए? क्या श्रीबालकृष्णजी-श्रीकल्याणरायजी-श्रीवल्लभरायजी अपने पितृचरणको परम्परया अधीत नहीं मानते? और यदि यह विरुद्ध न हो तो द्रष्टव्य है कि इस ग्रन्थके पृष्ठ ११८-११९ पर यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि सेवार्थ धन लेना (तनुजा सेवा) या देना (वित्तजा सेवा) दोनों ही वर्जित प्रकारकी सेवा है. गुरुके सेव्य स्वरूपको नहीं प्रत्युत गुरुको ही जो भेट धरनी हो सी वैष्णवोंको धरनी चाहिये. सार्वजनिक देवालयेके प्रकारसे अर्थोंको दर्शन कराना इस ग्रन्थमें

सिद्धान्तविरुद्ध बात मानी गई है. (द्रष्टव्यः पृष्ठ ७४-७५, ११२-११३ तथा ११८-११९).

अब परन्तु लगता है कि स्वजनक-श्रीगोविन्द-शुभप्रशस्त 'उज्ज्वलमणि' उनके आत्मजोंकी धारणाके अनुसार घृतिधूसरित या स्वार्थविरुद्धकर्मलित हो गई है. अन्यथा यह नयी परम्परा अकस्मात् कहांसे प्रकट हो गई? अन्यथा उनके तीनों आत्मज अपने उज्ज्वलमणिप्रशंसक पितृवर्णकी परम्परसे विरुद्ध परम्पराके साथ अपना नाम कैसे जोड़ पाते!

अहमदाबादवाले प्रातःस्मरणीय नि.ली.श्रीगणेशोदलालजीके वचनामृतोंका तो दो बार सुरतसे प्रकाशन हुआ, बावजूद इसके कि ४८४ तथा ४८७ वें वचनामृतोंमें स्पष्ट उल्लेख किया है कि "... अपने यहां भी सन्मुख भेट जो होती है वह देवद्रव्य है और उसे सामग्रीके काममें नहीं लाया जाता. श्रीगोकुलनाथजी और श्रीचन्द्रमाजीके घरमें तो अभी भी यह नियम पाला जा रहा है... हम श्रीनाथजीके सन्मुख जो भेट धरते हैं वह श्रीमहाप्रभुजीके पादुकाजीको धरते हैं तो भी उसे अलंकारादिमें वापरा जाता है, सामग्रीमें नहीं. सन्मुख भेट धरनेमें बहोत अनाचार होता है (४८४). श्रीठाकुरजीके निमित्त कुछ भी मांगना नहीं चाहिये या कुछ भी देना नहीं चाहिये. इस रीतिसे प्राप्त द्रव्य देवद्रव्य बनता है. श्रीठाकुरजी उसे अंगीकार नहीं करते अतः वह सामग्री महाप्रसाद बनती नहीं और लेनेवालेकी बुद्धि बिगड़े बिना रहती नहीं (४८७)."

लगता है परम्परा अर्थात् सिद्धान्त इन वचनामृतोंके प्रकाशनके समय विस्मृत हो गये होंगे!

वैसे एक हकीकत यह भी है कि इन वचनामृतोंकी मूल प्रतिमें स्पष्टतम शब्दोंमें लिखा था: "छठे घरके श्रीकल्याणरायजी हैं. श्रीयदुनाथजीकी आसवित्ता यह स्वरूप है. और उन्होंने चुपचाप इनकी सेवा की थी. उन्होंने श्रीबालकृष्णलालजीको नहीं स्वीकारे उसका कारण यह था कि यह बालस्वरूप है और एस(मण्डल)में उस स्वरूपकी स्थिति ही सम्भव नहीं, क्योंकि रासमें तो ग्रीह स्वरूपकी स्थिति ही सम्भव है. अब जो घर होता है वह बालकर्म होता है श्रीठाकुरजीसे नहीं (६२)." सुरतके घरकी षष्ठपीठया लाभप्राप्तिवृद्धार्थ क्योकि स्वसेव्य श्रीबालकृष्णलालजीको षष्ठनिधि तथा स्वयंके "श्रीयदुनाथाहुपरम्परोद्भव" कहा जा रहा है उसमें यह विधान आठे आ रहा था, सो प्रथम आवृत्ति इस अंशके निकालनेके साथ प्रकाशित करवायी गयी थी. बादमें जब 'पुष्टिमार्गीय पीठाधीशः स्वरूप और कर्तव्य' पुस्तकमें मैंने सभी स्वमार्गीयोंका इस छलकपटपर ध्यान आकर्षित किया तब द्वितीयावृत्तिमें इस वचनामृतको स्वस्थानच्युत करके परिशिष्टतया प्राक्याप्तमें मुद्रित करवा दिया गया था. उल्लेखनीय, परन्तु, यही है कि परम्पराधीत सिद्धान्तनिष्कर्ष

तब यदि ज्ञात थे तो अपनी असहमति प्रथमावृत्तिमें न सही द्वितीय संशोधित आवृत्तिमें तो प्रकट करनी थी! इससे सिद्ध होता है कि 'सेवा दे. द्र. विमर्श' ग्रन्थ परम्पराधीत सिद्धान्तबोधके आधारपर लिखा गया नहीं है.

हम कह चुके हैं कि संयुक्त घोषणापत्रमें तनुवित्तवैक्यका सिद्धान्त श्रीबालकृष्णलालजीने अपने हस्ताक्षरोपेत पत्र दि. २२-१०-८६ द्वारा मान्य किया था. इससे सिद्ध होता है कि तब तक श्रीबालुराजाका अध्ययन तथाकथित परम्पराके अनुसार नहीं हुआ होगा. अब, अर्थात् सन् '८६-९२' वर्षोंमें परम्पराप्रान्त सिद्धान्तग्रन्थोंकी ग्रन्थिअंशका निराकरण अकस्मात् देवीवाणीके सदृश प्रकट हुई परम्परासे हुआ भी स्वीकार लें तो भी बात बनती नहीं है, क्योकि हाल ही में गतवर्ष श्रीहरिरायजी(जामनगर)के द्वारा पुष्टिसिद्धान्तचर्चासभामें परिगृहीत पक्षोंको अभिनन्दनीय मानकर उन्हें प्रशस्तिपत्र प्रदान किया गया था. उनके द्वारा परिगृहीत पक्षोंकी सूचिपर भी दृष्टिपात इस प्रसंगमें आवश्यक हो जाता है :

- (१) पुष्टिमार्गीय सिद्धान्तके अनुसार मानसीकी साधनरूपा जो सेवा उपदिष्ट हुई है वह एक तनुवित्तजा है या दो: (क) तनुजा (ख) वित्तजा है?—इस संशयमें त्रैविध्यपक्षको श्रीहरिरायजीने अधिकारिभेदवश मान्य किया था. अर्थात् उत्तमाधिकारी तनुवित्तजा करता है, मध्यमाधिकारी तनुजा या वित्तजा एवं जघन्याधिकारी लोकाधीन बनकर.
- (२) भगवत्सेवा सेवाकर्ताकी मालिकीके घरमें ही करनी चाहिये. (ऐसी स्थितिमें वैष्णवोंद्वारा की जाती वित्तजा सेवाको स्वीकारनेपर उनका मालिकाना हक सूत सदृश हवेलिऑपर स्वीकारना होगा अन्यथा स्वीकृत परिभाषाके अन्तर्गत वह सेवा ही सिद्ध नहीं होगी.)
- (३) गोस्वामिजोके सेव्यस्वरूप स्वार्थ-परार्थ अर्थात् उभयार्थ होते हैं.
- (४) पुष्टिमार्गीय सेवाकर्ता भगवत्सेवाद्वारा भेट या सामग्री उपार्जित कर सकता है या नहीं इस संशय में तथाभिन्नन्दित 'पु. सि. सं. शि.' श्रीहरिरायजीद्वारा ग्रहीत पक्ष यह था कि अधिकारिभेदवशात् उत्तमाधिकारी नहीं बनाता पर जघन्याधिकारी तो बनाता ही है. इस अधिकारिभेदके अन्तर्गत भी आर्वाविकातया भगवत्सेवा करनेवाला देवलक होता है यह भी स्वीकारा था ही. (जबकि अब इस नूतन पक्ष के अनुसार देवलक नहीं होता. ऐसी स्थितिमें वस्तुतः होता हो कि नहीं होता यह दूसरी बात है, कमसे कम एक वर्ष पूर्व परम्परा अर्थात् विषय या तो विस्मृत या अज्ञात या इसमें सन्देह नहीं. अन्यथा हि. हरिरायजीको तो अभिनन्दित नहीं ही किया जाता. अथवा यह परम्परा अर्थात् सिद्धान्तमूलक निष्कर्ष न होकर स्वयं कहीं जघन्याधिकारी सिद्ध न हो जायें ऐसा प्रतिष्ठाननिधीतमूलक तो नहीं, साथ

ही साथ आजीविकातया अनुष्ठित भावसेवाद्वारा आर्थिक लाभके मोहर पर भी काबू न पानेके कारण प्रकट हुआ पक्ष तो यह कहीं नहीं है !)

(५) स्वसेव्यस्वरूपप्रसादग्रहण विषयके अन्तर्गत तथाभिन्दित 'पु. सि. सं. शि.' वि. हरिरायजीका पक्ष था कि सरकारी कानूनको स्वीकार भगवत्सेवार्थ पेम्फलेट-रसीदद्वारा परवित्तग्रहण देवलकव्वापादक होता है. (वह भी इस नूतन ग्रन्थ में छोड़ा गया है स्वार्थसंरक्षणार्थ !)

(६) आचार्यवचनाशय-निर्धारणप्रकारके अन्तर्गत जो प्रामाण्यव्यवस्था थी तदन्तर्गत तथाभिन्दित 'पु. सि. सं. शि.' वि. हरिरायजीसे मैंने पालेवाली सभामें यह पूछा था कि उन्हें पू. पा. म. श्रीके विधान प्रमाणतया मान्य हैं कि नहीं? क्योंकि स्वयं उन्हेंकि परिवारकी नडियादवाली हवेलीके केसमें एक मान्य विशेषज्ञकी हैसियतमें पू. पा. श्रीब्रजललालजी महाराजश्रीने गवाही दी थी! पू. पा. महाराजश्रीसे बकीलने पूछा था— "किसी भी पुष्टिमाग्य मंदिरमें वैष्णव श्रीठाकुरजीकी सेवा तथा नोभोग के लिए तथा श्रीठाकुरजीकी सेवाके निर्वाहार्थ भेट इत्यादि देकर वित्तजा सेवा करता हो तो; और उक्त मंदिरमें तनुजा सेवा करता हो तो वह मंदिर पुष्टिमाग्य नहीं है ऐसा आपका कहना है?" इसपर पू. पा. म. श्रीने प्रत्युत्तर दिया था— "पुष्टिमाग्य मंदिरमें वैष्णवोंद्वारा तनुजा या वित्तजा सेवा. स्वतंत्र करनेकी कोई प्रक्रिया नहीं है और ऐसी सेवा की जाती हो तो उसे 'साम्प्रदायिक मन्दिर' नहीं कहा जा सकता."

बिचारे तथाभिन्दित पु. सि. सं. शि. की वाणी लडखडाने लग गई और अन्तमें "मुझे इस बारेमें कुछ भी नहीं कहना है" कहकर शाखाचक्रमण करना पडा. यदि चर्चासभाकी पूर्वरात्रिको आदरणीय श्रीगोविन्दरायजी (पोरबंदर)के यहां श्रीकल्याणरायजी, श्रीबालकृष्णलालजीने अपने अघोषित प्रतिनिधितया जब चि. हरिरायजीको उपस्थापित करना चाहा था तथा चर्चासभाके संचालनके नियमोंमें संशोधन-परिवर्धनादि संवादस्थापकमण्डलद्वारा कर्वाये तब इतनी सूचना और दे दी होती तो यह हाल तो नहीं होता! क्योंकि स्ववचनगौरव या स्ववचनप्रामाण्य स्वयंको अनभीष्ट हो तो बिचारे 'पु. सि. सं. शि.'को चर्चामें वृद्धजनकी गौरवहानिकी भीतिसे लडखडाना तो न पडता! हकीकत परन्तु यही है कि तबतक परम्परया अधीत (!) सिद्धान्तबोधका उदय ही नहीं हुआ था.

'पुष्टिने शीतल छांयडे' में परम्परया अधीत जैसे सिद्धान्तोंका निरूपण हुआ है वह तो विमर्शविशोधनिका एवं क्रोडाक्रीडनकक्रीडाविभंग में यथावसर आगे चलकर निरपित करेंगे ही.

कुल मिलाकर इन सभी मुद्दोंका गंभीर आकलन करनेसे मनःप्रत्यय नहीं होता कि मुखपृष्ठपर इंगित पू. पा. श्रीब्रजललालजी महाराजश्री इस ग्रन्थके कर्ता हैं.

पूर्वमें भी 'कल्याणराय'समानार्थी 'खेमराज' छद्मनामसे अनर्गल बातें परिपत्रोंद्वारा प्रकाशित करवाई गईं तब भी मैंने निवेदन किया था कि अधीत भ्रातृतृयीको यह शोभा नहीं देता. परन्तु अब मेरी प्रार्थनाको स्वीकार कर के अपने मतको, यद्यपि स्पष्टकर्तृनाम्ना न सही फिर भी स्पष्टभाषामें, सो भी अतीव परिमार्जित शालीन तथा निर्वैयक्तिक भाषामें, ग्रन्थ प्रकट किया है वह वस्तुतः जितने भी अभिनन्दन दिये जायें उससे कुछ अधिक ही अभिनन्दनीयतासे मण्डित है—इसमें सन्देह नहीं.

इस आमुख-दर्पणमें या आगे भी जहां-कहीं मुझे वैयक्तिक सन्दर्भमें कुछ चर्चा छेड़नेको बाधित होना पडा है या होना पडेगा उसके कारण मेरा मन भीतरसे अपराधबोधसे तो ग्रस्त हो ही रहा है तथा आगे भी होता रहेगा—इसमें संशय नहीं. पर "दूधका जला छाछको भी फूंक मारकर पीता है" वैसी ही कुछ मेरी भी मनोग्रन्थियां बंध गई हैं. अतः सभी सहृदय पाठक इस पर्देकी ओटमें खेले गये नाटकके विवरणको पढकर मेरे प्रति सहानुभूतिपूर्ण क्षमाभाव प्रकट करेंगे. मैं अपने बनते यथाशक्य निर्वैयक्तिक शुक्ति-प्रतियुक्तियोंके निर्वैयक्तिक समाधान ही देनेका भरसक प्रयास करूंगा. फिर भी यत्र-तत्र होनेवाले खलनकी पूर्वक्षमायाचना मांगना चाहूंगा. सो सर्वदुद्धिप्रेरक श्रीकृष्णचरणकमलके परागसे मेरे भाव तथा भाषा परिपूत रहें ऐसे शुभमनोरथके साथ.

— गोरवामी श्यामकमलदोह



सेवाप्रकरण

जयति श्रीवल्लभायों जयति च विद्वत्लेख्यः प्रभुः श्रीमान्।

पुरुषोत्तमश्च तैश्च निर्दिष्टा पुष्टिपद्धतिर्जयति ॥

प्रस्तुत प्रकरणमें मुख्यतया विचार्य विषय हैं : श्रीमहाप्रभुपुष्टि सिद्धान्तमुक्तावलीके प्रारम्भके श्लोक तथा उनपर विरचित श्रीप्रभुचरण, श्रीगोकुलनाथजी, श्रीकल्याणरायजी, श्रीपुरुषोत्तमजी, श्रीविठ्ठलेशात्मज श्रीवल्लभजी, श्रीपुनाथात्मज श्रीब्रजनाथजी, श्रीलालुभट्टजी, श्रीद्वारकेशजी, श्रीलालामणिसुत श्रीविठ्ठलरायजी तथा श्रीनरसिंहलालजी की टीकाएं, तदनुसार सर्वप्रथम मूलवचन है—

नत्वा हरिं प्रवक्ष्यामि स्वसिद्धान्तंविनिश्चयम्^१।

कृष्णसेवा^२ सदा^३ कार्य^४ मानसी सा परा मता^५ ॥

चेतस्तत्प्रवर्णं सेवा^६ तत्सिद्धयै तनुवित्ता^७।

ततः संसारदुःखस्य निवृत्तिर्ब्रह्मबोधधनम्^८ ॥

कुल मिला कर इन दो कारिकाओंमें (१) उपदिश्यमाण कर्तव्यकी सिद्धान्तविनिश्चितता (२) उपदिश्यमाण कर्तव्यके कर्म अथवा विषयका स्वरूप (३) उपदिश्यमाण कर्तव्यांगभूत कालका स्वरूप (४) उपदिश्यमाण कर्तव्यकी कृत्यहीता तथा आवश्यकता (५) फललक्षण (६) स्वरूपलक्षण (७) साधनलक्षण तथा (८) अनुपंगिक या अवातनफल लक्षण—इतनी बातें हैं।

तदन्तर्गत विप्रतिपत्तिप्रस्त अंश प्रायशः षट्ठा ७वां तथा ८वां हैं फिर भी प्रमुख तो ७वां अंश ही है सो उसपर ही सर्वथम विचार आवश्यक है :

(१) "तत्-सिद्धयै तनु-वित्त-जा"

दृष्टे श्लोकांश "चेतस्तत्प्रवर्णं सेवा" अर्थात् 'तत्=कृष्ण' प्रवर्णचित्तरूपा सेवा पूर्वप्रकृत होनेसे उसका ही परामर्श 'तत्-सिद्धयै' अन्तर्गत 'तत्' पदसे हो रहा है, अथवा फलोपयोगिस्वरूपोपलक्षित 'मानसी सेवा' रूप फलका भी परामर्श प्राचीन टीकाकारोंने स्वीकार है, किसी भी स्थितिमें 'मानसी सेवा' रूप फलके व्यवहित होनेके कारण स्वरूपद्वारा ही परामर्श उसका शक्य है, इस एक प्रासंगिक निरूपणके बाद अब यथोचित "तस्य=तत्प्रवर्णचेतसः अथवा तस्याः=मानस्याः सिद्धयै=तत्सिद्धयै" विग्रहके अनुसार अर्थग्रहण करना चाहिये, यहां 'तत्सिद्धयै' में चतुर्थीको 'पत्ये शेते' उदाहरणद्वारा "क्रियया यमभिप्रैति सोपि सम्प्रदानम्"

नियमानुसार लेनी अथवा "मुक्ताये हरिं भजति" उदाहरणद्वारा "तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्या" नियमानुसार लेनी अधिक उचित है? प्रथम कल्पमें कृष्णप्रवर्णचित्तसिद्धि एक ऐसा सम्प्रदानकारक बनेगा जिसके पूर्वसिद्ध होनेपर ही तनुवित्तजा क्रिया सम्पन्न हो पाती है अन्यथा नहीं, उल्लेखनीय है कि "चित्तकी कृष्णप्रवर्णता" कृष्णसेवाका स्वरूपलक्षण होनेसे फलावस्था-साधनावस्था उभयसाधारण सिद्ध होगा, अतः अकृष्णप्रवर्ण चित्तद्वारा अनुष्ठित तनुवित्तजा क्रिया कृष्णसेवा ही नहीं रह जायेगी, और यदि कारक क्रियायें होते हैं - क्रिया कारकायें नहीं, तदनुसार तत्प्रवर्णचित्तसिद्धयर्थ तनुवित्तजा सेवाका अनुष्ठान यदि उपदिष्ट होता मानना हो तो तदित्प्रयोजनार्थ तनुवित्तजाका अनुष्ठान भी अर्थलभ ही आ जाता है।

इसी तरह 'तनुवित्तजा'पदद्वारा विवक्षितार्थके बारेमें जो तीव्र विप्रतिपत्तियां उभरी हैं, उस सन्दर्भमें कुछ मौलिक व्याकरणके नियमोंको एक बार हृदयंगम करनेके बाद ही भक्तिमार्गीय सिद्धान्त एवं व्याख्याओं की विवेचना उपकारिणी हो पायेगी।

एतदर्थ 'सेवा-देवत्रयादिविमर्श' ग्रन्थकारका पक्ष 'विमर्श' नाम्ना तथा श्रीमहाप्रभुप्रभृति प्राचीन ग्रन्थकारोंका पक्ष 'विशोधनिका' नाम्ना दिया जायेगा, तदनुसार -

विमर्शः 'तनुवित्तजा'पदसे तनुजा एवं वित्तजा का बोध : यहां तनुश्च वित्तं च तनुवित्ते ताभ्यां जाता तनुवित्तजा, 'तनुवित्त' पदमें द्वन्द्व समास है, अनन्तर 'जा' पद आया है, अतः "द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमभिस्मन्धत्ते" इस नियमके अनुसार 'तनु' और 'वित्त'—इन दोनों पदोंके साथ 'जा' पदका अन्यव्यय होता है, इस प्रकार 'तनुवित्तजा'पदसे 'तनुजा' 'वित्तजा' ये दो सेवाएं मानसीके साधन निश्चित होती हैं।

विशोधनिका : "चार्ये द्वन्द्वः" - पाणिनिसूत्रके वार्तिक तथा भाष्यमें वार्तिककार तथा भाष्यकार कहते हैं—“चार्ये द्वन्द्ववचने असमासेपि चार्थसंप्रत्याद्यदिर्गतं प्राप्नोति 'अस्वरहर्नयमानो गायश्च पुरुषं पशुं वैवस्वतो न तृप्यति'... सिद्धं तु युगपदधिकरणवचने द्वन्द्ववचनात् सिद्धमेतत्, कथम्? युगपदधिकरणवचने द्वन्द्वो भवतीति वक्तव्यम्". प्रदीपकारने इसका स्पष्टीकरण इस तरह दिया है कि एक-एक शब्दसे जब एकसाथ कोई एक बात ऐसी कहनी हो, जो समुदायरूप हो, तब द्वन्द्व होता है, "गाय, घोडा, पुरुष, पशु के प्राण यमराज प्रतिदिन लेता रहता है परन्तु सन्तुष्ट नहीं होता" वचनमें 'गाय', 'घोडा' आदि पदोंमें द्वन्द्व समास नहीं होनेका कारण यही है कि यमराज गायकी अपेक्षा रखते हुए घोडेका अथवा घोडेकी अपेक्षा रखते हुए गायके प्राण नहीं रहता, वैसे दोनों अर्थात् किसी

भी प्राणीके प्राण हरता है तो इतनिरपेक्षताया-स्वतन्त्रताया प्राण हरता है. अतएव ऐसी स्थितिमें 'गाय'-'घोडा' पदोंको द्वन्द्व समासमें जोडा नहीं जाता. प्रत्युत गाय एवं घोडे का भिन्न-भिन्न शब्दोंद्वारा पृथक्बोध ही पैदा होता है.

अतएव 'प्लक्षन्त्यग्रोधी समासके उदाहरणमें द्वन्द्व समासके स्वभावको समझाते हुए भाष्यकार कहते हैं— "सहभूतावेव अन्योन्यस्य अर्धम् आहतुः न पृथग्भूतौ" (यहीं) अर्थात् द्वन्द्व समासमें समासघटक दोनों पद परस्पर सहभूत होकर ही अपना एक अर्थ कहते हैं, पृथग्भूत होकर नहीं. इससे समझमें आना चाहिये कि 'तनुवित्तजा'पदमें भी 'तनु'-'वित्त'पद यदि सहभूत होकर ही अपना अर्थ कह पाते हों पृथग्भूत होकर नहीं तो द्वन्द्वान्तश्रुत 'जा' पद भी अपना अर्थ द्वन्द्वघटक सहभूत 'तनु-वित्तसे जन्म'तया ही अपना अर्थबोधन करा पायेगा, पृथग्भूत 'तनु' और 'वित्त' से जन्मतया नहीं. अतः "द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमभिसम्पद्यते" का झंडा हाथमें लेकर दौडनेवाले स्वयं द्वन्द्व समासके अर्थ, स्वभाव एवं नियम से नितान्त अनभिज्ञता प्रकट करते प्रतीत होते हैं.

वास्तविकता जबकि यह है कि प्रदीपकारने भी स्वयं 'च'के (१) समुच्चय (२) अन्वाचय (३) इतरेतरयोग (४) समाहाररूप चार अर्थ समझाये हैं. परस्पर निरपेक्ष पदार्थोंका जब क्रियामें समुच्चय होता है, उदाहरणतया, "गाय, घोडा, पुरुष, पशु (सभी)का यमराज प्राण हरता रहता है" वाक्यमें परस्पर निरपेक्ष गाय, घोडा आदिका समुच्चय प्राणहरणात्मिका क्रियामें द्योतित हो रहा है. वय 'च'कारके विना भी द्योतित हो रहा है. अतः क्रियामें-जुड पानेको 'गाय', 'घोडा' आदि पद समर्थ नहीं है. "न्यग्रोधको देखो" कहकर जब "और प्लक्षको भी" कहा जाता है तो अन्वाचयका उदाहरण बनता है. यहां दर्शनक्रियामें न्यग्रोधकी प्रधानता और प्लक्षकी गौणता प्रकट होती है. अतः प्रधान-न्यग्रोध-द्वारक गौणप्लक्षका क्रियान्वय होनेसे द्वन्द्वसमासका घटक बन पानेको समर्थ नहीं हैं. क्योंकि प्रधानपद 'न्यग्रोध' 'च' के अन्वाचय अर्थमें प्रयुक्त नहीं है. गौणपद 'प्लक्ष' ही अन्वाचयके अर्थमें प्रयुक्त हुआ है. अतः यहां भी द्वन्द्वसमास नहीं होता. 'च'का तीसरा अर्थ है: इतरेतरयोग. 'इतरेतरयोग' यानि परस्पर अपेक्षा रखनेवाले अनेक पदोंके एक अर्थमें समन्वित होनेपर 'च'शब्दसे द्योतित होती उनकी परस्परसहितता. अतः यह द्वन्द्व समासका योग्य उदाहरण है. चतुर्थ समाहारके अर्थमें भी परस्परसहितका भान होता होनेसे यहां भी द्वन्द्वसमास हो सकता है.

अतएव महामहोपाध्याय जयराम न्यायपञ्चानन भट्टाचार्य समासवादमें इसका स्पष्ट खुलासा देते हैं कि 'च'के चारमें से दो अर्थोंमें द्वन्द्वसमास हो सकता है. (१) इतरेतरयोग (२) समाहार. जहां अवयवार्थकी प्रधानता होती है वहां

इतरेतरयोगरूप द्वन्द्वसमास होता है. प्रधानता यानि विभक्तिके अर्थसे जुडना. अतएव द्विवचन या बहुवचन का प्रयोग इतरेतरयोगद्वयमें होता है. उदा. 'धवखदिरौ' 'धवखदिरपलाशाः', जहां संहति = सहितता प्रधान होती है वहां समाहारद्वन्द्व होता है. दोनोंकी या दोसे अधिककी सहितता क्योंकि एक धर्म है अतः वहां एकवचन और नपुंसकलिंगका प्रयोग होता है... अतएव 'चार्ये द्वन्द्व' पाणिनिमुत्रमें समुच्चय और अन्वाचय अर्थके अलावा इतरेतरयोग और समाहार ही 'च'के अर्थतया अभीष्ट हैं. समाहार = साहित्य = सहितता तथा इतरेतरयोग = साहित्यविशिष्टता. अतएव "धर्मार्थकामादि जो कुछ सम्पन्न करने हों इसके साथ करना" — इस विधानमें पत्नीका सहभाव ही द्योतित होता है, साहित्य नहीं. अर्थात् पत्नीकी अनुमतिद्वारा भी धर्मार्थकाम सम्पन्न किये जा सकते हैं. जबकि साहित्य यदि विवक्षित हो तो अनुष्ठानक्रियामें सहकर्तृत्व नियत बन जायेगा.

अतएव इस सन्दर्भमें सिद्धान्तकीमुदीतत्वबोधिनीकारका भी एक मननीय स्पष्टीकरण है— "... अतः इतरेतरयोग और समाहार में परस्परसाहित्यके विद्यमान रहनेके कारण द्वन्द्वसमास होता है. समुच्चय या अन्वाचय में उसके न होनेके कारण द्वन्द्वसमास नहीं होता. फिर भी इतरेतरयोगमें परस्पर साहित्य विशेषण होता है और परस्परसहित द्रव्य विशेष्य. जबकि समाहारमें परस्पर साहित्य प्रधान तथा द्रव्य विशेषण." (सि. कौ. तत्वबोध. द्वन्द्व प्रक. २/२/१९).

इसपर टिप्पणी करते हुए म. म. शिवदत्तशास्त्रीने भी स्पष्टीकरण दिया है कि कौमुदीकाद्वारा प्रदत्त "मितलितानामन्वयः इतरेतरयोगः — समूहः समाहारः" लक्षणमें 'मितलितानां' का अर्थ है परस्परापेक्षा रखनेवाले उद्भूत तथा भिन्न अवयवोंवाला समूह. उसके 'अन्वय'का अर्थ है एकधर्मवच्छिन्नतया अन्वित होना. इसीतद्वह समाहारान्तर्गत 'समूह'का अर्थ है अनुद्भूत तथा भिन्न अवयवोंवाला समूह. यहां इतरेतरयोगमें क्योंकि उद्भूतावयवभेद समूहकी प्रतीति होती है अतः प्रवृत्तिनिमित्त प्रत्येकवृत्ति धर्म होता है जबकि समाहारमें विभिन्न अवयव अनुद्भूत रहते होनेसे समूहका अतिरिक्ततया भान होता है. अतः समूह ही प्रवृत्तिनिमित्त बनता है.

प्रकृतमें विमर्शकारने भी "तनुञ्च वित्तं च तनुवित्ते" कहकर समाहार द्वन्द्व तो स्वीकारा नहीं है अतः 'तनुवित्ते' द्वन्द्वमें तनु और वित्त को पहले उद्भूतभेद तथा प्रत्येकवृत्ति पदप्रवृत्तिनिमित्तधर्मवान मान कर पश्चात् एकधर्म = तनुवित्तत्वरूपसे अपने प्रथमा द्विवचन अथवा तृतीया द्विवचनमें अन्वित मानना पड़ेगा. ऐसी स्थितिमें निकालमें भी "तनुवित्ताभ्यां जाता तनुवित्तजा" का अर्थ "तनुजा और वित्तजा" निकल ही नहीं पायेगा.

ऐसी स्थितिमें "द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमभिसम्पद्यते" नियम भी केवल इतनी ही बात कह पायेगा कि जिस सेवा = क्रियाका अनुष्ठान तनु-वित्तसे सम्पन्न

करना है वह तनुहित वित्त अथवा वित्तरहित तनुसे सम्पन्न नहीं हो सकता। वह क्रिया प्रत्येकसे अभिसम्बद्ध होनी चाहिये। अतः प्रत्येकके साहित्यसे ही उसे सम्पन्न करना पड़ेगा। भूलना नहीं चाहिये कि द्बन्द यहाँ तनु-वित्तका है, तज्जन्म क्रियाका नहीं। ऐसी स्थितिमें “तनुजा और वित्तजा” अर्थ करना पाणिनि-कात्यायन-पतंजलि-कैयट-नागेशादिके श्राद्ध किये बिना शक्य नहीं है।

इतरेतस्योप द्बन्द कौमुदीकारके अनुष्कार भी, “मित्तितानाम् अन्यः” अर्थात् प्रकृत सन्दर्भमें द्विपद द्बन्द होनेसे “मित्तितयोः अन्यः” तदनुसार “परस्परपक्षयोः तनुवित्तयोः उद्भूतावयवभेदयोः = तनुत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताक-वित्तानुयोगिक-वित्तत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकत-वनुयोगिकभेदसहस्ररूपयोः तनुवित्तयोः सेवारूपक्रियानिष्पन्नान्यातिरूपितकरणावच्छेदकरूप = एकधर्मावच्छिन्नत्वेन = तनुवित्तत्वेन अन्यः” अकाम-गलेपित इति है।

यदि यह नहीं स्वीकारते तो “समस्तपितृणां निरतिशयानन्द-ब्रह्मलोकवाप्यादि-कन्यादानकलोक्तफलावाप्तये अनेन वेषेण अस्यां कन्यायाम् उत्पादयिष्यामण-सन्तत्या द्वादशावरान् द्वादशपरान् पुरुषांश्च पितृवीकर्तुम् आत्मनश्च श्रीलक्ष्मीनारायणप्रीतये अमुकगोत्रोत्पन्नाय विष्णुरूपिणे रामकृष्णदासनामे वराय इमां लक्ष्मीरूपिणीं कन्यां तुष्यमहं सम्प्रदे” के संकल्पपूर्वक दिये गये कन्यादानके बावजूद कोई स्वैरिणी “द्बन्दान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमभिसम्बध्यते” व्याकरणनियमकी दुहाई देकर रामकृष्णदासनामक स्वपतिके अलावा किसी ‘रामदास’ एवं ‘कृष्णदास’ नामक जापुस्त्रोपेते सन्तति प्रकट करने लगे तो भी द्वादशावर द्वादशपर पुरुषोंके निरतिशयानन्द-ब्रह्मलोकफलावाप्तिपूर्वक स्वयं कन्यादाताको श्रीलक्ष्मीनारायणप्रीतिरूपफल मिलना चाहिये!

अन्यथा अधिकसे अधिक यहाँ भी यह तो कहा ही जा सकता है कि उक्त फलाप्राप्तिसाधिका केवल रामकृष्णदासरूप वरसे उत्पन्न सन्तति होगी। एतावता ‘रामकृष्ण’रूप द्बन्दके अन्तमें श्रूयमाण ‘दास’पद, क्योंकि राम और कृष्ण उभयसे अभिसम्बद्ध है एतावता रामदास एव कृष्णदास नामक उपपत्तियोंके साथ रमणको कथमपि असंकल्पित अधर्म तो कहा ही नहीं जा सकता! तब तो लोग व्याकरणशास्त्रको व्यभिचारशास्त्र ही मानने लग जायेंगे! द्बन्दसमासका ही द्बन्धान्त कर देंगे!

उल्लेखनीय है कि विमर्शकार भी श्रीमहाप्रभुद्वारा संकल्पित प्रकासे स्वतनुवित्तजन्या सेवाको मानसीकी साधिका तथा “द्बन्धान्ते श्रूयमाण...” नियमानुरोधवश तनुजा और/अथवा वित्तजा को अनिश्चित मान रहे हैं—यह उल्लिखित स्वैरिणीसदृशं ही अर्थघटन है!

(11) श्रीमत्पञ्चम-विश्व-विवृति

(१) ‘स्वसिद्धान्ते’ति... स्वसिद्धान्तरूपं शास्त्रार्थनिश्चयं वक्ष्यामीत्यर्थः. (२)

तमेवाहुः ‘कृष्णसेवे’ति. फलात्मकनामोक्त्या स्वतः पुरुषार्थत्वेन सेवाकृतिः स्वसिद्धान्तो नतु अन्यशेषत्वेनेति ज्ञाप्यते... (३) सेवा हि सेवकधर्मः; तदुक्त्या जीवानामशेषाणां सहजदासत्वं ज्ञापितम्. अतएव न कर्मणीवात्र कालपरिच्छेदोस्तीत्याहुः ‘सदे’ति. (४) आवश्यकार्थंयत्प्रत्ययान्तकार्यपदोक्त्या तदकरणे प्रत्यवायी भवतीति भावो ज्ञाप्यते.

(५) साच फलरूपा साधनरूपा चास्ते. तत्र ‘मानसी सा परा’ फलरूपेत्यर्थः, यथा ब्रजसीमन्तनीनाम्. तदेव तत्प्राणनाथेन गीतं ‘ता नाविदन् मय्यनुषंगबद्धधियः स्वनामानामदसत्तदेवम्’ इत्यादि. (६) एतेदेव सेवासत्वरूपम् इत्याहुः ‘चेत’ इति.

(७) उक्त-सेवा-साधने इतरे इत्याहुः ‘तदि’ति. वित्तं दत्त्वा अन्येन पुरुषेण कृत्वा कारिता एका, एतादृशेन पुंसा कृता चापरा—एतादृशेयी ते तत्साधिके न इति अभिप्रायज्ञापकं समस्तं पदम्. एतेन भाववर्धं निरूपयित्स्वस्वनिवेदनपूर्वकं तत्रैव स्वदेहविनियोगे प्रेम्णि जाते सा भवति इति भावः. (८) एतादृशस्य अवान्तफलं भवतीत्याहुः ‘तत’ इति. अहन्ताममतात्मकः संसारः नतु प्रपञ्चात्मकः; तस्य ब्रह्मात्मकत्वात्. तस्मिन्वृत्त्यानिष्ठनिवृत्तिरक्ता. इष्टप्राप्तिमाहुः. स्वाम्नि प्रपञ्चे च अक्षरब्रह्मात्मकत्वेन ज्ञानम्. भगवत्सेवायामभिनविष्टस्य यद्यपि अनभिलषिते ते तथापि वस्तुस्वभावाद् भवत इति भावः. (सि. मु. वि. १-२).

(१) इस प्रथम अंशमें तो यही केवल मननीय है कि जिस तरहका अनिश्चितरूप कृष्णसेवाका आज हमने बना रखा है उससे कितने विपरीत भाव पिता-पुत्रके हैं.

(२) द्वितीय अंशमें मननीय यह है कि श्रीप्रभुचरणने स्पष्ट शब्दोंमें कृष्णसेवाके, अन्यशेषतया नहीं प्रत्युत स्वतःपुरुषार्थत्वेन, अनुष्ठानको ही स्वसिद्धान्त माना है. धर्मप्रचारार्थ या आजीविकोपार्जनार्थ अन्यशेषतया कृष्णसेवाका अनुष्ठान स्वसिद्धान्त न होकर सर्वथा अपसिद्धान्त है.

(३) तृतीय अंशके मनन करनेपर यह भी स्पष्ट हो ही जाता है कि आधुनिक कालमें पुरुषोत्तममास (= मनोरथोंके आडंबरद्वारा द्रव्योपार्जनकी सीझन)के कालपरिच्छेदको अथवा दैर्घ्य आडसमायकी झांकीके कालपरिच्छेदमें अथवा वार्षिक उत्सवोंके कालपरिच्छेदमें वैष्णवोंको वित्तजासेवा करनेके लिये जैसे उकसाया जा रहा है वह भी अपसिद्धान्त है. क्योंकि परिच्छिन्नकालके निमित्तानुरोधवश नहीं प्रत्युत कालपरिच्छिन्न आत्मस्वरूपानुरोधवश कृष्णसेवाकी कर्तव्यताका ही सिद्धान्त है. वह तो अर्थोपार्जनार्थ स्ववित्तसामर्थ्यसे बड़ा-चढ़ाकर भगवत्सेवाका प्रदर्शन करनेवाले सार्वजनिक मन्दिरोंमें नहीं परन्तु अपने घरमें ही संभव है.

(४) चतुर्थशंशमें विशेषतया उल्लेखनीय यही बात है कि एकविध, द्विविध, त्रिविध, चतुर्विध, षड्विध, नवविध या द्वादशविध भी सेवा क्यों न हो, स्वमार्गवर्तक पिता-पुत्रके अनुसार सेवा स्वमार्गीओंका एक ऐसा कर्तव्य है जिसे यथोक्तरूपमें

नू कल्पेपर व्यक्ति प्रत्यवायी बनता है. अतः कृष्णसेवाका सिद्धान्ताभिमत स्वरूप एकविध हो तो उसके अकरणपर और अनेकविध हो तो उसके अकरणपर मार्गानुयायी प्रत्यवायी बन जाता है. ऐसी स्थितिमें क्योंकि यथाशुत 'तनुवित्तजा'पक्ष तो निःसंदिग्ध सिद्धान्त है अतः विशेषनिकाद्वारा उसपर भार देनेसे प्रत्यवायी होनेका कोई प्रसंग नहीं जबकि अशुत स्वार्थकल्पित त्रिविध पक्ष संदिग्ध है अतः उसके अनुष्ठानमें प्रत्यव्यास-सन्देश ब्रह्मलेपित है.

(५) पांचवे अंशकी व्याख्या करते हुए श्रीप्रभुचरणने यह स्पष्ट कर दिया है कि मूलतः कृष्णसेवा तो एक ऐसा कर्तव्य है कि जिसके दो रूप होते हैं: (क) फलावस्थापनरूप (ख) साधनावस्थापनरूप. अर्थात् स्वयं कृष्णसेवा ही कभी साधनरूपा होती है तो कभी फलरूपा. कृष्णसेवा ऐसा साधन नहीं है कि जिसका साध्य कृष्णसेवासे अतिरिक्त कोई फल हो.

जैसे द्विजका नित्यकर्म वेदाशिरास्त्रान्ध्यायरूप ब्रह्मयज्ञ, अक्षराहण अर्थबोध तात्पर्यबोध आवर्तनोंकी विभिन्न अवस्थाओंमें, स्वयं उत्तरेत्तर साध्यफलभावान्न होता रहता है. अवान्तरफलरूप निःशंक कर्मसुष्ठानकी कथा दूसरी है. (अनुसंधेयः "निकाणं ब्राह्मणेन षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च").

एक और उल्लेखनीय बात जो श्रीप्रभुचरणने इस अंशमें निरूपित की है वह यह है कि इस मानसीसेवाको फलरूपा कहा और इसके व्यक्त्युदाहरणतया ब्रजगोपिकाओंका उल्लेख किया है. इसीतराह प्रमाणवचनोदाहरणतया "तानाविदं मय्यनुषंगबद्धधियः स्वमात्मानमदसाथेदं यथा समाधी मुनयोऽन्धितोये नयः प्रविष्टा इव नामरूपे". श्रीभागवतग्लोकका उल्लेख किया है. युगलागीतके प्रसंगमें ब्रजगोपिकाओंकी मानसी लीलाभूतिका वर्णन उपलब्ध होनेपर भी तथा व्यासवचनमें लेशतः भी ईषत्प्रामाण्यका तो कोई प्रश्न न रहनेपर भी एकादशस्कन्धीय भागवद्ब्रजका प्रमाणवचनत्वेन उपन्यास यहां किसी विशेष बातकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करता है. इस वचनमें दो तथ्य वर्णित हुए: (अ) भागवदनुषंगबद्धधीता (आ) स्वपरः ऐहिक-पारलौकिक सर्व) विस्मरण. ऐसी स्थितिमें प्रपंचविस्मृतिपूर्वक भगवदासक्तिरूप निरोध ही यहां विवक्षित है—इतना तो स्पष्ट है.

इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि मानसी सेवा, मानस ध्यान या चिन्तन के रूपमें परा=फलरूपा नहीं परन्तु प्रपंचविस्मृतिपूर्विका भगवदासक्तिरूपमें ही परा=फलरूपा है. ऐसी स्थितिमें धर्मप्रचारार्थ-शिष्यसंग्रहार्थ-धनसंग्रहार्थ प्रपञ्चाभिनवेशपूर्विका भगवदासक्तिरूपा फलसिद्धिके लिए तो कृष्णसेवोपदेश ही नहीं सकता. अतः विमर्शपक्षका अपसिद्धान्त होना विवृति-अनावृत्त ही है.

(६) इस षष्ठ अंशमें प्रभुचरण कृष्णसेवाकी फलावस्थाके स्वरूपानुरोधश कृष्णसेवाका सामान्यस्वरूप "एतदेव सेवास्वरूपम् इति आहुः 'जैत' इति" अंशद्वारा निरूपित

कर रहे हैं. यहां फलावस्थाका ही निरूपण है अथवा सेवाके फलासाधनोभयावस्थासाधारण सामान्यस्वरूपका—इसमें टीकाकारोंमें प्रस्थानभेद है. इसका यथावसर आगे चलकर स्पष्टीकरण देंगे.

(७) यह अंश निरतिशय विवादग्रस्त बन गया है. अतः यहां अतिशय सावधानीपूर्वक मननकी आवश्यकता है. अतः सर्वप्रथम इस अंशगत विभिन्न विधानोंका विहंगावलोकन कर लेना चाहिये:

अथानिका: (क) उक्तसेवा-साधने इतरे इति आहुः 'तत् (सिद्धयै तनुवित्तजा)' इति.

अभिप्रायज्ञापिका: (ख) वित्तं दत्त्वा अन्येन पुरुषेण कृत्वा कारिता एका, एतादृशेन पुंसा कृता च अपरा—एतादृश्यै तो तत्साधिके न इति अभिप्रायज्ञापकं समस्तं पदम्.

निष्कर्ष: (ग) एतेन भगवदर्थं निरूपयित्स्वसर्वस्वनिवेदनपूर्वकं तत्रैव स्वदेहविनियोगे प्रेमिणि जाते सा भवतीति भावः.

(क) "उक्तसेवा" = छठे अंशमें अथवा प्रथमसे प्रारम्भ करके छठे अंशतक जैसे प्रकारकी सेवा निरूपित की गई है वैसी सेवा.

'साधने इतरे' = 'तनु-वित्ते' अर्थ लेना या 'तनुज-वित्तजे' लेना इसमें विमर्शपक्ष है 'तनुज-वित्तजे'. श्रीमद्भागपुरसे प्रारम्भकर परवर्ती प्रायः सभी टीकाकारोंको अभिप्रेतार्थ 'तनुवित्त' ही प्रतीत होता है. जिन्होंने—अर्थात् श्रीवल्लभजी, श्रीब्रजनाथजी, श्रीलालुभट्टजी तथा श्रीद्वारिकेशजीने—यथापथ कभी समासविग्रहार्थ अथवा कभी "प्रसक्ततय प्रतिबंधो" न्यासे 'तनुजवित्तजे' लिया है वह सिद्धान्तानुमोदित अनुष्ठेयविषया नहीं. इसपर विस्तृत विचार क्रोडाङ्गीजनकक्रीडाविभंग परिच्छेदमें आगे चलकर किया जायेगा.

हम देख चुके—द्वन्द्वसमासके प्रयोगकी व्याकरणशास्त्रीय मर्यादाके अनुरोधवश स्वयं वाक्यपति वक्ता भी "तनुजा और वित्तजा"के द्वन्द्व की विश्वाशवाश यदि 'तनुवित्तजा' प्रयोग करे तो उसे अशुद्ध प्रयोग अथवा आप्रयोग ही मानना पड़ेगा. ऐसी स्थितिमें किसी भी व्याख्याकारद्वारा वैसे अर्थका उह करना या तो स्वयंके व्याकरणशास्त्रीय निरतिशय अज्ञानका द्योतन है अथवा मूलकारपर अशुद्ध प्रयोग करनेके आक्षेपमें ही फलित होगा. अतएव स्वयं विमर्शकारको (५-१२-१३) इतना तो स्वीकारना ही पडा है कि केवल तनुजा अथवा केवल वित्तजा मानसीकी साधन नहीं है. उदाहरणतया खीर बनानेके लिये चावल, घी, दूध, चीनी, अम्रि, पात्र, रसोई बनानेवाला—इन सबकी आवश्यकता होती है; इनमेंसे एक भी सामग्री कम होगी तो खीर नहीं बन सकती. ऐसी स्थितिमें मानसीकी साक्षात्साधनता तो विमर्शकारके भी मतमें तनुवित्तजा ही गलेपतित है. रही

बात परम्परया साधन होनेकी - अर्थात् 'तनुवित्जा'को कारणसामग्री मानकर तनुजा एवं वित्जा को कारणसामग्रीघटक पदार्थ माननेकी - तो निरूपधिभक्तिभावका विचार्यविषयविमर्शार्थ यदि विमर्शकारकी प्रवृत्ति होती तो समझनेमें किसी तरहकी कठिनाई न आती कि केवल वित्तसे, अर्थात् स्वकीय या परकीय तनुके साहित्यके बिना, भगवत्सेवाका अनुष्ठान शक्य ही नहीं. इसी तरह जबतक मानसी सिद्ध न हो तब तक केवल तनुसे भी, अर्थात् स्वकीय या परकीय वित्तके साहित्यके बिना, भगवत्सेवाका अनुष्ठान अशक्य न भी हो तो दुःशक तो अवश्य होता है. अतः स्वकीय या परकीय तनु या वित्त के साहित्यपूर्वक ही सेवात्मिका क्रियाका वस्तुस्वभावतुरोधविवश एकत्व तो त्रिकालाबाधित सत्य है. अतएव द्वित्व तो अकाम भी तनुवित्तनिष्ठ ही हो सकता है. तनुवित्तजा क्रियायें दो नहीं कही जा सकती तो द्वित्वाधिकरणीभूत साधनता प्रत्येक दो क्रियाओंमें नहीं परंतु पर्याप्तिसंबंधसे तनुवित्तमें ही आयेगी. वित्तसाहित्यरहिततनुजा या तनुसाहित्यरहितवित्तजा क्रियाओंमें स्वरूपासिद्धि दोष होनेसे तथा कथंचित् स्वरूपपरिचित् देनेपर उन क्रियाओंमें द्वित्वाधान तनुवित्तपर्याप्तद्वित्वद्वारा ही सम्पादित होता होनेसे; तथा विमर्शकारद्वारा प्रदत्त चावल, चीनी, दूध आदिके उदाहरणानुसार भी यह अप्रत्याख्येय होनेसे अकामगत्तेपतित है. अतः "यत्स्लिंगं यद्ब्रह्मं या च... विशेषणस्याधि" नियम सार्वत्रिक या क्वाचित्क. होनेकी विचारणा अकिंचित्कर है. वैसे 'साधने'का नृपुंसकलिंगके द्विवचनमें प्रयुक्त होना नृपुंसकलिंगके द्विवचनान्त 'तनुवित्ते'विशेषणके विशेषणतया सुसंगत है. फिर भी उक्तानिकामें तनुजा-वित्तजा सेवाको उद्देश्य बना कर ऐसे साधनत्वका विधान करना कि जिसका अव्यवहितोत्तर तात्पर्यनिरूपणमें निषेध करना है - एक असमंजस विचाररीति लगती है. उदाहरणतया कोई कहे -

मूलवाक्य : खीर बनती है चावल, चीनी, घी, दूध, पात्र, अग्नि, पाचक सामग्रीसे.

व्याख्या : खीर बनाने के साधन इतर सात हैं - यह निरूपित करते हैं "खीर बनती है..." वचनसे. कोई चावलके बिना चीनीसे या चीनीके बिना घीसे या घीके बिना दूधसे या दूधके बिना पात्रसे या पात्रके बिना अग्निसे या अग्निके बिना पाचकसे खीर बनाना चाहे तो खीर बनायी नहीं जा सकती. अतः इन कारणसामग्रीके जुटनेपर ही खीर बनती है.

विमर्श : खीरके पूर्वोक्त सात साधनोंके साहित्यका दुराग्रह रखना उचित नहीं है, क्योंकि इनमेंके प्रत्येक भी साधन तो होते ही हैं. फिर किसी एकसे केवल खीर सिद्ध हो जानी चाहिये - ऐसी आपत्ति नहीं देनी चाहिये, क्योंकि वह तो सातोंके मिलनेपर ही होगी. एतावता प्रत्येकको साधन न मानना कैसे सुसंगत हो सकता है ?


विशोधनिका : खीरकी कारणतासामग्रीके घटकतया सिद्ध चावल, चीनी, घी, दूध आदिकी परस्पर इतरसापेक्ष साधनतासे अतिरिक्त इतरनिरपेक्ष साधनताके प्रतिपादनका प्रयोजन खीर बनाना तो हो नहीं सकता. अतः अन्य कुछ प्रयोजन स्वीकारना पडेगा. अतः ऐसी साधनता अप्रासंगिक होनेसे अनिरूपणीय ही है.

दार्शनतमें विमर्शकार भी केवल तनुजा या केवल वित्तजा को मानसीसाधिका न मानकर केवल अबाधिका मनवाना चाहते हैं. वहां यह प्रश्न उठता है कि 'उक्तसेवासाधने'को उद्देश्य बनाकर द्वित्वविशिष्ट इतरत्वका विधान यहां विमर्शकारको अभिलषित है या 'इतर'को उद्देश्य बनाकर उनका 'उक्तसेवासाधनता'का विधान अभिलषित है. प्रथम कल्पमें प्रभुचरणकृतविवृतिस्थ "फलात्मकनामोक्त्या... नत्वन्यशेषत्वेनेति ज्ञाप्यते" की व्याख्यामें "ननु 'मानसी सा परेत्यनेन मानस्याः फलत्वेन वक्ष्यमाणत्वात् तदर्थत्वमेवैतत्सेवायाः सिध्यति अतो न स्वतो पुरुषार्थत्वं किन्त्वन्यशेषत्वमिति चेत्... प्रकृते तस्याएव सेवायाः अवस्थाभेदेन मानसेवारूपफलत्वेन विजातीयत्वाभावाद्" (श्रीब्रह्मभजीकृत टिप्पणी) वचनवशात् इतरता ही अनुपन्न है तो द्वित्वविशिष्ट इतरता भी सुतरां अनुपन्न सिद्ध होगी. अतः 'इतर'को उद्देश्य बनाकर उनके बारेमें 'उक्तसेवासाधनता'का यथोपदिष्ट विधान मानना पडेगा. यहां यह पृष्ठ्य होता है कि विधास्यमान तनुवित्तजान्तर्भूत तनुवित्तजाकी द्वित्वावच्छिन्नसाधनताका विधान अभिलषित है या तदनन्तर्भूत तनुजा एवं वित्तजा की एकैकत्वावच्छिन्नसाधनताका विधान अभिलषित है ? प्रथम कल्पमें वदतोव्याघात दोष आ पडेगा. द्वितीय कल्पमें उत्थानिका और अभिप्रायज्ञापिका अंशोंमें "अग्रान् पृष्टे कोविदारान् व्याचष्टे"वाली निष्कर्षपर्यवसायिनी उत्थानिका होनेका दोष आ पडेगा.

केवल तनुजा या केवल वित्तजा कोई क्यों करना चाहता है ? स्वकीय तनुविनियोग या स्वकीय वित्तविनियोग की अरुचि या असामर्थ्य के कारण उपदिष्ट तनुवित्तजास्वरूपपूर्वर्थ अथवा तदितरप्रयोजनपूर्वर्थ. यदि सेवेतर किसी भी प्रयोजनकी पूर्तिके लिये वित्तग्रहण किया जाता है तो वित्तदाता द्वारा किया जाता वित्तदान वित्तजा सेवा नहीं रह जायेगी, क्योंकि वित्त लेनेवाला दम्भ कर रहा है और देनेवाला अपना श्रद्धामौढ्यप्रदर्शन. यदि वह वित्त तनुवित्तजासेवाके स्वरूपनिर्वाहार्थ दिया-लिया जा रहा है ऐसा स्वीकारते हैं तो इस लेने-देनेके लौकिक-अलौकिक, विहित-निषिद्ध एवं उत्सर्ग-अपवाद रूपोंके विवेकके बिना 'गोमय पायस' नहीं कर देना चाहिये.

एतदर्थं सर्वप्रथम एक सारणीपर दृष्टिघात कर लेना उचित होगा :-

वित्तदान



सहज सम्भव है कि इनके अलावा अन्य भी कुछ प्रकार वित्तदानके हो सकते होंगे परन्तु इन प्रभेदके लक्षण तथा उपभेदों को जाननेपर ही वास्तविकताका पता चला पायेगा।

(१) दान :

शास्त्रे निवेदनं दानं ह्यर्पणं त्रिविधं स्मृतम्।

निवेदनं समुद्दिश्य द्रव्यस्य ज्ञापनं मतम्॥

दानं स्वकीयतात्यागः परस्वापादनं विधेः।


अर्पणं स्वामिभोग्यस्य स्वामिने ज्ञापनं मतम्॥

(सि.र.श्रीपुर.वि.स्को.४में उद्धृत)

इन कारिकाओंमें निवेदन तथा अर्पणसे भिन्न "दानं स्वकीयतात्यागः परस्वापादनं विधेः" कहकर जो 'दान'की परिभाषा दी गई उस संदर्भमें यह अवधेय है कि—

दान

(स्वत्वपरित्यागपूर्वकपरस्वत्वोत्पादनात्तु कूल 'तुभ्यम्हं सम्प्रदे न मम' इत्यादिशब्दाभिव्यंयो मनोव्यापारः)



(च) कर्मदक्षिणा, गुस्त्रदक्षिणा, प्रायश्चित्तार्थं गोदानादि, कन्यादान, राज्यको करदान आदि अनेक रूपोंमें शास्त्रविहित वित्तदान होता है।

(छ) तत्तद् देश-काल-कर्मादि निमित्तवशात् शास्त्रोंमें वितादि दानोंका वर्णन उपलब्ध होता है।

(ज) 'प्राभूत' = देवता-गुरु, राजा-मित्रादिको स्वेच्छया दिया जाता उपहार अर्थात् उपायन, 'यीतक' = यज्ञोपवीत, विवाहादि अवसरपर सगे संबंधि बटुक, वरवधू आदिको दिये जाते उपहार, 'सुदाय' = वहेज, 'दाय' = अपनी संततिपर अपनी जीवितावस्था या मरणोत्तरता में अंशतया या पूर्णतया स्वत्वत्यागपूर्वक अपने पुत्रादिके स्वत्वका

स्थापन, 'भिक्षा = दीन-दरिद्रोंपर दयाविवश दिया जानेवाला द्रव्यादि.


(झ) ज्येष्ठपुत्रदान, परद्रव्यदान आदि.

शास्त्रनिषिद्ध (स्वकुटुम्बाविरोधेन देयं दासुतादृते नाव्ये सति सर्वस्य देयं यच्चा-न्यसंश्रितम्—याज्ञ.व्यव.११।१७९) प्रकारको छोड़कर दानके अन्य सभी प्रकारोंमें दाताद्वारा शास्त्राविरुद्धतया स्वत्वपरित्यागपूर्वक परस्वत्वोत्पादन किया गया होनेसे प्राप्त वित्त वित्तग्रहीताका ही होता है. सो ऐसे वित्तसे स्वयं की जाती सेवाके तनुवित्तजा सेवा होनेमें कोई विसंगति नहीं है.

वैसे वित्तदान सेवाकर्ताको अथवा उसके सेव्यस्वरूपको—यों दोनोंमेंसे किसी भी एकको सम्भव है. सेवाकर्ताको कोई कुछ देता है तो देनेवाला अपना स्वत्व खतम करके सेवाकर्ताका स्वत्व पैदा करता है और अन्यके सेव्यस्वरूपको देनेपर देनेवाला अपना स्वत्व खतम करके सेव्यस्वरूपका स्वत्व पैदा करता है. प्रथम कल्पमें तनुवित्तजाके स्वरूपका बाध नहीं होता जबकि दूसरेमें न केवल तनुवित्तजाका स्वरूप खंडित हो रहा है अपितु देवस्वापहरणदोष भी शक्य हो जाता है, देवस्वत्व पैदा हुआ होनेसे. इसे स्वीकार न करनेपर गोस्वामी महाराजोंको धरी भेट भेटकर्ता स्वयं भले ही न ले सके परन्तु इतर वैष्णव या महाराजश्रीका समाधानी या खवास क्यों नहीं ले सकते—यह खुलासा देना पड़ेगा. पूछनेकी आवश्यकता जैसे देवस्वापहारी महाराजोंको नहीं वैसे महाराजस्वापहारी वैष्णव या खवास को भी नहीं होनी चाहिये! जैसे महाराजोंका स्वत्व अपने प्रभुपर है ऐसे ही वैष्णव या समाधानी का महाराजोंपर होता. ठाकुरजी बोलते नहीं पर महाराज तो बोल सकते हैं अतः आज्ञाके बिना नहीं लेनेका नियम हो तो जो छोटे-छोटे बाबा-नेटीजी बोल न पाते हो उनका तो कमसे कम लिया जा सकता है—ऐसे स्वीकारना चाहिये.

(२) निवेदनार्पण :

"निवेदनं तु तदीयत्वानुसंधानपूर्वकः स्वत्वाभिमानत्यागानुकूलः 'तुभ्यं समर्पयामि निवेदयामि' इत्यादिशब्दाभिव्यंयोः तद्विलक्षणो मनोव्यापारः". (श्रीपुर.नव.विद्यु.प्रका.१). अर्थात् जैसे देहादिविषयिणी आविद्यकी अहंता-ममताके त्याग करनेपर भी पांचभौतिक देह या उसपर स्वामित्व छूट नहीं जाता वैसे ही निवेदन और/अथवा समर्पण की प्रक्रियामें स्वस्वत्वके परित्याग बिना निवेदित और/अथवा समर्पित वस्तु या वित्त का अन्यार्थक विनियोग सम्भव है. इसमें विशेषतया अवधारणीय यही है कि—



(च) इस कल्पमें वित्तदाताका स्वत्व निवृत्त नहीं हुआ होनेसे ऐसे वित्तके विनियोगपूर्वक स्वतन्त्रा की गई भगवत्सेवा तद्वित्तजा नहीं कही जा सकती। परन्तु जिन संबंधोंमें वित्तराशिपर किन्हीं दो जनोंका अविभक्त स्वत्व हो —यथा मातापिता-सन्तति, पति-पत्नी, भ्रातृव्य, मित्रद्वयी या अन्य भी यथायथका सम्भूय समुत्थान हो (द्रष्ट. “वणिक्प्रभृतयो यत्र कर्म सम्भूय कुर्वते तत्सम्भूयसमुत्थानं व्यवहारपदं स्मृतम्” नारदस्मृतिवचन —व्यवहारस्यूख संभू.समु.प्रक.—“बहूनां सम्मतो यस्तु दद्यादेको धनं नरः करणं कारयेद् वापि सर्वैश्च कृतं भवेत्” बृहस्पतिवचन—व्यवहारस्यूख संभू.समु.प्रक.) तो किसी एकद्वारा अन्यताको सेवार्थं द्रव्य देनेपर न तो देनेवालेका स्वत्व निवृत्त होता है न ही लेनेवालेके पूर्वसिद्धस्वत्वसे अधिक कोई स्वत्व पैदा ही होता है। अतः इन अपवादके उदाहरणोंके छलसे विभक्त स्वत्ववाते किसी एक व्यक्तिद्वारा अन्यको सेवार्थं अपितु किये गये धनसे तनुजासेवा करनेपर तनुवित्तजासेवा सिद्ध हुई नहीं मानी जा सकती; जैसा कि विमर्शकार छल करना चाहते हैं, गुरुद्वारा शिष्यसे द्रव्य लेनेके संबंधमें। गुरु-शिष्योंकी सम्पत्ति यदि अविभक्त हो तो दोनोमेंसे किसी एकके पिताके दिवंगत होनेपर अन्यको दायभागी भी मानना पड़ेगा। जैसे गोस्वामि महाराजके नित्यलीलाप्रविष्ट होनेपर बहुजी-बालकोंकी तरह वैष्णवोंको भी उनके हिस्सेकी संपत्ति मिलनी चाहिये। किसी वैष्णवके भी गोलोकवासी होनेपर गोस्वामी महाराजोंको वहां दायभाग मिलना चाहिये। सम्भवतः ऐसी स्थितिमें जिनजिनका दायभाग गोस्वामि महाराजोंको मिलता है उनउनका सांत्वत्तरिक श्राद्ध भी उनका आवश्यक कर्तव्य हो जायेगा। एवं मृतपुरुषका न चुकाया हुआ ऋण भी चुकाना पड़ेगा: “अविभक्तैः कुटुम्बार्थं यद्वृणं तु कृतं भवेद् दद्युस्तद् रिक्थिनः प्रेतैः” (याज्ञ.सू.व्यव. १।४।८.)

(छ) भगवत्स्वरूपार्थक निवेदित-समर्पित द्रव्यपरसे क्योंकि निवेदन-समर्पणकर्ताका स्वत्व निवृत्त नहीं होता अतः स्वसेव्यप्रभुकी सेवामें ऐसे परद्रव्यके विनियोगपूर्वक स्वयं तनुजासेवा करनेसे तनुवित्तजा सेवा सिद्ध हुई नहीं मानी जा सकती। स्वमागुगामि अधिकारोंका वैष्णवजनोंको आज यह कह कर ही बरालाया जा रहा है कि अपने यहां “भिन्मार्गपरं मतम्” आज्ञानुरोधवशा दान होता ही नहीं, अतः समर्पित द्रव्य-सामग्रीका प्रसाद लेनेमें दोष नहीं है। परन्तु उस स्थितिमें या तो गोस्वामिओंकी सम्पत्तिपर अनुगामि वैष्णवजनताका अविभक्त स्वत्व या अनुगामि वैष्णवजनताकी सम्पत्तिपर गोस्वामिओंका अविभक्त स्वत्व गतेपतित होगा। अन्यथा तनुवित्तजाके स्वरूपका बाध दुपरिहार्य हो जाता है। अर्थात् इस आपत्तिसे बचनेके लिये यदि विभक्तस्वामित्ववाली सम्पत्तियां मानी जाती हैं तो तदनुवित्तजाका स्वरूप ही घटित नहीं होता, जैसाकि किशोरीबाईकी वार्तामें है। और आधुनिक पुष्टिमार्गियोंके सौभाग्यसे, अपने गुटके अन्य अपठित गोस्वामिओंसे विपरीत, क्योंकि विमर्शकारने

वार्तासाहित्यका प्रामाण्य स्वीकार है अतः किशोरीबाईकी वार्ताके प्रामाण्यपर तो पारई सत्ताके द्रव्य अथवा सामग्री का अंगीकार ही पुष्टिप्रभु नहीं करते सो धरा गया भोग प्रसाद ही नहीं रह जाता है।

विमर्शकार एक गजबका छलावा यहां करना चाहते हैं कि “तत्सिद्धये तनुवित्तजा” द्वारा प्रतिपिपादयिषित तो केवल मानसीकी साधिका कौनसी सेवा होती है और कौनसी नहीं होती है —यही है, जबकि पराये (अर्थात् अपारिवारिक या अशिष्य) व्यक्तिसे स्वसेव्यस्वरूपार्थं द्रव्य-सामग्रीके निषेधार्थं किशोरीबाईकी वार्ता है, अतः दोनोंकी प्रतिपाद्य विषयवस्तुमें अन्तर है। आजकी व्यावसायिक दुकानोंपर जैसे ग्राहककी धर्म-जाति नहीं पूछी जाती वैसे ही मंदिरोंमें भेटसामग्रीसंग्रहलोभविषया समाधानी दर्शनार्थी और मनोरथियों की धर्म-जाति नहीं पूछते हैं। ऐसी स्थितिमें ऐसी सेवा पुष्टिमार्गीय कैसे हो सकती है? विमर्शकार छलावा करना चाहते हैं कि कोई पति पत्नीको भगवत्सेवार्थं जैसे द्रव्य देता है एतावता पति या पत्नी के द्वारा अनुष्ठित वित्तजा या तनुजा मानसीकी बाधिका नहीं बन जाती। ठीक इसी तरह गोस्वामी महाराजोंको धनिक वणिक् पुरुषोंद्वारा गोस्वामी महाराजोंके सेव्यस्वरूपार्थं द्रव्य या सामग्री देनेपर भी (अकर्मण्य श्लेषोपम तनुजैकसेवार्थंविषया) महाराजों अथवा वणिकों की मानसीसेवामें कोई प्रतिबन्ध नहीं आता।

द्रव्यसंग्रहैकाभिनिविष्टमति होनेके कारण एक इतनी मोटी बात यहां या तो विमर्शकारको समझमें नहीं आ रही है या फिर जानबूझकर छलावा किया जा रहा है। पति-पत्नीके सेव्यस्वरूप समान हैं तथा पति-पत्नीका जित अविभक्तस्वत्ववाला है अतः पतिद्वारा पत्नीको सेवार्थं प्रदत्त वित्त केवल पतिके ही स्वत्ववाला नहीं अपितु पत्नीके भी स्वत्ववाला है। क्या ऐसा अविभक्तस्वत्व महाराजों और बनियाओं की विभक्त संपत्तिओंपर स्वीकार जा सकता है? यदि हां तो एकदूसरेके ऋणी पिताके देहत्यागके पश्चात् एकदूसरेका एकदूसरेकी सम्पत्तिमें दायभागी होनेसे ऋण चुकानेका उत्तरदायित्व भी स्वीकारना पड़ेगा ही! “रिक्थग्राहः ऋणं दद्याद्” (याज्ञ.सू.व्यव. १।४।७.)

(ज) इससे सिद्ध होता है कि स्वसेव्य-भगवत्स्वरूपार्थं निवेदित-समर्पित द्रव्य या सामग्री परसे क्योंकि निवेदन-समर्पणकर्ताका स्वत्व नष्ट नहीं होता अतः प्रकृतमें इसी एक कल्पमें तनुवित्तजा सेवाका स्वरूप अबाधित रहता है।

(३) क्रयः

क्रयमें विक्रेताके स्वत्ववाली क्रय्य वस्तु क्रेताको क्रेय लगती हो तो वह क्रय्य वस्तुके मूल्यवाले वित्तके विनियमद्वारा स्ववित्तर स्वस्वत्व छूटाम कटके विक्रेताका स्वत्व प्रकट कर्ता है। उसी तरह विक्रेता अपने स्वत्ववाली क्रय्य वस्तुपरसे

अपना स्वत्व छतम करके क्रेताका स्वत्व प्रकट करता है. फलतः द्रव्यका वस्तुनरसे विनियोग होता है. अतएव विक्रीत वस्तुपर क्रेताका स्वत्व अबाधित होनेसे विक्रीत वस्तुका जब वह स्वयं भगवत्सेवामें विनियोग करता है तो तनुवित्तजाका बाध नहीं होता. "बन्धुव्यस्सामंशतो देया दासनामप्ययं विधिः योगक्षेमवतो लाभः समत्वेन विभज्यते" (स्मृ.च.व्यव.अधि.प्रकट). पशु-भूय-दास-दासीकी भी क्योंकि विभाज्य वित्ततया गणना की जाती है अतः सेवोपयिक वस्तु या भूय गृहस्वामिके वित्तरूप होनेसे जैसे घरकी गायका दूध भगवानको भोग धरनेसे अथवा घरकी बैलगाड़ीमें प्रभुको कहीं पधारनेसे गाय या बैल की तनुजा मानी नहीं जाती तद्वद् गृहस्वामिके वेतनक्रीत या मूल्यक्रीत भूय गृहस्वामिके वित्तान्तर्गणित होनेसे उनका भगवत्सेवामें विनियोग तनुवित्तजाका बाधक नहीं होता. यदि आचार्यवंशज-गोस्वामी भी दर्शनार्थी धनिक वणिक जनके वेतनक्रीत या मूल्यक्रीत दास हों तो इनकेद्वारा भगवत्सेवा करनेपर तनुवित्तजाका बाध नहीं होता. ऐसी स्थितिमें गोस्वामिओंके मंदिरोंकी वास्तविक स्वामी होगी दर्शनार्थी जनता. गोस्वामी बनेंगे वेतनक्रीत या मूल्यक्रीत दास. तब तो गोस्वामिओंके सेव्य भगवत्स्वरूपके उपर भी महास्वत्व गोस्वामिओंकी मालिक दर्शनार्थी जनताका सिद्ध हो जायेगा. उदाहरणतया तथाकथित षष्ठिनिधिर स्वत्वके दावेके आधारपर तथाख्यापित षष्ठपीठाधीशता भी दर्शनार्थी जनतामें निहित हो जायेगी। उस स्थितिमें चेतनवित्तरूप गोस्वामिओंका भी गोवृषभसदृश भगवत्सेवार्थ विनियोग अनुमत हो पायेगा. क्योंकि उस स्थितिमें गोस्वामिओंद्वारा स्वतनुस्वतुष्टित भी भगवद्विचरिणी कृति गोवृषभकृतिन्यायेन न तनुजा और न वित्तजा सेवा ही रह जायेगी. गोस्वामी सभीके सभी बिनियोंकी भगवत्सेवोपयिक सम्पत्ति बन जायेगी!

अन्यथा सेवोपयिक वित्तद्वारा परिक्रीत सेवोपयिक सामग्री, चाहे चेतन हो या अचेतन, का स्वकीय भगवत्स्वरूपकी सेवामें विनियोग तनुवित्तजाका बाधक नहीं होगा. कर्ममार्गमें, परन्तु, ऋत्विजोंद्वारा अनुष्ठित कर्मका यजमान जैसे दक्षिण प्रदानद्वारा परिक्रय करता है वैसे भक्तिमार्गीय भगवत्सेवारूप कर्मार्थ अन्याका पीरोहित्य स्वामिमें अविहित होनेसे अकर्तव्य ही होता है. यही बात श्रीपुरुषोत्तमजीने कही है: "नच यागो यजमानस्य विवदात्तुः फलतीति शंख्यं, तत्र ऋत्विग्दक्षिणावप्रादिवद् अत्र तदनादे भक्तिमार्गे भगवता अनुकतत्वात्. अतः तथा न कार्य किन्तु भगवदुक्तरीत्यैव कार्यम्." (सि.मु.वि.प्र.२). आधुनिक पुष्टिमार्गीओंके दुर्भाग्यवशा विमर्शकार (पृ.१५० पर)ने इसका भावतुवाद देकर अपने कर्तव्यकी इतिश्री मान ली! फलितार्थका विचार ही नहीं किया!! उस फलितार्थकी भयंकरता विमर्शकारके विस्मयंकर मौनकी मुखर साक्षी है!!!

इससे सिद्ध होता है कि स्वयंके तनुसे अनुधीयमाना भगवत्सेवामें स्ववित्तक्रीत

चेतनाचेतन वस्तुओंपर स्वस्वत्व स्थापित हो जाता होनेसे उनका विनियोग तनुवित्तजा सेवका बाधक नहीं होता. इस संदर्भमें यह वचन अनुसंधेय है: "गृहजातस्तथा क्रीतो लब्धो दायदुपागतः अनाकालभूतः तद्वद् आहितः स्वामिना च यः मोक्षितो महत्क्षणाद् युद्गाप्रः पणे जितः तवाहमित्युपागतः प्रवृज्यावसितः कृतः भक्तदासश्च कृतेः तथैव वडवाहृतः विक्रेता चालनः शाले पञ्चदशः स्मृतः" (मिता.२।१८२). इसमें सिद्ध होता है कि परिक्रीता-दायदुपागतादि वित्तभेदसदृश दासोंके भी प्रभेद मान्य होते थे अतएव दास वित्तान्तर्गणित वित्तोपम उनका विनियोग तनुवित्तजाके स्वरूपका बाधक नहीं होता.

(४) परायत्तीकरण :

'परायत्तीकरण'का अर्थ न्यायकोशकारने यों दिया है: "तत्कर्तृकनिर्णेजेच्छाप्रकाशको व्यापारः यथा 'रजकस्य वस्त्रं ददाति' इत्यादौ 'ददाति' अर्थ. 'मिणेजं' च मलापकर्षः" (न्या.को.दा.२). वैसे यह एक हकीकत है कि प्रायः धर्मवैतनिक धनिक लोग अपनी कमाईका मलापकर्षण सार्वजनिक मंदिरोंमें प.भ.मनोरथी बनकर करवा लेते हैं. फिर भी परायत्तीकरणको इतने सीमित अर्थमें न लेकर आभूषणमार्गमार्थ स्वर्णकारके स्वरूपानुरोधवश गुणधानार्थ भी स्वकीय वस्तु या द्रव्य को परायत्त बनाया जा सकता है. इन सभी उदाहरणोंमें, परन्तु, स्वत्वनिवृत्ति की नहीं जाती अतः परायत्तीकरणकी प्रक्रियाद्वारा प्रदत्त वित्तसे भगवत्सेवा करनेपर तनुवित्तजाका स्वरूप छंडित होता ही है, वित्तदाताका वित्तके उपरसे स्वत्व निवृत्त नहीं हुआ होनेसे. यह वित्तनिष्ठ अनिवेदितत्व-असमर्पितत्वरूप मलके अपकर्षणार्थ रजकोपस गोस्वामिहस्तमें परायत्तीकरण स्वीकारा जाये अथवा निवेदितत्व-समर्पितत्वरूप गुणातिथयके आधानार्थ स्वर्णकारोपम गोस्वामिहस्तमें परायत्तीकरण स्वीकारा जाये, परिस्थितिमें कोई अन्तर नहीं पडता!

वैसे गुरुके मनोभिलषितकी पूर्तिके लिये गुरुके सेव्य भगवत्स्वरूपके सन्मुख दर्शनार्थी जनता अपनी भेट-सामग्री भगवदायत्त करती है -ऐसी क्लिष्टकल्पना करनेपर भी वित्तदाताने क्योंकि अपने वित्तपरसे स्वत्वनिवृत्तिपूर्वक गुरुस्वत्वापदान नहीं किया है एतावता श्रीपुरुषोत्तमजीके स्ववृत्तिवादस्य "तेन गुरुत्वमेव वृत्तित्वेन फलति. युक्तं चैतद्, अनुपकृत्य परस्वग्रहणे ऋणित्वेन बन्धस्य प्रसंजनात्. किञ्च अतोत्तम्यं अमृताभ्यायाः अयाचितवृत्तेः उक्तत्वात् तस्यामपि शिष्यस्यैव ग्राह्यं न इतरस्य तु - एवं संकोचे तस्यामपि प्रशस्तत्वसिद्धिः" वचनानुरोधवशा आगौरवमयी पदव्योपजीविनी वृत्तिके अपरतदवशा ऋणित्वेन बंधप्रसंग तो वज्रलेपायित ही है. स्वयं बद्धैकरुचि अन्यका उद्धार क्या करेगा! "आजीवन्यं स्वेच्छया दण्डो दाय्यस्तथापि सोदयं याचिताःनवाहितन्यासनिक्षेपप्ययं विधिः" (याज्ञ.स्म.व्यव.३।६९) की व्याख्यामें यहां स्पष्टव्याय कहा गया है कि 'याचित' = किसी छोटे-मोटे कामके लिये मांगी

गई कोई वस्तु. 'अन्वाहित' = किसी आर्थिक कष्टमें फंसे हुए व्यक्तिद्वारा गिरवी रखी हुई वस्तु; अथवा किसी वस्तुके प्रतिग्रहप्रसंगमें केवल प्रतिग्रहीतनयनार्थ ही उपकरणत्वेन प्रदत्त अन्यथा अप्रदत्त वस्तु. 'न्यास' = किसी निर्दिष्ट स्वरूपवाली वस्तु जो केवल रक्षणार्थ सौंपी गई हो. 'निक्षेप' = किसी एक व्यक्तिद्वारा किसी दूसरेको देनेके लिये तीसरेके हाथोंमें सौंपी गई वस्तु. इनसे जो अपनी आजीविका चलाता हो तो शासकका कर्तव्य है कि ऐसे व्यक्तिको दण्डित करके उसके पाससे द्रव्य या वस्तु खींसकर सच्चे मालिकको लौटा दे.

इससे सिद्ध होता है कि परायत्तीकरणकी प्रक्रियाद्वारा लब्ध वित्त प्रतिदेय होनेसे तनुवित्तजाका स्वरूपसाधक नहीं है.

अतएव शास्त्रमें कहा गया है—

“वर्तते यस्य यद् हस्ते तस्य स्वामी स एव न।

अन्यस्वमन्यहस्तेषु चोद्यथैः किं न वर्तते ? ॥

तस्माच्छास्तएव स्यात् स्वाम्यं नानुभवादपि।

नच स्वमुच्यते तद्वत् स्वेच्छया विनियुच्यते ॥

विनियोगापि सर्वस्य शास्त्रेण नियम्यते ॥”

(स्मृतिचन्द्रिका व्यव.कां.पृ.६००-६०१)

कहाँ धर्मशास्त्रोंका यह उदात्त आदर्श और कहां विमर्शकारका अधोलिखित कैतव—

(४) “गुरुकी आज्ञा प्राप्त होनेपर गुरुधर्ममें जब वैष्णव गुरुधर्मके ठाकुरजीका दर्शन करते हैं तब...उपायनद्रव्यका अर्पण—ये दोनों गुरुकी आज्ञाके पालनके रूपमें होनेसे गुरुसन्तोषजनकक्रियात्मक होनेसे गुरुसेवाके अन्तर्गत ही है, गुरुसेवाके बहिर्भूत नहीं. गुरुधर्मके ठाकुरजीके लिये वैष्णवोंद्वारा गुरुको अर्पण किये जानेवाले गुरुधर्म स्वत्व नहीं रहता और न तो ठाकुरजीका ही स्वत्व रहता है. इस विषयमें सबसे दृढ प्रमाण यह है कि गुरुधर्ममें ऐसे द्रव्यको पृथक् रखनेकी व्यवस्था नहीं रही न है.” (विमर्श पृ.१३८)

(४) “गुरुका पूर्णस्वत्व स्थापित होनेपर देवद्रव्यभक्षण किंवा देवद्रव्यग्रहण का प्रसंग नहीं है. जहांपर गुरुका पूर्णस्वत्व स्थापित न होता हो वहांपर मनोरथसंपादनके लिये प्राणद्रव्यका भगवत्सेवामें विनियोग होनेपर महाप्रसादग्रहणमें कोई दोष नहीं. परन्तु यहां यह विशेष ध्यातव्य है कि मनोरथसंपादनके लिये प्राणद्रव्य ठाकुरजीका उपानयनद्रव्य न हो, तथा ठाकुरजीको ‘तुभ्यमहं सम्प्रददे न मय’ कहकर दान किया न हो.” (विमर्श पृ.१४०)

(४) वचनमें देवार्थ उपायनपर गुरुका निर्हेतुकस्वत्व मान लिया गया है.

(४) वचनमें उपायन न हो तो देवद्रव्य नहीं होता ऐसा कहा जा रहा है.

पृ.१४६पर श्रीमहाप्रभुमें क्यों नहीं सोनेकी कटोरी गिरवी धरनेपर प्रसाद लिया उसका थुतकारण—“जो कटोरी धरिके सामग्री आई सो तो भोग श्रीठाकुरजी आपहीके द्रव्यको आपही आरोगे सो आपहीको भयो. जो श्रीठाकुरजीको द्रव्य खाग्यो सो मेरो नाहि अरु मेरो सेवक भगवदीय (क्योंकि आधुनिक गोस्वामी तो भगवदीय नहीं होते, स्वयं पुरुषोत्तम होते हैं) होग्यो सो देवद्रव्य कन्नू न खाग्यो. जो खाग्यो सो महाप्रतिष्ठ होग्यो. तातें वा प्रसादमेंते भोजन करवेको अपनो अधिकार न हतो.”—छोडकर प्रकृतमें सर्वथा अश्रुतकारणकी कल्पना कि “दाने हि न स्वविनियोगः” नियमवशात् आपने प्रसाद न लिया और श्रीमहाप्रभुके दुखी होनेसे दुःखित वैष्णवोंने भी नहीं लिया! इसी तरह जहां न्यासप्रलेखद्वारा गुरुने स्वत्व निवृत्त कर दिया हो वहां निवृत्ति अज्ञानकृत एवं बलकृत होनेसे स्वत्व अनिवृत्त ही रहता है. स्पष्ट है कि यह अज्ञान पैसा कैसे कमाना उसका नहीं है क्योंकि उसके तो अनेकानेक उपायोंके आधुनिकगुरु महाविज्ञ होते हैं. अज्ञान केवल सिद्धान्तका होता है और निर्बलता अर्थोपार्जनार्थ मिथ्याप्रलेख कर स्वात्मा, स्वानुगामी तथा स्वदेशशासनको छलनेमें नहीं परन्तु केवल अपनी शुद्ध चरणभेदपर यदृच्छालाभसंतुष्ट होनेकी निर्बलता विवक्षित है. अन्धता अज्ञानी अस्वधर्मप्रणयण अर्थकाभिनिवेशी और गुरु तो तमप्रकाशवामु होने जैसी विरुद्धधर्मार्थयी पुरुषोत्तमता ही हो सकती. अपना तो भागवतमूलक प्रोज्जितकैतव धर्म (!) है न? अस्तु, भगवदिच्छेव बलीयसी सर्वोद्धारविरोधिनी!

अतः परायत्तीकरणकी प्रक्रियाद्वारा प्राप्तद्रव्यसे न तो तनुवित्तजा संपन्न हो सकती है और न स्वोपभोग और न किसी दूसरे कीर्तनियोजीके सदृशको दान ही.

वैसे यदि गुरुको ही उद्देश्य बना कर दिये जानेवाले वित्तदानको गुरुके सेव्य भागवत्स्वरूपके सम्मुख परायत किया जा रहा है—ऐसी अद्ययावत् किसी भी दर्शनार्थी वित्तदाताके मनोव्यापारकी अविषयीभूता कल्पना भी “तुभ्यं दुर्जन” न्यायेन करते हैं, तब भी स्वयं मेरे पास सुतकी हवेली तथा यहां श्रीयदुनाथजीकी हवेलीकी रसीद एक व्यक्तिने दोनों मंदिरोंके समाधानीके आवाजकी केसेट रेकोर्डके साथ सौंपी है, जिनमें यहां बंबईमें गुरुभेदके अलावा श्रीठाकुरजीकी भेट-सामग्रीकी अलग अलग रसीदें हैं जो इस बातका प्रमाण है कि गुरुसेवान्तर्गत श्रीठाकुरजीकी भेट-सामग्री नहीं ली जा रही. सुतके समाधानीके केसेटमें यह कहा है कि महाराजश्रीको भेटे धनीं हो तो उपर जाओ, यहां तो श्रीठाकुरजीकी ही भेट-सामग्रीके रुपये लिये जाते हैं. पर श्रीठाकुरजीकी किस सेवाके लिये ले रहे हैं—ये लिखके नहीं देंगे क्योंकि कानूनी लफड़े हो जाते हैं. अस्तु.

वैसे इस सारे कैतवका घटस्फोट श्रीपुरुषोत्तमजीकी यह पंक्ति कर देती

है: "दानं नाम स्वत्वपरित्यागपूर्वकः परस्वत्वोत्पादाननुकूलः 'तुभ्यम्हं संप्रदे न माम' इत्यादिशब्दाभिव्यंग्यो (न तु शब्दोच्चारणयत्परूपो, अन्यथा समर्पणेपि तादृशशब्दोच्चारणभावे समर्पणभावप्रसक्ते: दुरुद्धत्वात् - गो.श्या.म.) मनोव्यापारः (न तु वाक्योपास - गो.श्या.म.) तस्मिन् कृते सति 'हि' निश्चयेन 'न स्वविनियोगः' दत्तापहारदोषोत्पादकत्वात्. निवेदनं तु तदीयत्वानुसंधानपूर्वकः स्वत्वाभिमानत्यागापानुकूलः 'तुभ्यम्हं समर्पयामि निवेदयामि' इत्यादिशब्दाभिव्यंग्यः तद्विलक्षणो मनोव्यापारः. तस्मिन् कृते तु न स्वविनियोगो दोषाय, दत्तापहारदोषोत्पादकत्वात्. तत्र गमकमाहुः 'अन्यथेत्यादि. यदि स्वत्वत्यागपरस्वत्वोत्पादानुकूल्योः दाने निवेदने च तु तुल्यतायामपि कश्चिद् विशेषो न स्यात् तदा पुराणेषु अनिवेदितस्य निषिद्धत्वात् निवेदितानादे भोजनं नोक्तं स्यात्." (नव.विज्.प्रका.१.). इस विमर्शकतवकी धर्मवत्सलता(!)का यह मुखर प्रमाण है कि दान-निवेदन दोनों ही विमर्शकार भागवद्विनियोगानन्तर उपभोगको प्रशस्त मान रहे हैं. ऐसे ही 'न स्वनियोगः' और 'न विनियोगः'का महान विमर्शाडम्बर भी एकत्र दत्तापहारदोषोत्पत्ति अपत्र दत्तापहारदोषोत्पत्ति के वैलक्षण्यसे स्वतः प्रत्याख्यात हो जाता है. क्योंकि यहां स्व-परोपभोगके स्वकृत या परकृत उभयत्र ही समानभावसे प्रवृत् एवं निवृत् होता है. शब्दोच्चारके कर्माडंबरनियतिकी हास्यास्पद कल्पना तो केवल बाललीला ही है!

(५) न्यास :

"एजचौरभयाद् दयादानाञ्च वचनत्वात् स्थाप्येत्यङ्गोहै ब्रह्म न्यासः तत्परिकीर्तितम्" (ब्र.बृहस्पतिवचन - स्मृ.चन्द्र.निक्षे.स्था.) वचनानुसार यह स्पष्ट है कि न्यासी वित्तदाता अपने स्वत्वकी सुरक्षाके लिये किसी दूसरेको जब वित्त देता है-सौंपता है, तब वित्तपरसे उनका स्वत्व निवृत्त नहीं होता. अतः ऐसे वित्तका भावत्सेवामें विनियोग मानसीसाधिका. तनुवित्तजाके स्वरूपका नाशक होनेसे तथा परद्व्यपहरणके दोषका भी जनक होनेसे यह कल्प तो प्रकृतविज्ञारोपयोगी नहीं है।

फिर भी धर्मशास्त्रामूलक आधुनिक कर्तृभानुः कानुनोंसे अपनी सेवोपयोगिसम्पत्तिकी सुरक्षा करनेको बनाये गये सार्वजनिक ट्रस्ट, डीड कि जिसमें ट्रस्टनिर्माता गोस्वामी स्वयं प्रलेख कर देते हैं कि सेवास्थल उनका निजी गृह नहीं - सार्वजनिक देवालया है - सेवोपयुक्त वित्त करधानाहं नहीं क्योंकि उनका नहीं प्रत्युत जनताका जनताके प्रतिनिधि ट्रस्टऑके सहयोगसे संचालित भगवत्स्वामिक वित्तसे अनुष्ठीयमाना सेवार्थ है इत्यादि-इत्यादि. ऐसे सब मिथ्या प्रलेख अज्ञानवश या प्रशासनभवश निर्मित हुए होनेसे उनके वास्तविक स्वरूपके बाधक नहीं होते. इस सन्दर्भमें विमर्शकारके द्वारा किया गया कुशाकाशवलम्बन जितना अविचारितरमणीय है वह विमर्शकतव्यके समान अन्य वक्तव्यको बिम्बप्रतिबिम्बभावसे देखनेपर पता चलेगा.

विमर्शविम्ब

जो लोग समझते हैं कि बंद कमरेमें भगवत्सेवा करना ही भगवत्सेवा है वे स्वयं भ्रममें हैं. क्योंकि बंद कमरेमें जो भगवत्सेवा होती है वह न्यायालयकी परिभाषामें सदा गृहसेवा ही रहेगी - इस बातकी कोई शाश्वती नहीं है...मान लीजिये कि कल ऐसे लंपट बलात्कारी गुंडे कभी पहोंन कहीं पायेंगे - इस बातकी कोई शाश्वती नहीं है...मान लीजिये कि कल ऐसा नियम बना कि "भगवत्सेवा जहां होती हो वह स्थल सार्वजनिक होता है." फिर भगवत्सेवा बंद कमरेमें हो या बंद कमरेमें न हो, वहां दर्शनार्थ लोग आये या न आये वह सेवा सार्वजनिक ही है. तब क्या करना? (विमर्श पृ.१८२).

...देवदर्शनके लिये लोगोंके आने मात्रसे स्थल सार्वजनिक नहीं हो जाता. सार्वजनिक स्थल एवं गृहकी परिभाषा धर्मशास्त्रानुसार ग्राह्य है न कि अधार्मिक न्यायालयीय निर्णयानुसार (परिभाषा) ग्राह्य है. अतः सम्प्रदायमें आज भी तत्तत् स्थलोंमें होनेवाली सेवा गृहसेवा ही है, सार्वजनिक नहीं. जिन स्थलोंमें आपत्तिकालीन व्यवस्थाके रूपमें भगवत्सेवोपयुक्त सम्पत्तिके रक्षणार्थ ट्रस्टका बाह्य स्वरूपमात्र दिया गया तथा मनसे ट्रस्ट न बनाया गया हो वहांकी सेवा गृहसेवा नहीं - ऐसा भी नहीं कहा जा सकता. जिन स्थलोंमें अज्ञानसे या बलजबरीसे ट्रस्ट

विशोधनप्रतिबिम्ब

जो पति समझते हैं कि बंद कमरेमें पत्नीका पुरे रहना. पत्नीके शीलकी सुरक्षा है...वे स्वयं भ्रममें हैं क्योंकि बंद कमरेमें जो पत्नियां पुरी रहती हैं वहां लंपट बलात्कारी गुंडे कभी पहोंन कहीं पायेंगे - इस बातकी कोई शाश्वती नहीं है...मान लीजिये कि कल ऐसे लंपट बलात्कारी गुंडे ऐसी दुर्गवना बांध ले कि बंद कमरेमें पुरी रहनेवाली किसी भी सुरील पत्नीके शीलको भ्रष्ट ही करना तो फिर कोई पत्नी बंद कमरेमें पुरी रहती हो या न हो, उसके घरमें वह लंपट बलात्कारी गुंडोंको घुसने दे या न दे, उसका शील तो लंपट बलात्कारी. भ्रष्ट करेगा ही. (एक स्त्रीरणीकी डायरीके पृ.१८२ पर).

...लंपट बलात्कारी गुंडोंको अपने घरमें आनेमात्र देवेमें किसी सुरील गृहवधूको दुःशीला नहीं माना जा सकता. सुरीलता एवं दुःशीलता की परिभाषा धर्मशास्त्रानुसार परिभाषाके अनुसार. अतः पासपडीसमें आज भी जिन गृहिणियोंके पास लंपट बलात्कारी गुंडोंका आना-जाना बना हुआ है उन सभीको सुरील गृहवधू ही समझना चाहिये, वारवधू नहीं. जहां कहीं आपत्तिकालमें किसी गृहवधूको लंपट बलात्कारी गुंडोंको अपना तन बाहररूपसे मात्र समर्पित करना पडा परन्तु मनसे लंपट बलात्कारी गुंडोंको अपना तन समर्पित न किया हो उन्हें भी वे सुरील गृहवधू नहीं - ऐसा भी कहा नहीं जा

बनाये गये हों वहानके ट्रस्टका तो कोई अस्तित्व ही नहीं. अतः ऐसे स्थलमें होनेवाली सेवा गृहसेवा नहीं - ऐसे भी कहा नहीं जा सकता है. (विमर्श पृ. १८३)

जा सकता. जिस गृहवधुका पातिब्रत्यधर्मके अज्ञानवशा या ^१बलाजबरीसे शीलभ्रष्ट किया गया हो वहां तो चरित्रभ्रष्टताका कोई प्रसंग ही नहीं है. अतः ऐसी सभी गृहवधु परमसुशील पातिब्रत्य-धर्मपरायणा नहीं - ऐसे भी कहा नहीं जा सकता है. (एक स्वैरिणीकी डायरीके पृ. १८३ पर)

१. "बलाद् दत्तं बलाद् भुक्तं बलाद् यच्चापि लेखितम् सर्वान् बलकृतानर्थानि कृतान्मनुखवीत" (मनुस्मृ. ८।१६८.)

वैसे मयूखकार स्पष्ट शब्दोंमें कहते हैं कि "(दायनिर्णयोपयोगिस्त्वत्वं) तच्च क्रयप्रतिग्रहादिजन्यशक्तिविशेषः. तत्कारणता तु लोकव्यवहारादेव गम्यते, न शास्त्रात्. तदनभिज्ञानामपि तद्दर्शनाद् इति तल्लोकसिद्धिकारणानुवादकं स्वामित्वध्वंसमात्रेण यत्त्वस्य भवति तस्मिन् रिक्थमिति प्रयुज्यते लोकः." (व्यवहारायूख. स्वत्वनिरूपणम्.)

यदि धर्माचार्य स्वयं न्यासप्रलेख करता है - न्यासप्रलेखानुसार स्वयं आचरण करता है तथा अन्योको भी वैसा ही उपदेश देता है तो ३-४ पीढीमें उसका शिष्टाचारपामण्य भी सिद्ध हो ही जायेगा, जो विमर्शकारका विचारसर्वस्व है. जबकि धर्मशास्त्रके अनुसार कोई धार्मिक प्रशासक निर्णय भी लेने जायेगा तब "प्रमाणं १लिखितं २भुजितः ३साक्षिणश्चेति कीर्तितम्" (याज्ञ. स्मृ. व्यव. १।१२२) वचनानुसार १न्यासप्रलेखपत्र तदनुसार २जनसाधारणद्वारा उस स्थलका धार्मिक उपभोग और ३साक्षि - तीनों ही मिल जायेंगे. तब धर्मतः क्या न्याय था और क्या अन्याय कैसे पता चलेगा? क्योंकि धार्मिक प्रशासक भी धर्मशास्त्रानुसार ही न्याय देगा. यथा -

"परशतोऽहुवतो भूमेर्हानिर्विशितावार्षिकी।

परेण भुञ्जथमानाया धनस्य दशवार्षिकी॥"

तो जहां पचीस-पचीस वर्षोंसे सार्वजनिक अर्थात् सर्वजनस्वामित्वके विरुद्ध अर्थतोलुप-धैर्ण-कापुरुष धीर बनकर आवाज न उठाई जाये और बादमें ऐसे अधर्मका समर्थन खुदपर हुए अत्याचारके बहानेके द्वारा किया जाये कि "सर्वान् बलकृतानर्थानि कृतान् मनुखवीत" तो वह धर्मनिर्णय होगा कैसे?

क्यों मनुके - "नेहेतार्थान् प्रसंगेन न विरुद्धेन कर्मणा। न विद्यमानेष्वर्थेषु नान्यायमपि यतस्ततः (मनुस्मृ. ४।१५)" वचनानुसार अपनी चरणभेटसे सन्तुष्ट रह कर अपने सेव्यप्रभुपर अपना कानूनी स्वत्व रखनेकी वियुद्ध भावना नहीं है? क्यों सेवोपयोगि साम्प्रतिकी सुरक्षाके लिये सेव्यपरसे कानूनी दावा निरस्त हो जाये इस हद तककी

अर्थाभिनिवेशिता रखी जाती है? क्या कोई पति, अपनी सर्वाभरणभूषिता पत्नीका अपहरण कोई गुडे अर्थ-कामवासनापूर्वक कर रहे हों तो, "पत्नीको चाहे ले जाओ परन्तु उसे सुख पहुंचानेवाले आभूषणोंको छोड़ दोगे तो यह स्त्री मेरी पत्नी नहीं तुम्हारी है" - ऐसा प्रलेख करेगा? यदि नहीं तो स्वसेव्य प्रभुस्वरूपसे अधिक क्या सेवोपयोगि सम्पत्ति हो सकती है? यह कैसा कैतबनाल फैलाया जा रहा है! इसके दुपपरिणाम क्या होंगे यह कभी स्वार्थान्यको त्याग करके हमें विचारना है कि नहीं?

अतः विमर्शकेतव धर्मार्थ नहीं परन्तु धनार्थ है यह सुस्पष्ट है. अन्यथा पुत्रोपम शिष्योंकी कर्हा बहुजीअंगपर कुटुम्बि न पडे अतः अपनी बहुजीओंको गोस्वामिगण जननेमें = परदेमें रखते हैं! अपने ठाकुरजीका नाममें प्रदर्शन वह धर्मनुमोदित है या नहीं - के विचारको भूलकर भी देखें तो कुछ और ही बात समझमें आती है. जनताके लिये जनताके द्रव्यसे चलते मंदिर सार्वजनिक ही होते हैं ऐसे कानूनोंके रहते हुए भी अपने सेव्य भगवत्स्वरूपकी रक्षाके लिये व्यग्र होनेके बजाय जनताके लिये जनताके द्रव्यसे जनताके स्वत्वका न्यासप्रलेख भी करनेकी ककालत करते आज हम लज्जित नहीं होते - यह आश्चर्यकी बात है! प्रतीत होता है हमारी परम आराध्य जनता है और जनार्दन तो केवल जनाराधनार्थ एक वृत्युपाय!

(६) निक्षेपः

निक्षेपकी परिभाषा याज्ञवल्क्यस्मृतिके व्यवहाराध्यायके उपनिधिप्रकरणमें ६९वें श्लोककी व्याख्यामें, "निक्षेपो अन्यहस्तएव यद् अन्यस्मै देयत्वेन निक्षिप्तम्" कहकर दी है. परन्तु व्यवहारमयूखने नारदोक्त "स्वद्रव्यं यत्र विश्रंभान्निक्षिपत्यविश्रिकितो निक्षेपं नाम तद्रोक्तं व्यवहारपदं बुधैः, असङ्ख्यातमविज्ञातममुदं यन्निधीयते तं जानीयाद् उपनिधिं निक्षेपं गणिकं विदुः" वचन देकर "यो निक्षेपं नार्पयति यश्चानिक्षिप्य याचते तावुभी चौरवत् शार्वी दाप्यी वा तत्समं दमम्" मन्सूत वचनद्वारा निक्षेपपहारीको चौरवद् दण्डनीय भी माना है. अतः अन्यार्थनिक्षेप अथवा स्वार्थनिक्षेप - यों दो प्रभेद भी उनके मान लें तो अन्यार्थ निक्षिप्त तत्स्वामिक बन जाता है; जहां निक्षेपदाता या निक्षेपहीता के स्वामित्वका कोई प्रसंग नहीं. स्वार्थ निक्षेपमें निक्षेपदाताने अपना स्वत्वत्याग नहीं किया होता है. अतः ऐसे निक्षिप्त वित्तका भगवदर्थ विनियोग तनुचित्तजाके स्वरूपका तो विघातक होता ही है. अन्तर इसमें केवल यही है कि अपवादरूपेण भगवदर्थ निक्षिप्त वित्तसे भी आपत्तिकालमें अपवादरूपेण भगवत्स्वैवाका अनुष्ठान संभव है. विमर्शकारद्वारा, परन्तु, 'गोमयापायसं न्यायेन प्रस्तावित "भगवदुपभोगात्प्राक् देवद्रव्यत्वेन अनुपभोगार्हता तथा भगवदुपभोगानन्तर भगवत्प्रसादत्वेन उपभोगार्हता" व्यवस्था तो शुद्ध अकाण्डतापडव है. क्योंकि उस

स्थितिमें निवेदन-समर्पण और दान(अपने समस्त अन्तार उपभेदों सहित)के बीच कोई अन्तर ही नहीं रह जायेगा. फिर तो श्रीमहाप्रभुद्वारा उसे "दत्ताग्रहारवचनं तथा च सकलं हृदं न ग्राह्यमिति वाक्यं हि निन्मार्गर्षं मतम्" (सि.र.६) कहना और "असमर्पितवस्तुनां तस्माद् वर्जनमाचरेद्" (सि.र.४) कहना सर्वथा निष्प्रयोजन कथन सिद्ध होगा क्योंकि समर्पणान्तर अर्थात् भगवदुपभोगान्तर दत्त निक्षिप्त उपाहृत उपायनीकृतका अन्तर पूजा तथा भक्तिके मार्गभेदवशा नहीं परन्तु भगवदुपभोगवशा तथा भगवदुपभोगवशा ही सारी बातोंका समाधान हो जाता है.

भगवदर्थ निक्षिप्त भेट-सामग्रीपर जो गोस्वामिओंका निरंकुश स्वत्व हो, जैसा कि आभास विमर्शकार पैदा करना चाहते हैं, तो आगामी संस्कारणोंमें घरवातका सोमाकी कटोरीवाला प्रसंग, चौरासी वैष्णववातके अन्तर्गत संतदासकी वार्ता, २५२ वैष्णवोंकी वातके अन्तर्गत विश्वरोडाईकी वार्ता, आशकण्णदासकी वार्ता प्रसंगोंको मनस्वी संशोधन-परिवर्धन-परिवर्तनके साथ प्रकाशित कत्वाना पडेगा. जैसे २५२ वैष्णवोंकी वार्ताकी किसी भी प्रतिमें सातस्वरूपान्तर्गत स्वसेव्य श्रीबाकृष्णलालजीका नाम न होनेपर भी कुछ वर्ष पहले संशोधित-परिवर्धित संस्करण प्रकाशित कत्वा दिया था! (इस षष्ठनिधिप्रयुक्त षष्ठीपाठाधीशतावादाका विस्तृत विचार "पुष्टिमार्गीय पीठाधीशः स्वरूप और कर्तव्य" नाम्ना प्रकाशित ग्रंथमें श्रुतिप्रकरणके प्रकाशनके बाद अब स्मृतिप्रकरण-सदाचापकरण का विचार क्रोडाक्रीडनकक्रीडाविभंगके परिशिष्टतया आगामी परिच्छेदोंमें किया जायेगा.)

प्रकृतमें अवधेय यही है कि स्वत्वकी प्रामाणिक परिभाषा क्या होनी चाहिये — इसपर शास्त्रकारोंके प्रस्थानभेद दृष्टिगोचर होते हैं :

स्वत्वम् — (क) यथेष्ट विनियोगोय्यता — ऐसा प्राचीनोंका कहना है. जैसे "चैत्रका धन" कहनेपर धनपर चैत्रनिरूपित स्वत्वका निरूपण हो रहा है. यथेष्ट विनियोगोय्यता शास्त्रतः अनिषिद्ध विनियोगोय्यता, जो क्रय प्रतिग्रह आदि हम करते हैं, उसका विषय (अर्थात् क्रीत या प्रतिग्रहीत) होना है. यह बहिरिन्द्रियवेद्य गुण नहीं होता क्योंकि प्रतिग्रहादि मानसज्ञानविशेषरूप होते हैं अतः बहिरिन्द्रियग्रहणयोग्य नहीं होते.

यहां कुछ विविध प्रस्थान दिखलाई देते हैं यथा 'स्वत्व' वस्तुनिष्ठ गुणधर्म है या अलौकिक गुणधर्म? स्वत्व शाश्वतसमधिगम्य होनेसे वस्तुनिष्ठ है — ऐसा जीमूतवाहनादिका पक्ष है. लोकप्रसिद्ध होनेके कारण लौकिक गुणधर्म ही है — ऐसा विज्ञानेश्वरमित्र मिश्र आदिकृा पक्ष मित्ताक्षरावीरमित्रोदयमें निरूपित हुआ है...

(ख) 'स्वत्व' क्रय-विक्रय क्रियाओंमें किसी भी द्रव्यका यथेष्ट विनियोजक

धर्माविशेषरूप होता है. इसे यथेष्टविनियोगोय्यतारूप केवल नहीं माना जा सकता — ऐसा दीधितिकार आदिका नवीन पक्ष है. यह स्वत्व दानादिसे भट होता है तथा प्रतिग्रहादिसे जन्य होता है. प्रतिग्रहादि क्रियाओंके नाशके बाद भी स्वत्वव्यवहार होता होनेसे दानसे स्वत्व नष्ट होता है तथा प्रतिग्रहादिसे उत्पन्न होता है. अतएव भाविवस्तुपर स्वत्व सम्भव है.अन्यथा प्रतिमास प्रतिवर्ष देयत्वेन प्रतिश्रुत धान्यादि भावि पदार्थ हैं वहां स्वत्व उत्पन्न हो नहीं पायेगा. कुछ लोग "मैं अपने स्वत्ववाले घरको देख रहा हूँ" अनुभवसायके आधारपर इसे प्रत्यक्षगम्य मानते हैं और कुछ लोग अनुमानगम्य. (न्यायकोशः 'स्वत्वम्').

कुल मिलाकर बात इतनी इस विवेचनके आधापर समझी जा सकती है — धर्मोपयिक अलौकिक स्वत्व धर्मशास्त्रसिद्ध ही होता है लोकसिद्ध नहीं तथा शास्त्रतः अनिषिद्ध लौकिक व्यवहारोपयिक स्वत्व लौकिक प्रत्यक्ष, अनुमान या ऐतिहासिक सिद्ध होता है. यथा धर्मपत्नीत्व धर्मपुत्रत्व धर्मोपयोगिशुद्धि धर्मशास्त्रसिद्ध विवाहसंस्कार दत्तकविधि मार्जनादिशुद्धिविधि द्वारा होती है तथा लौकिकभार्यात्व लौकिकक्रीतपुत्रत्व लौकिकशुद्धि लौकिकप्रमाणसे गम्य होती है. शास्त्रतः अनिषिद्ध लोकव्यवहारका औचित्य अथवा अनौचित्य लौकिक प्रमाणोंसे ही सिद्ध होता है.अतएव षष्ठनिधित्वमूलक षष्ठीपाठाधीशत्वसिद्धिके लिये लौकिक न्यायालयोंकी शरणमें जानेको अपने अनुयायिओंको प्रेरित करना पडा था, जब बडौदामें गो. श्रीद्वारकेशजीकी षष्ठीपाठाधीशताया तिलकविधि हुई थी.

अतः लोकमें अन्यार्थ निक्षिप्त भेट-सामग्रीपर गोस्वामिओंका अकारण निरंकुश स्वत्व स्वीकार लेना न शास्त्रसिद्ध है और न लोकसिद्ध है. ऐसी स्थितिमें विमर्शकारका यह कथन कि गोस्वामिओंके घरमें उनकी आज्ञासे उनके ठाकुरजीके लिये उपायन गुरुसेवाके अन्तर्भूत होता है — केवल छल है. क्योंकि (१) स्वनिमित्तक भगवत्संप्रदानक उपायनीकृत पर्वित्तका यह परिग्रह है या (२) भगवन्निमित्तक स्वसंप्रदानक प्रतिग्रह?

(१) यदि स्वनिमित्तक भगवत्संप्रदानक उपायनीकृत पर्वित्तका परिग्रह हो तो जैसे स्वनिमित्तक स्वकन्यासंप्रदानक स्वबन्धुबान्धवकर्तृके उपायनपर स्वयं पिताका नहीं परन्तु कन्याका स्वत्व उत्पन्न होगा जिसका उपभोग करेपर कन्याद्रव्यपहारी पिता बनता है. वैसे ही गोस्वामीका स्वत्व नहीं परन्तु श्रीठाकुरजीका ही स्वत्व उत्पन्न होगा. गोस्वामीके हाथोंमें वह केवल निक्षिप्त ही माना जायेगा. ऐसी स्थितिमें —

मूलः गुर्वर्थं दास्युज्जिह्वीर्षन् अर्चियन् देवतातिथीन्।

सर्वतः प्रतिगृहीयाद् न्तु तुयेत् स्वयं ततः ॥

अनुवादः गुर्वर्थं, विवाहार्थं, देवतार्चनार्थं, अतिथ्यर्चनार्थं किसीसे भी प्रतिग्रह किया जा

सकता है परन्तु उसके उपभोगसे स्वयंको तृप्त नहीं करना चाहिये, (वासिष्ठवचन याज्ञ. स्मृ. बा. क्री. आचार. १।२१३में उद्धृत).

मूल : यः स्वदत्तां परे दत्तां हरेत सुखविप्रयोः ।
वृत्तिं स जायते विडभुग् वर्णगामयुतायुतम् ॥ (भाग. १।१२।७।५४).

अनुवाद : स्वप्रदत्त या पण्डित सुखवृत्ति (अर्थात् देवताराधनार्थ निक्षेप) का अथवा विप्राजीविकार्थ निक्षेपका जो हरण करता है वह अयुतायुत वर्षोपर्यंत विडवा खानेवाला (शूकर) बनता है।

मूल : चिकित्सका-देवलकान्मांसविक्रयिणस्तथा ।
विपणेन च जीवन्तो वर्ण्याः स्युः ह्यव्यकथ्ययोः ॥ (मनुस्मृ. ३।१५२).

यहां व्याख्या करते हुए (१) मेधातिथि (२) सर्वज्ञनारायण (३) कुल्लुक (४) राघवान्द्र (५) नन्दन (६) रामचन्द्र (७) मणिराम तथा (८) गोविन्दराज - सभी व्याख्याकार एकमत हैं. यथा क्रमशः (१)... 'देवलकः' प्रतिमापरिचाराकः आजीवनसम्बन्धेनैतौ प्रतिपिष्येते. (२) 'देवलकः' धर्माथं देवार्चनम्. (३) 'देवलः' प्रतिमापरिचाराकः वर्तमानमेवैतत्कर्म कुर्वतोऽयं निषेधो नतु धर्माथम्. (४) 'देवकोशोपभोजी च नाम्ना देवलको भवेद्' इति देवलेने निर्णीताः. (५) 'देवकोशोपजीवी तु नाम्ना देवलको भवेद्' इति स्मृत्यन्तरवचनम्. (६) धर्माथं तु चिकित्सकदेवलकयोः दोषाभावः. (७) 'देवलः' प्रतिमापरिचाराकः 'देवकोशोपभोगी च नाम्ना देवलको भवेद्' इति देवलवचनात् एतत्कर्म कुर्वत एवायं निषेधो ज्ञेयः. (८) 'देवलकः' प्रतिपिषेधो न धर्माथं तत्र विहितत्वात्.

ये स्वार्थप्रतिष्ठापित देवकी आजीविकार्थ आराधना करनेवाले अर्थात् स्वार्थप्रतिष्ठापित देवसंप्रदानक निक्षेपके उपभोग करनेवालोंको उद्देश्य करते हैं, उत्सर्गतया. अपवादतया परार्थप्रतिष्ठापित देवसंप्रदानक अनन्य-वक्ष-पुण्य निवेदित-समर्पित या मालासदृशा भगवतुपभुक्त वस्तुओंके भगवत्प्रसादत्वेन उपभोगकी निन्दनीयताका प्रमाण नहीं है अर्थात् पूर्वोक्त उत्सर्गका अपवाद है. परन्तु परार्थप्रतिष्ठापित देवमूर्तियोंको ही किसी वित्तादाताद्वा देवमूर्तिस्वत्वोत्पत्त्यर्थं उपाहृत-उपायनीकृत रजतसुवर्णभूमिकूपक्षेत्रादिका अपहरण देवद्रव्यापहारदोषोत्पादक होता ही है.

अतः या तो गौस्वामिओंको अपने आराध्य भगवत्स्वरूपको परार्थप्रतिष्ठापित सार्वजनिक देवालयेमें बिराजमान मानकर स्वयंको पूजारी मानना पड़ेगा. ऐसी स्थितिमें किसी भी प्रधान द्वितीय या षष्ठ, सप्तम पीठोंकी पट्टपीठाधीशताका दावा खण्डित हो जायेगा. और स्वार्थप्रतिष्ठापित भगवत्स्वरूप स्वीकारनेपर भगवदर्थ निक्षेप उपाहृत-उपायनीकृत भेट-सामग्रीको सोनेकी कटोरी, संतदास, किशोरीबाई की वातकि अनुसार देवद्रव्य मानकर अपने उपभोगमें लानेकी लालसापर काबू पाना पड़ेगा. अन्यथा देवलकत्त या देवद्रव्यापहार वज्रलेपायित ही होगा.

(२) एतदर्थं भागवन्निमित्तक स्वसंप्रदानक उपायनीकृत परचित्का प्रतिग्रहका

कल्प अंगीकार करनेपर अधोलिखित दोषापति आती है —

मूल : न तीर्थं प्रतिगृह्णीयात् प्रायैः कण्ठगतरिपि ।
अपि कामातुरो जन्तुत्वेकं रक्षति मातरम् ॥
तीर्थं प्रतिग्रहो यस्तु तीर्थविक्रयणवः सः ।
विक्रीतायां तु गंगायां विक्रीतः स्याज्जनादर्दनः ॥
जनादी तु विक्रीते विक्रीतं भुवनत्रयम् ।
यस्तु लौल्याद् द्विजः क्षेत्रं प्रतिग्रहश्चि भवेत् ।
नैव तस्य परो लोको नायं लोको द्युत्तमः ॥

(प्रायश्चित्तमयूखोद्धृत पाद्यवचन)

अनुवाद : तीर्थमें प्राण कण्ठमें अटक हो तब भी प्रतिग्रह नहीं करना चाहिये, कोई कितना भी कामातुर हो परन्तु अपनी मांको तो छोड़ता ही है. तीर्थमें अर्थात् तीर्थनिमित्तक प्रतिग्रह तीर्थविक्रय ही है. (जैसे आधुनिक गोस्वामी ब्रजयात्राद्वा अर्थोपार्जन करते हैं) गंगको बेचनेपर तो जनादर्दनको ही बेचा समझना चाहिये. जनादर्दनको बेचा तो भुवनत्रयको बेच खाय! अतः लोभवशा तीर्थक्षेत्रनिमित्तक प्रतिग्रहरुचिवाले दुरात्मा ब्राह्मणका ऐहिक पारलौकिक सब कुछ बिगडा हुआ समझना चाहिये.

अतएव सर्वनिर्णयनिबन्ध तथा भागवतार्थनिबन्ध को भागवतपुराणनिमित्तक प्रतिग्रहकी निन्दान्के ये वचन भी मननीय हैं — "...ततो भागवतं कृतं, एतदव्यसनात्ल्लोको मुच्यतेऽनुपजीवनात् ॥६७॥

साधनं परमेतद्वि श्रीभागवतमादात् पठनीयं प्रयत्नेन निर्हेतुकमदभूतः ॥२४४॥

पठनीयं प्रयत्नेन सर्वहेतुविवर्जितम् । वृत्त्यर्थं नैव शूद्रात् प्रायैः कण्ठगतरिपि ॥

तद्भावे यथैव स्यात् तथा निर्वापयेत् ॥२५३-४॥

इदं भागवतं नामात्मकं भगवतो रूपं तत् स्वविक्रेतरि विक्रयसाध्यातिरिक्तं फलं न प्रयच्छति. (भागवतार्थप्रका. १।२७).

लोकार्थं चेद् भजेत् कृष्णं चित्तो भवति सर्वथा ॥ (सि. मु. १६)

'लोकार्थं'ति श्लोकस्तु संसारिमध्येषि यो जघन्याधिकारी तत्पद्धति उपेक्षितः परं तत्र अयमर्थः — लाभपूजार्थयत्नस्य उपधर्मत्वेदेवलकत्वादिसम्पादकत्वात् तदव्यतिरिक्तेन अनिषिद्धप्रकारेण 'ऐहिकं मे भवतु' इति अनुसन्धाय प्रवृत्तो लोकार्थी. (सि. मु. वि. प्र. १६.)

ऐसी स्थितिमें एकत्र नहीं किन्तु अनेकत्र तीर्थ भागवतादिमें निर्णीततया निन्दित तीर्थान्दिनिमित्तक भागवतादिनिमित्तक प्रतिग्रह उनका विक्रय ही होता हो तो "असति बाधके अन्यत्र (सेवायाम्) अपि युष्यते." (द्रष्ट. विमर्श. पृ. १५१.)

क्यों नहीं स्वीकार जाता? क्योंकि यदि साक्षात् भगवत्स्वरूपनिमित्तक स्वसंप्रदानक प्रतिग्रहको धर्म्य मान लेते हैं तो पुनः "एकत्र निर्णीतः शास्वार्थः असति बाधके

अन्यत्रापि युज्यते" न्यायसे तीर्थ-भागवतादिये भी लागू होगा. यदि तीर्थ-भागवतादिमें कण्डोक्त निषेधको बलवान मानते हैं तो यहां भी कण्डोक्त निषेध तो अनेक उपलब्ध होते ही हैं. फिर अन्तर कैसे आयेगा ?

अतः स्वार्थप्रतिष्ठापित भगवत्स्वरूपनिमित्तक स्वसंप्रदानक प्रतिग्रहको भी स्वमागिमें अत्यन्त गर्ह्य मानना चाहिये — यह सिद्ध होता है.

इस तरह "चित्तं दत्त्वा अन्येन पुरुषेण कृत्वा कारिका एका" वचनांशके विवेचनतया वित्तदानके अनेकविध विहित अनुमत अनिच्छ तथा कुछ निन्द्य प्रकारोंके भी स्वरूपोंका विचार कर कैसे वे उपदिष्ट तृप्तचित्तजा सेवाके स्वरूपघटक हो सकते हैं या नहीं यह हमने देखा. उसके बाद "एतादृशेन (वित्तग्रहीत्रा) पुंसा कृता च अपरा" वचनांशके विवेचनतया वित्तग्रहणके कुछ प्रकारोंका भी स्वरूप समझ लेना उपकारक होगा —

वित्तागम या वित्तपरिग्रहण

दाय (१)	लाभ (२)	क्रय (३)	जय (४)	प्रयोग (५)	कर्मयोग (६)	सत्प्रतिग्रह (७)
------------	------------	-------------	-----------	---------------	----------------	---------------------

यहां व्याख्याकारोंमें प्रस्थानभेद है. तदनुसार कुछ व्याख्याकारोंके मतमें ब्राह्मणके लिये दाय-लाभ-क्रय-सत्प्रतिग्रह — यों वित्तपरिग्रहके चार धर्म्य प्रकार हैं. क्षत्रियके लिये दाय-लाभ-क्रय-जय, वैश्यकेलिये दाय-लाभ-क्रय-प्रयोग-कर्मयोग; तथा शूद्रकेलिये दाय-लाभ-क्रय. अन्य व्याख्याकारोंके अनुसार जय-प्रयोग-कर्मयोग भी क्रमशः वादिजय, अध्यापन, याजनके रूपोंमें ब्राह्मणके ही वित्तागमके धर्म्य प्रकार हैं.

वैसे इन सात विभागोंके धर्म्यत्वनिरूपणका शास्त्रीय तात्पर्य यह तो लेशमात्र भी नहीं है. ब्राह्मण इन धर्म्य उपायोंसे केवल वित्तोपार्जनपरायण ही बन जाये क्योंकि श्रीमद्भागवत तथा मनुस्मृति दोनोंका स्पष्ट आदेश है.

मूल : इज्याध्ययनदानानि सर्वेषां च द्विजमनाम् ।
प्रतिग्रहोऽध्यापनं च ब्राह्मणस्यैव याजन्म् ॥
प्रतिग्रहं मन्यमानस्तपस्तेजोयशोतुदम् ॥
अन्याभ्यामेव जीवते शिलैर्वा दोषदृक्तयोः ।
ब्राह्मणस्य हि देहोयं शूद्रकामाय नेष्यते ॥
कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानन्तसुखाय च ॥
शिलोच्छ्वृत्या परितुष्टचित्तो धर्मं महान्तं विजं जुषाणः ।
मर्यादापितामा गृहएव तिष्ठन् नातिप्रसक्तः समुपैति शान्तिम् ॥...
यस्त्वासक्तमतिर्गोहो पुत्रवित्तेषणातुष्ट ।
सौणः कृपणधीर्गोहो ममाहमिति बध्धते ॥

एवं गृहाशयाक्षिप्रहृदयो मूढीरयम् ।

अनुग्रस्तानुध्यायन् मृतोऽन्धं विवर्तते तमः ॥ (भाग. ११।१७।४०-५८) .

अनुवाद : यजन शाखाध्यायन और दान सभी द्विकोंके कर्तव्य है; याजन शाखाध्यायन और प्रतिग्रह ब्राह्मणके ही. जितना अधिक प्रतिग्रहमें रचता पचता है उतने ही ब्राह्मणके तप तेज और यश का नाश होता है. अतएव अध्यापन और याजन द्वारा ही आजीविका चलाना ब्राह्मणके लिये श्रेयस्कर होता है. अथवा उनमें भी दोषदर्शन होता हो तो शिलोच्छ्वृतिसे जीना चाहिये. क्योंकि यह ब्राह्मणयोनि शूद्र (लाभपुत्राकामनाओं जैसी) कामनाओंकी पूर्तिके लिये नहीं मिलती है. यह तो मिलती है भूतलपर कृच्छ्र-तपके लिये तथा देह छूटनेपर अनन्त (परमात्मिक) सुख पानेके लिये. शिलोच्छ्वृतिसे परितुष्ट चित्तवाला महान विजय धर्मका सेवन करनेवाला परमात्माको आत्मसमर्पण करनेवाला गृहमें रहनेपर भी गृहकृत्योंमें अतिप्रसक्त न होनेवाला ही शान्तिको पाता है...पन्तु घरमें जिसकी मति आसक्त है, पुरुषणा और वित्तेषणा से जो आतुर है ऐसा सौण कृपणधी मूढ अहन्ता-ममतामें बन्ध जाता है...यह मूढ घर भस्नेके चक्करमें कभी तृप्त हो नहीं पाता और घरके लोगोंका ध्यान करते करते मरनेपर अन्धतमनरकको प्राप्त करता है.

अतएव मनुस्मृतिमें भी यही कहा गया है —

अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा ।

दानं प्रतिग्रहश्चैव षट्कर्माण्यग्रजन्मनः ॥

वर्णानां तु कर्मणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका ।

याजनाभ्यामेव चैव विशुद्धाच्च प्रतिग्रहः ॥ (१०।७५-७६) .

"विशुद्धाच्च प्रतिग्रहः" का वास्तविक स्वरूप समझनेके लिये याज्ञवल्क्यका यह वचन मननीय है —

अचिदात्तहृतं ग्राह्यमपि दुष्कृतकर्मणः ।

अन्यत्र कुलटाण्डपतितेभ्यस्तथा द्विषः ॥ (याज्ञ. आचा. १।२१२) .

अतएव मनुस्मृतिमें कहा गया है —

अद्रोहेणैव भूतानामल्पद्रोहेण वा पुनः ।

या वृत्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीवेदनापदि ॥

यात्रामात्रप्रसिद्धचर्चै र्थैः कर्मभिरगर्हितैः ।

अक्लेशेन शरीरस्य कुर्वीत धनसंचयम् ॥

क्रतामृतान्ध्यां जीवेतु मृतेन प्रमृतेन वा ।

सत्यानृतान्ध्यामपि वा न ध्वृत्या कदाचन ॥

ऋतमुञ्चशिलं ज्ञेयममृतं स्यादयाचितम्।
मृतं तु याचितं भैक्षं प्रमृतं कर्षणं स्मृतम्॥
सत्यानृतं तु वाणिज्यं तेन चैवापि जीव्यते।

सेवा श्रवृषिपाठ्याता तस्मात्तां परित्स्वर्ज्यते॥ (मनुस्मृ.५।२-६).

अतएव श्रीपुरुषोत्तमजीने शिलोच्छादि ऋतवृत्तिको अपना पानेकी आधुनिक ब्राह्मणोंकी असामर्थ्यको लक्ष्य करते अध्यापनोपदेशपूर्विका अमृताख्या अयाचितवृत्तिद्वारा आगत चरणभेदसे जीवननिर्वाहकी नियमविधि स्ववृत्तिवाचनं प्रतिपादित की है. वहां वृत्त्यर्थ भगवदुपायनीकृत भेट-सामग्रीका, यद्यपि, स्पष्ट निषेध नहीं किया किन्तु उस वादग्रथको तथा "न च यागो यजमानस्य वित्तदातुः फलतीति शक्यं, तत्र ऋत्विग्दक्षिणावरणादिवद् अत्र तद्वानदे भक्तिमार्गं भावता अनुकतत्वात्. अतः तथा न कार्यं किन्तु भागवदुक्तरीत्यैव कार्यम्" (सि.मु.वि.प्र.२) और "लाभपूर्वाथयत्नस्य उपधर्मत्वदेवलकत्वादिस्मादकत्वात् तदव्यतिरिक्तेन अनिषिद्धप्रकारेण..." (सि.मु.वि.प्र.१६) वचनोंके परस्पर समन्वयपूर्वक तात्पर्योन्मयन करनेपर विहित-निषिद्ध प्रकारोंका बोध सर्वथा सुलभ है. फिर भी श्रीपुरुषोत्तमजीके ही घरमें उनके ही उत्तराधिकारियोंका यह कहना कि— "यहां यह ध्यातव्य है कि अपने निर्वाहके लिये की जानेवाली सेवा...महद्विमुख्य भक्तियोगकी दृष्टिसे उपार्थम् है या नहीं यह सन्दिग्ध है. परन्तु इस दृष्टिसे वह परधर्म अवश्य है." (विमर्श.पृ.५७-५८.) एक विलक्षण अकण्ठताण्डव है.

आश्चर्य होता है कि यहां श्रीपुरुषोत्तमजीका खण्डन विमर्शकारको चिकीर्षित है या श्रीपुरुषोत्तमजीके वचनाभिप्रायावगममें स्वासामर्थ्य!

यदि खण्डन अभिप्रेत हो तो तब तो "ततो भागवतं कृतम् एतदप्यसनाल्लोको मुच्यतेऽनुपजीवनात् परमत्रैको महान् दोषः तदुपजीवनमिति. अतस्तदभावमाह अनुपजीवनादिति. वृत्त्यर्थमुपायो न कर्तव्यः." (सर्वनी.प्र.६७). "पठनीयं प्रत्येन सर्वहेतुविवर्जितं वृत्त्यर्थं नैव युज्यति प्राणैः कण्ठगतैरपि तदभावे यथैव स्यात् तथा निर्वाहमाचरेत्" (सर्वनी.२५३-४). "सूतत्वाद् वृत्तिरेषा हि तस्मान् फलितं तथा यद्यप्येषा न विक्रीता नामविक्रयणात्तथा नामात्मकं भगवतो रूपं, तत् स्वविक्रेतरि विक्रयसाध्यातिरिक्तं फलं न प्रयच्छति." (भाग.नि.प्रका.१।२७). भागवतके वृत्त्यर्थ उपजीवनमें हेतु श्रीमहाप्रभुते 'भागवतो रूपम्' अर्थात् 'भागवद्रूपत्वात्' दिया है. अतः "एकत्र निर्णतः शास्त्रार्थः असति बाधके अन्यत्रापि युज्यते" (विमर्श.पृ.१५१) स्वाभूप्रैत न्यायानुसार स्वाराध्य श्रीबालकृष्णलालजीको भागवद्रूप मानते हो तो शीघ्र ही वृत्त्यर्थ उपजीवनका त्याग करना चाहिये अन्यथा स्वाराध्यकी भगवद्रूपता अभिप्रेत न हो तो श्रीपुरुषोत्तमजीके वचनके खण्डन श्रीमदाचार्यवचनके खण्डनमें पर्यवसित हो रहा है. इस स्वारूढशाखोच्छेदनकी विचित्र अर्थभिन्नविशालताके बारेमें क्या कहना ?

यदि श्रीपुरुषोत्तमजीके वचनोके अभिप्रायावगममें खुदके असामर्थ्यका द्योतन विवक्षित हो तो निलोभ निर्दम होकर यहां भी "क्योंकि प्रकृतिमें आनेवाले अंगोंको विकृतिमें लेना या नहीं—इस विषयमें मीमांसाराशिक सिद्धान्त है कि वे अंग प्रधानके उपकारक हो तो उन्हें लेना. (अर्थात् उपकारक न हो तो न लेना) प्रकृतमें यह ध्यातव्य है कि प्रधान भागवत्सेवा है." (विमर्श.पृ.१७५). अतः देवलकप्रकरणप्रदत्त वे सारे शास्त्रचन जो वृत्त्यर्थ विष्णुपूजनमें भी देवलकता नहीं आती ऐसा प्रतिपादन करते हैं वे स्वतः अप्रासंगिक हो जायेंगे. क्योंकि "वचनाद्युक्तिः वचनात् न विवृतिः" ही एकमात्र शरण होती है. वैसे इन सारे वचनोंके आधारपर किये गये विमर्शका विरोधन अगामी द्वितीयादि परिच्छेदोंमें तो सविस्तर होगा ही.

अतः वित्तागमके दायदिके सातोंके सात धर्म्य प्रकारोंद्वारा स्वस्वत्वापन वित्तद्वारा सेवा कलेपर ही तदुचित्वा स्वरूप अखण्डित रहेगा. अन्यथा स्वनिमित्तक भावत्संप्रदानक अथवा भावनिमित्तक स्वसंप्रदानक वित्तके स्वोपभोगपर्यवसायी परिहृह करनेपर या तो देवस्वापहरणा या देवलकता दोष वज्रलेपावित है.

ऐसी स्थितिमें श्रीमत्पुरुषचरणकी विवृत्तिके (७ख) वचनान्ना, जो श्रीमहाप्रभुके "तत्सिद्धौ तदुचित्वा" अंशके अभिप्रायज्ञानार्थ है, उसमें वित्तदान तथा वित्तपरिहृहके वर्जितवर्जितप्रकारोंकी व्यवस्था स्पष्ट हो जानेपर तदुपरोधसे निष्कर्षरूप (ग) "एतेन भागवदर्थं निरुपधिस्वसर्वस्वनिवेदनपूर्वकं तत्रैव स्वदेहविनियोगे प्रेम्णि जाते सा भवति इति भावः." विधानका आशयोनियम करना चाहिये न कि निष्कर्षमुपरोधवशा मूलवचनाभिप्रायका अन्यथानयन. व्याधिचनके अनुरोधसे पक्षमें साध्यनिर्णय की प्रतिज्ञा की जाती है न कि प्रतिज्ञानुरोधवशा व्याधिस्वरूपका उपपादन. न्यायशास्त्रके इस सामान्यनियमका उल्लंघन विमर्शकारद्वारा स्वग्रहमें विश्रुत नैयायिकोंको संरक्षण देनेकी उपयोगितापर एक प्रश्नचिह्न लगाता है!

(ग) तदनुसार इस प्रभुचरणप्रदत्त निष्कर्षमें कुल कितनी बातें आयी हैं उनका अंकव्याख्यापूर्वक परिहृण उचित होगा—

* एतेन "(१) भागवदर्थं (२) निरुपधि- (३) स्वसर्वस्वनिवेदनपूर्वकं (४) तत्रैव स्वदेहविनियोगे (५) प्रेम्णि जाते (६) सा भवति" * इति भावः.

** एतेन इति भावः "अंशोंसे प्रस्तुत पंक्ति स्वाव्यवहितपूर्वावृत्तिका निष्कर्षरूप है— यह द्योतित करता है.

(१) 'भागवदर्थं' पदका अभिप्राय सेवाके प्रयोजनका परिष्कारक है यथा—
न लौकिकः प्रभु कृष्णो मनुते नैव लौकिकम्।
भावस्तत्राप्यस्मदीयः सर्वस्वैहिकश्च स॥

परलोकश्च तेनायं सर्वभावेन सर्वथा सेव्यः..। (शिक्षाम्लोकी).

लोकार्थी चेद भजेत् कृष्णं क्लिष्टो भवति सर्वथा।

नु कश्चिद् जीविकार्थमपि भजेत तस्य का गतिः? इत्यतः आहुः लोकार्थी इति. लोकपदेन लौकिको अर्थः युज्यते. तदर्थं चेत् कृष्णं भजेत् तदा व्यापारवद् अर्थे सिद्धे तस्यापि अनर्थरूपत्वेन तत्कृतभजनस्य भवित्वाभावात् तत्कृतं सर्वं क्लेशरूपमेव अतः क्लिष्टो भवति इति अर्थः. न केवलं ऐहिक क्लेशः किन्तु परलोकोपि नश्यति निषिद्धाचरणवद् इति सर्वथा इति उक्तम्. यस्य स्वल्पमपि ज्ञानं स नैवं करोति सर्वथा तद्रहितः कश्चिद् एवं कुर्यादपि इति चेद् इति उक्तम्. (सि.मु.वि.श्रीमत्प्रभुचरणकृत स्वोपश्लेषेण श्लो. १६.)

तस्य सेवां प्रकुर्वीत याक्ञ्जीवं स्वधर्मतः।

न फलार्थं न भोगार्थं न प्रतिष्ठाप्रसिद्धये॥

श्रीमदाचार्यमार्गेण नान्येनापि कदाचन।

न कल्पितप्रकारेण न दुर्भासमन्वयात्॥

(श्रीहरिसायकृत शि.प.१८१२-१३.)

“लाभपूजार्थयत्नस्य उपधर्मदेवलकत्वादिसम्पादकत्वात् तद्व्यतिरिक्तेन अनिषिद्धप्र-
कारेण...” (सि.मु.वि.प्र.१६.)

(२) ‘निरुपधिः’ : ‘निरुपधितः’का सुगतम स्वरूप तो श्रीप्रभुचरणे “फलात्मकनाभोवत्या स्वतः पुरुषार्थत्वेन सेवाकृतिः स्वसिद्धान्तो न तु अन्यशेषत्वेन इति ज्ञायते” कहकर समझा ही दिया है.

यहांपर श्रीवल्लभजी तथा श्रीब्रजनाथजी के वचन भी अनुसंधेय हैं. यथा —

“फलरूपस्य तस्य स्वतःपुरुषार्थत्व (न तु वृथार्थत्व-पीठाधीशत्वप्रतिष्ठावृत्त-
कहाडीभेटप्राप्त्यर्थत्व : गो.श्या.स. धर्मवच्चिन्तनसेवाकृति...फलसेवनं हि स्वतःपुरुषार्थः
यथा कामिन्या...कामप्रयत्नयोः एकं भगवत्प्रवणचित्तस्वरूपं विपश्यत्वेन इति (अर्थात्
एतदितरविषयकत्वे निरुपधित्वं) अर्थः.” (सि.मु.वि.दि.१.)

इसी तरह श्रीब्रजनाथजीका स्पष्टीकरण भी नितान्त मननीय है — “फलसेवनं
हि स्वतःपुरुषार्थः इति. अतएव धर्मार्थयोः काममोक्षद्वारा पुरुषार्थता. काममोक्षयोरिव
साक्षात् सुखहेतुत्वात् स्वतःपुरुषार्थत्वम्.” (सि.मु.वि.दि.१.)

(३) ‘स्वसर्वस्वनिवेदनपूर्वकम्’ के अवलोकनसे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि
सर्वप्रथम तो वित्तका स्वप्नसुप्रदानक दान-निक्षेप-न्यास-परायत्तीकरण नहीं किन्तु
निवेदन-समर्पण ही इतिकर्तव्यतया अभीष्ट है. ताकि स्वयंका ‘स्वत्व’ उसपरसे
निवृत्त न हो जाये. अतः ‘स्व-स्व(वित्त)निवेदन’ किया जाता है. दूसरे कुछ
अपनी स्वनिमित्तक-स्वसुप्रदानक चरणभेटका स्वाधोपयोग तथा भगवन्निमित्तक-स्वसुप्रदानक
अथवा स्वनिमित्तक-भगवत्सुप्रदानक वित्तका भगवत्सेवायै उपयोग करना, इसी तरह
एवं देवलकतारूपनिषिद्धवृत्तिलब्ध अथवा देवस्वका ही भगवत्सेवायै उपयोग करना

— इस तरह अंशतः नहीं किन्तु ‘स्व’ = स्वत्वविशिष्ट-‘सर्व’ = सकलचेतनाचेतनरूप
‘स्व’ = वित्तके निवेदन (तदुपलक्षित समर्पण/विनियोग)पूर्वक भगवत्सेवा कर्तव्य है.

अथवा ‘स्व’ = देहप्राणोन्द्रियान्त-करणतद्गर्भविशिष्ट आत्मा स्वयं तथा ‘सर्वस्व’ = दा-
रगापुत्रावितेक्षसपरका निरुपधि निवेदन — अर्थ भी शक्य है. अतः यहां ब्रह्मसंबंधदीक्षाका
ही प्रभुचरण परामर्श कर रहे हैं.

(४) ‘तत्रैव स्वदेहविनियोगे’ : यहां स्वयं तथा सकलस्वकीय के निरुपधि
निवेदोत्तर अवश्यकर्तव्यताक स्वस्वीयके विनियोगकी बातपर भार दिया जा रहा
है, अन्यत्र विनियोगपरिहारार्थ. “असमर्पितवस्तूनां तस्माद् वर्जनमाचरेत् निवेदिभिः
समर्प्यैव सर्वं कुर्याद् इति स्थितिः.” (सि.र.४-५) वचनसे वह आगे विवक्षित
है ही.

यद्यपि विमर्शकाने इस अंशका दुरुपयोग तनुजा-वित्तजाके पार्थक्य सिद्ध
करनेको महापुरुषार्थतया किया है. फिर भी उस वाक्छलामें एक सत्य, जो
बहुते सुन्दर पीछेसे उभरकर आया है, वह यह कि ‘निरुपधि’ = फलाकांक्षा-कापट्य-रहितता
को दोनों तनुजा एवं वित्तजा के साथ जोड़ना चाहिये — यों कहा गया
है. (विमर्श.पृ.५.) यद्यपि शब्दमर्यादया यह शक्य नहीं फिर भी तात्पर्यतुरोधवशा
सर्वथा उचित ही है. ऐसी स्थितिमें वृथार्थ सेवाको धर्म्य मानना साथ ही
साथ फलाकांक्षाकापट्यरहित तनुजा और वित्तजा का भी समर्थन करना “मम
माता वन्ध्या” सदृश वदतोव्याघात है!

(५) ‘प्रेम्णि जाते’ : ‘प्रेम्णि’की सप्तमी वैषयिकी, नैमित्तिकी अथवा सतीसप्तमी
भी हो सकती है. वैषयिकी लेनेपर प्रेमविषयक स्वदेहविनियोग — ऐसा अर्थ
होगा. नैमित्तिकी लेनेपर भगवदोपलब्धिनिमित्तवशात् भगवत्सेवामें स्वदेहविनियोग
— ऐसा अर्थ होगा. अथवा सतीसप्तमी लेनेपर भगवत्सेवामें स्वदेहविनियोग होनेपर
प्रेम प्रकट होता है. प्रेम होनेपर चित्त भगवत्प्रवण होकर मानसीसेवाके हेतु
समर्थ बनता है. वृथार्थ प्रेम तथा प्रेमार्थ वृत्ति के बीच महान अन्तर होता है.
पतिव्रता गृहवधू स्वपतिसेवायै पोष्य बन कर पतिवित्तोपजीविनी होती है.
जबकि दुश्चरित्रा वारवधू आजीविकार्थ वित्तदाताको प्रेम करती है. स्पष्ट है कि
फलाकांक्षा-कापट्य-रहित जब तनुजा या वित्तजा नहीं होती तब तो अभिलषित
भेट-सामग्रीरूप फललाभार्थ अथवा पीठाधीशतारूप प्रतिष्ठायै ही चित्त तत्प्रवण
बनेगा, वह भगवत्प्रवण नहीं बन पायेगा. इसका स्पष्ट उदाहरण विमर्शकारके
इस विधानसे मिलता है — “निर्वाहके लिये की जानेवाली सेवा...महद्विमुख्य
भक्तियोगकी दृष्टिसे उपधर्म है या नहीं सन्दिग्ध है. परन्तु उस दृष्टिसे वह
परधर्म अवश्य है” (पृ.५७-५८). इस स्वीकारोक्तिके बावजूद न केवल सुतकी
हवेलीमें स्वनिर्वाहार्थ दर्शनार्थिओंकी भेट-सामग्री स्वीकारी जा रही है प्रस्तुत आलोच्य

विमर्शग्रन्थमें उसका निर्लज्ज समर्थन और किया गया है। जबकि श्रीमद्भागवतमें स्पष्ट कहा है—“विधर्मः परधर्मश्च आभासः उपमा छलः, अधर्मशाखा पञ्चमेा धर्मशोऽधर्मवत् त्वजेत्, सनुष्ठस्य निरीहस्य स्वात्मारामस्य यत्सुखं-, कुतस्तत्कामलोभेन धावतोऽर्थेऽया दिशः॥” (भाग.७।१५।१२, १६)।

परधर्मतुष्टिगताका अनुमोदन यदि धर्मस्वामिनोसे शुरु हुआ तो कल वैष्णव अन्याश्रय भी करनेकी छूट लेंगे; “शिवदुर्गाणंपतिभजन उपधर्म नहीं है” कहकर जैसे गोस्वामिसजातीयभट्टवर्ग गोस्वामिओंके बेटीजीका पाणिग्रहण करते हैं तो वह भी उपधर्म कहा है? सो उसमें दोषबुद्धि खतम हो जायेगी। वैष्णव भी पाणिग्रहणका प्रस्ताव लेकर आने लगेगे! इतना अविचारित विधान कैसे कोई धर्माचार्य कर सकता है — यह विस्मयका विषय है!

(६) ‘सा भवति’ : ‘सा’का अर्थ मानसी सेवा या भगवत्प्रवणता यथेष्टतया लिया जा सकता है। इस तरह अत्यधिक विवादास्पद ७वे अंशकी विवेचनान्के बाद श्रीप्रभुचरणोत्तरकालीन सभी मान्य व्याख्याकारोंद्वारा विशेषत्वेऽखनीय अंशोंके मननार्थ अब प्रवृत्त होना चाहिये।

(III) प्रभुचरणोत्तरकालीन व्याख्याएं

(१) स्वसिद्धान्तविनिश्चयः यहां श्रीगोकुलनाथजीने ‘विनिश्चय’के ‘वि’उपसर्गका तात्पर्य साक्षात् श्रुतिनिरूपित अर्थका ही निरूपण श्रीमहाप्रभु करना चाहते हैं — इस अर्थमें लिया है। इसी तरह ‘स्वसिद्धान्त’पदवात् ‘स्व’का तात्पर्य स्वमत श्रुत्यर्थ ही है ऐसे प्रयोजनवश स्वीकार है। यही बात श्रीकल्याणरायजीने भी स्वीकारी है। श्रीपुरषोत्तमजीके अनुसार ‘शास्त्रं = काण्डद्वयतात्मक वेद अथवा तदर्थनिश्चयक वेदान्त है। ‘(तद-)अर्थ = प्रयोजन. या तात्पर्य के बारेमें संशयनिरासार्थ प्रकृत उपदेश श्रीमहाप्रभु दे रहे हैं। तत्पश्चात् द्वितीयस्कन्ध-एकादशस्कन्धोक्त भक्तिके संदर्भमें यह सारा निरूपित हुआ है ऐसा विधान करते हैं। स्पष्ट है कि यह आजीविकार्थ उपदेश हो नहीं सकता। श्रीवल्लभजीने ‘शास्त्रार्थ’तया गीताभागवतार्थका परिग्रहण किया है। श्रीलालभट्टजीने श्रुतिगीतासूत्रसाम्यधामाधारुप शास्त्रोसे सिद्ध स्वकीय सिद्धान्तके निरूपणार्थ प्रकृत उपदेशारंभ मान्य किया है। श्रीलालमणिगुप्त श्रीविठ्ठलरायजीकी तथा श्रीनरसिंतालजीकी टीकाएं क्रमशः गुजरतीभाषा तथा ब्रजभाषामें श्रीपुरषोत्तमजीके प्रकाशका ही अनुवाद हैं या सार हैं सो यथापेक्षित सन्देहनिरसनार्थ ही उनका उद्धरण दिया जायेगा।

(२) कृष्णसेवा : श्रीपुरषोत्तमजीने यहां स्पष्टीकरण दिया है कि कृष्ण परब्रह्म, भूमविद्योक्तानित्यनिरवधिमुखरूप होनेसे परमफलरूप है। ऐसे फलात्मक भगवान कृष्णकी

सेवाको फलबुद्धिसे करना सिद्धान्त है। (अर्थात् आजीविकोपार्जनके साधनतया नहीं — यह पृथलगमायात है।) साथ ही साथ श्रीपुरषोत्तमजीने यह खुलासा भी दिया है कि मोक्षपर्यंत पुरुषार्थमें उपेक्ष्यबुद्धि जगानेवाली भक्तिलक्षणा सेवा है। (अर्थात् वित्तप्रतिष्ठादि क्षुद्र लाभोंके हेतु उसका प्रयोग स्वरूपविधातक ही होगा।) श्रीवल्लभजी कहते हैं — फलरूप श्रीकृष्णकी स्वतःपुरुषार्थत्वधर्मावच्छिन्नसेवाकृति स्वसिद्धान्त है। (अर्थात् आजीविकार्थ वृत्त्यर्थ तनुजा सेवा स्वतःपुरुषार्थत्वधर्मावच्छिन्नकृति ही नहीं — यह समझ लेना चाहिये)। श्रीब्रजनाथजीने अतीव महत्वपूर्ण स्पष्टता “कामप्रयत्नयोः एकविषयत्व”के रूपमें स्वतःपुरुषार्थताको परिभाषित किया है। ऐसी स्थितिमें पेंफॉलेंट छापकर दर्शनार्थियोंको आकृष्ट करनेका प्रयत्न वित्तविषयक हो और कामना भावत्सेवाविषयिणी हो अथवा प्रयत्न भावत्सेवा करनेके हों और विमर्शकारोक्तरीतिसे कामना वृत्ति कमनेकी हो। अर्थात् प्रयत्न सेवाविषयक हो और कामना वित्तविषयिणी हो तो उसकी स्वतःपुरुषार्थता स्वतः ही खण्डित हो जाती है। श्रीलालभट्टजी भी मोक्षवाधि पुरुषार्थको तुच्छ मानकर भावत्सेवामें प्रवृत्त होनेकी बात कर रहे हैं। श्रीद्वारकेशजीने यहां फलात्मक श्रीकृष्ण और फलात्मिका कृष्णसेवाके बीच कार्यकारणभाव अर्थात् जन्यजनकभाव संबंध भी निरूपित किया है। स्पष्ट है कि दोनोंमें भेद दिखलानेके लिये यह निरूपण नहीं प्रत्युत अभेदनिरूपणार्थ ही है। जैसे सर्वनिर्णयमें श्रीमहाप्रभुने “अमिहोर्न तथा दर्शपूर्णमासः...क्रमात् पञ्चविधो हरिः तत्साधनं च स हरिः प्रयाजादिसुगादि यत्” (सर्वनि. २।३) द्वारा कर्मकी ब्रह्मात्मकता समझाई है। वैसे ही यहां भी कृष्णसेवाकी कृष्णात्मकताका अभिप्राय समझना चाहिये। अतः आजीविकार्थ कृष्णसेवा आजीविकार्थ कृष्णविक्रयोपम ही होता है। “तत् स्वविक्रेतरि विक्रयसाध्यातिरिक्तं फलं न प्रयच्छति.” न्याय यहां भी अनुसन्धेय है।

(३) ‘सदा’ : श्रीगोकुलनाथजीने सभी जीवोंका सहजदासत्व है इसमें संकुचितवृत्तिसे आसुजीवातिरिक्त सभी सहजदास हैं यह दिखलाया है। ‘सदा’पदकी उत्थानिकारमें अंशों परमात्माके अंश होनेसे जीवात्माके आत्मस्वरूपविचारवाश सेवाकी सहज कर्तव्यताका निरूपण किया है। अर्थात् किसी कालिक निमित्तवशात् नहीं प्रत्युत जीवात्माके साहजिकस्वरूपविचारवाश सेवाकी कर्तव्यता है। अतएव जो जीव सेवा नहीं कर पाते उन्हें ‘आसुर’ इसी अर्थमें कहा जाता है कि उनका सहज स्वभाव अन्य अर्थ-कामादि सम्पादित करनेकी अहंता-ममतासे ग्रस्त हो गया है — ऐसा श्रीपुरषोत्तमजीका तात्पर्य है। श्रीवल्लभजीने तथा श्रीब्रजनाथजीने यहां यह स्पष्टीकरण विशेषतया दिया है कि ‘सहज’पदमें ‘ज’का अर्थ ‘जन्य’ न लेकर ‘सत्ता’लेना चाहिये, क्योंकि नित्य होनेके कारण जीवात्माके जनन-मरण होते नहीं। ‘सहज’ यानि सहजात नहीं परन्तु सहसताक। अतः जैसे जीवकी

सत्ता जीवसे पृथक् नहीं उसी तरह दासत्व भी उससे पृथक् नहीं हो सकता। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वृत्तर्थ भगवदास्य संभव नहीं; भगवदास्यभावाथं वृत्ति हो सकती है। दास्यधर्म ही सेवा है। शास्त्रीय कर्म देहाधिकारक कालाधिकारक है। एक ही जो कर्म ब्राह्मणदेहोपेत होनेपर हम कर सकते हैं वह शूद्रदेहोपेत होनेपर नहीं कर सकते। एक ही ब्राह्मण जो देहस्थायाम्रमं कर सकता है वह ब्रह्मचर्य या संन्यासाश्रममें नहीं कर सकता। ऐसा गृहकालपरिच्छेद भावत्सेवायें नहीं है। अधिकमासके कालमें रुपये ऎंठेके लिये अधिकमासका माहात्म्य आज पुष्टिप्रामांमें दिखलाया जाता है — वह अन्य कथा है। अन्यथा “न कालोत्र नियामकः” वचनका क्या होगा ?

(४) ‘कार्या’ : यहां व्याख्या करते हुए श्रीपुरुषोत्तमजी कहते हैं कि सेवा कर्त्नी आवश्यक है यह ‘कार्या’ कहकर सूचित किया। वहां आवश्यक वह होता है कि जिसके एक बार किसी भी रूपमें अवगत होते ही बादमें उसके न होनेपर हमारा अनिष्ट हो जायेगा — ऐसा भाव ममें जगना, अथवा ऐसी कोई बात कर पाना। किसी भी बातके आवश्यक होनेका यह केवल मतलब नहीं होता कि वैसे करनेकी हमें अनुल्लंघनीय आज्ञा मिली है। कृष्णसेवा हमारा आवश्यक कर्त्तव्य है अतः न करनेपर हम प्रत्यवायी अर्थात् भक्तिमार्गसे प्रहट हो जाते हैं। अतः अपने आपके बारेमें “मैं भगवदास हूँ” ऐसा भान रखते हुए सेवा स्वतन्त्रपुरुषार्थ (अर्थात् धर्मार्थकाममोक्षमेंसे किसी भी एकके साधनतया नहीं; आजीविकाके लिये तो नहीं ही) है अतः दास होनेके नाते आवश्यक धर्म मानकर सर्वदा सेवा कर्त्नी चाहिये। श्रीवल्लभजी और श्रीब्रजनाथजी ने भी कटीब कटीब यही बात कही है। श्रीद्वारकेराजोंने एक बहोत सुन्दर स्पष्टीकरण दिया है कि वैसे तो मानसी सेवा जीवकृतिसाध्य नहीं, जैसे अलौकिकसामर्थ्य भगवानके द्वारा प्रदान करनेपर ही सिद्ध होता है अन्यथा नहीं वैसे। मूलमें श्रीमहाप्रभुद्वारा ‘कार्या’ ऐसे विधिवचनका प्रयोग करना तथा नहीं करनेपर जीव प्रत्यवायी बनता है ऐसा विवृतिमें प्रभुचरणद्वारा स्पष्टीकरण देनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि पिता-पुत्र अपने शरणागत जीवोंको सेवा कर पानेका वरदान दे रहे हैं। (इससे यह सिद्ध होता है कि जो देवलक भावस्वरूपनिमित्तक स्वसंप्रदानक वित्तोपार्जन कर रहे हैं अथवा जो देवद्वयद्वि स्वनिमित्तक भगवत्संप्रदानक वित्तका उपभोग कर रहे हैं वे दोनों ही “मेरो होयगो सो देवद्वय कबहू न छाग्यगो अरु खायगो सो महापतित नै जायेगो मेरो नाहि कहायेगो” घोषणाके अनुसार श्रीमहाप्रभु-प्रभुचरणद्वारा पुष्टिमार्गबहिष्कृत ही हैं.)

(५) ‘मानसी सा परा मता’ : श्रीगोकुलनाथजीने यहां एक स्पष्टीकरण यह दिया है कि ब्रजभक्तोंके भजनप्रकारसे अतिरिक्त किसी प्रकारसे मानसेवाकी

भी फलरूपता नहीं है। (ब्रजभक्तोंने प्रदर्शनाथं आजीविकार्थं या पीठाधीशत्वप्रतिष्ठासाधार्थं भगवत्सेवा नहीं की थी अतः मानसी भी किसीको ऐसे विचित्र प्रकारसे सिद्ध हो गई हो तो उसे फलरूप नहीं मानना चाहिये।) साथ ही साथ यह भी खुलासा श्रीगोकुलनाथजीने दिया है कि क्योंकि सर्वात्मभाव एक मनोधर्म है अतः सर्वात्मभावपूर्विका सेवाका मानसी होना उचित ही है।

श्रीपुरुषोत्तमजीने यहां प्रश्न उठाया है कि सेव्यसन्तोषजनिका पूर्वोक्तप्रकारकयायादि-व्यापाररूपा क्रिया ही यदि सेवा हो; उदाहरणतया उजसेवा या गुरुसेवा, तो उसका सर्वदा अनुष्ठान शक्य नहीं। इसका समाधान, परन्तु, यह है कि वैसे तो सेवाके, काष्ठीकी वाचिकी और मानसी के रूपमें त्रिविध होनेपर भी, विचार करनेपर, बाह्य एवं आभ्यन्तर होनेके रूपोंमें दो मुख्य प्रभेद है। यहां आभ्यन्तरी मानसी बाह्य सेवाकी फलरूपा है और बाह्य उसकी साधनरूपा है। यह बाह्य काथिकी-वाचिकी सेवा अवान्तरफलरूपा है सर्वदा अवश्यकर्तव्यताक. अतः साधनरूपा बाह्य सेवाका पुनःपुनः आवर्तन ही उसका सदा कार्य होना है। मानसी तो स्वयमेव भगवानके प्रति अविच्छिन्न मनोगतिका होना है, जो बाह्यावर्तनसे सिद्ध होगा। श्रीब्रजनाथजी कहते हैं कि दास्यधर्मविशिष्ट साधनरूपा सेवा होती है तथा सर्वाश्रमं कृष्णसंबंधविशिष्टा होनेपर फलरूपा मानसी होती है। उदाहरणतया जैसी सेवा ब्रजगोपिकाओंकी थी वही मानसी सेवाका स्वरूप है। प्रभुचरणसे भगवद्भजनको उद्भूत करके जो ब्रजगोपिकाओंकी सेवाका निरूपण किया है उसमें “मय्यनुषंगबद्धधियं” अंशसे साधनरूपा सेवाके अनुवादपूर्वक “तानाविदन् स्वमात्मानमदस्त-थेदम्” अंशद्वारा उस सेवारूपा सेवाके अन्यानुसंधानरहित होनेपर मानसीत्व संपन्न होनेका विधान किया जा रहा है।

दूसरे शब्दोंमें भगवदासक्तिवशात् जब प्रपञ्चविस्मृति हो जाये तब उस भगवदासक्तिको व्यसनदशापन्न मानसी फलरूपा अलौकिक सामर्थ्य समझना चाहिये। इसे ही निरोधके रूपमें भी परिभाषित किया गया है। यहां इस सन्दर्भमें यह अवधेय है कि भगवत्सेवोपधिक अहंता-ममताका तो प्रपञ्चविस्मृतिपूर्विका भगवदासक्तिमें पर्यवसान हो सकता है परन्तु पीठाधीशत्वरूपप्रतिष्ठापणजनिका अहंता तथा शिष्य-वितैषणाजनिका ममताकी पोषिका भगवदासक्तिका प्रपञ्चविस्मृतिमें पर्यवसान शक्य नहीं।

(६) ‘चेतस्तत्प्रवर्णं सेवा’ : यहां श्रीपुरुषोत्तमजी कहते हैं कि मूलमें मानसीका स्वरूपनिरूपण “चेतस्तत्प्रवर्णं सेवा” द्वारा कहा. यहां ‘प्रवर्ण’के कोशार्थविचारवशा प्रवर्णताकी तीन अवस्थाएं दिखलाते हैं कि चित्त पहले कुछ भगवानकी तप हुकता है या मुडता है, बादमें भगवानके अधीन हो जाता है; और तब भगवदेकतान वृत्त्यन्तररहित तल्लीन हो जाता है. भक्तिवर्धनीमें इन्हीं तीन अवस्थाओंको

प्रेम आसक्ति और व्यसन कहा गया है। श्रीलालुभट्टजीने यहां सर्वप्रथम 'तत्त्वप्रण' में प्रयुक्त 'तत्'पदको 'कृष्णसेवा'नर्गत 'कृष्ण'पदका परामर्शी माननेकी उपपत्ति दी है। अतः चित्तका कृष्णप्रवण होना ही कृष्णसेवा है। एतदर्थ अनिमित्ता स्वाभाविकी मनोवृत्तिरूपा भागवती भक्ति होती है। (अतः आजीविका = वृत्तिनिमित्तवशात् अनुष्ठीयमाना कृष्णसेवा अपने स्वरूपलक्षणसे ज्युत हो जाती है।) श्रीलालुभट्टजीने ऐहिक या पारलौकिक किसी भी फलकी आशा रखे बिना भगवान्के साथ मन जोड़नेवाला भजन भक्ति है इस आशयकी श्रुति भी उद्धृत की है। तदनुसार वितार्थ तनुजा सेवा भक्ति ही नहीं रह जाती तो आगेकी तो बात ही क्या? 'भज'सेवायाम् से 'भक्ति'शब्द बनता है जो भक्ति पुरुषोत्तमके बारेमें अहेतुकी और अव्यवहित होनी चाहिये — ऐसा उल्लेख किया गया है। अतः 'भक्ति'पदसे मुख्यतया मानसी सेवाका बोध स्वीकारा गया है।

श्रीद्वारकेशजीने यहां उदाहरण दिया है कि जैसे मोती या मणि में धागा पिरोते हैं वैसे भगवदीयका चित्त भगवान्में पिरोया हुआ बन जाता है। भगवान्में अथवा भगवान्को प्रसन्न करनेवाले व्यापारमें चित्तका इस तरह प्रवण होना कि भगवान्, मुक्तामणि जैसे धागाके अधीन बन जाती है ऐसे, भक्ताधीन बन जाये — यह समझाया है।

(७) 'तत्सिद्धयै तनुवित्तजा' : आधुनिक जीवात्माओंका तो ब्रजभक्तों जैसा उत्सामधिकार नहीं है सो तन्मार्गप्रवर्तक आचार्यचरणद्वारा उपदिष्ट प्रकारसे की जाती सेवा निरूपयोगी हो जायेगी। इसके समाधानार्थ श्रीप्रभुचरणने 'उक्तसेवासाधने'पदका प्रयोग किया है — ऐसा श्रीगोकुलनाथजी कहते हैं। अतः वैयास अधिकार न होनेपर भी श्रीमदाचार्योक्तप्रकारसे सेवा करनेपर वह फल मिलता ही है। यहां यह अवधेय है कि 'उक्तसेवासाधने'के द्विवचनका बावेला मचानेवाले 'क्रियमाणसेवायाः'एकवचनके बारेमें कुछ नहीं बोलते। आचार्य-प्रभुचरणोक्तप्रकार तनुवित्तजाका ही होनेसे स्वनिमित्तक भगवत्संप्रदानक अथवा भगवन्निमित्तक स्वसंप्रदानक परवित्तका परिहृत करके जो तनुजा सेवा करते हैं वह शुद्ध अपसिद्धान्तभरी वञ्चना ही है।

आधुनिक पुष्टिजीवोंमें ब्रजभक्तोंके जैसी निरुद्धता यदि न हो तो भगवत्सेवन निरूपयोगी सिद्ध होगा इसी आपत्तिके परिहारार्थ श्रीगोकुलनाथजी श्रीमदाचार्यचरणकी कृपाको भी एक सहकारी कारणके रूपमें प्रस्तुत कर रहे हैं। अर्थात् चित्तकी वैसी अवस्थाके बिना भगवत्सेवा अनुपयोगी सिद्ध हो सकती है। आजीविकार्थ की जाती तनुजा अथवा प्रतिष्ठार्थ या प्रायश्चित्तार्थ की जाती वित्तजाकी तो क्षुद्र निन्दनीय कथा है परन्तु यथोक्त तनुवित्तजा भी अनुपयोगी ही रहती यदि श्रीमदाचार्यचरणने कृपा करके "प्रवाहेण क्रिया ता" (पु.प्र.म.१५) "उभयोर्भावे श्रवणादीनां पापनाशकत्वं धर्मत्वं वा नतु भक्तिमार्गः" (निब.प्रका.१।१०२) वचनोंद्वारा

पापनाशक केवल क्रियारूप पुष्टिधर्मका उपदेश न दिया होता। अतएव श्रीगोकुलनाथजी कहते हैं कि ब्रजभक्तोंकी तरह हमारा चित्त भावदैकपरायण न भी हो तब भी श्रीमदाचार्यचरणोक्त — आत्मनिवेदनपूर्वक (सि.र.) स्वग्रहमें (भ.व.) भार्यादि सकल परिचारकोंके निवेदन-समर्पणपूर्वक (निब.२।२३१) भावप्रदर्शनवृत्तिरहित (अणु.भा.) प्राप्त होनेपर शाश्वत स्ववर्णाश्रमाचरणा यथाशक्ति निर्वाह (निब.) स्वकीयतनु तथा स्वकीयवित्त से कृष्णसेवात्मिका — क्रियामात्रका अनुष्ठान करेंगे तब ही चित्त उस अवस्थाको प्राप्त हो पायेगा।

फलतः विचारणीय है कि इस क्रियामात्रके अनुष्ठानमें भी श्रीमदाचार्यचरणोक्त प्रकारसे वैपरीत्य बरतनेपर तो उस क्रियाका स्वरूप भी खण्डित हो जाता है। अतएव तनुवित्तजा सेवाका श्रीगोकुलनाथजीको अभिप्रेत प्रकार तनुजा एवं वित्तजा के पार्थक्यपूर्वक नहीं — यह सिद्ध हो जाता है। श्रीकल्याणरायजीने इस अंशपर यहां कुछ विशेष विवेचन दिया नहीं है।

श्रीपुरुषोत्तमजीने यहां एक अतिशय महत्वकी बात समझाई है और वह यह कि यहां उपदिश्यमान कर्तव्यका मूल श्रीमद्भागवतके ये श्लोक हैं :—

भक्तियोगः पुरैवोक्तः प्रीयमाणाय तेऽनय ॥

पुनश्च कथयिष्यामि मद्भक्तेः कारणं परम् ॥

श्रद्धामृतकथायां मे शक्नमस्तुकीर्तनम् ॥

परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्तनं मम ॥

आदरः परिकथार्थां सर्वांगीभिवन्दनम् ॥

मद्भक्तपूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मतिः ॥

मदर्थैर्व्यागच्छेत् च वचसा मद्गुरोरणम् ॥

मय्यर्पणं च मनसः सर्वकामविवर्जनम् ॥

मदर्थेऽर्धपरित्यागो भोगस्य च सुखस्य च ॥

इदं दत्तं हुतं जां मदर्थं यद् व्रतं तपः ॥

एवं धर्मैर्नृत्याणाम् उद्धवात्मनिवेदिनाम् ॥

मयि सञ्जायते भक्तिः कोन्योऽर्थोऽस्यावशिष्यते ॥

यदात्मन्यर्पितं चित्तं शान्तं सत्त्वोपबृंहितम् ॥

धर्मज्ञानं सवैपायम् ऐश्वर्यं चाभिपद्यते ॥

यदर्पितं तद्विकल्पे इन्द्रिये परिधावति ॥

रजस्वत्वं चासन्निधं चित्तं विद्धि विपरिपश्य ॥

धर्मो मद्भक्तिकृतं प्रोक्तो ज्ञानं चैकाम्यदर्शनम् ॥

गुणोब्धसंगो वैराग्यमैश्वर्यं चाणिमादयः ॥

(भाग. १।१।११९-२७)

इनमें कहीं भी भक्त्यर्थं परोहित्यकी अनुमति दिखलाई नहीं देती.

यद्यपि यहां एक शंका यह अवश्य की जा सकती है कि इन श्लोकोंमें तनुवित्तजा भी तो कहीं निरूपण नहीं है, प्रत्युत 'तनुजा' = "मदर्थे'वंगच्छेत्" तथा 'वित्तजा' = "मदर्थे'धर्पित्यागो" — इस तरह पृथक्-पृथक् ही प्रतिपादन हुआ है. समानतया, परन्तु, सावधानीपूर्वक यह विचारणीय है कि केवल वित्तजा अर्थात् स्वकीय-तनुसाहित्यके बिना अथवा परकीय तनुसाहित्यके बिना तो कृत्य ही नहीं. अतः सेवाका तनुवित्तजा होना तो मानसीकी सिद्धिसे पूर्व सर्वथा-सर्वथा-सर्वथा ही दुष्परिहर है — इसमें किसी भी तरहके अन्यथाकल्प, विकल्प या अनुकल्प की संभावनाकी गंध भी नहीं है.

अन्यथाकल्प विकल्प या अनुकल्प शक्य है इस पक्षमें कि अनुष्ठीयमाना तनुवित्तजा स्वकीय वित्तसे ही करनी चाहिये, जो श्रीमहाप्रभु-प्रभुचरणप्रभृति प्राचीन ग्रंथकारोंके द्वारा उपदिष्ट मत है; अथवा परकीय वित्तसे ही, जिसकी लात्सायके विवश गोस्वामिगण दर्शनार्थिओंके समक्ष भागवत्सेवाप्रदर्शनको अपना भगवत्सेवासे भी प्रमुख श्रेयस्कर स्वधर्म मानते हैं; अथवा उभयके वित्तसे, अर्थात् दर्शनार्थिओंके भी तथा स्वयंके भी; अथवा अनुभयके, अर्थात् कर्ताधानसे बचनेके चक्रकरमें स्वपरान्यतर वित्तके देवस्वीकरणकी दृष्टनिर्मितिकी प्रक्रियासे; अथवा इनके विवेक रखनेके आग्रहको भगवत्सेवाविरोध मानकर अन्ततःके वित्तसे भी यथाकथंचित् सेवाप्रदर्शन चातु रूना चाहिये. क्योंकि आज अधिकांश पुष्टिमार्गिओंकी, विमर्शकारसहित, यह धारणा अतिदृढ़ है कि भगवत्सेवाप्रदर्शनके अभावमें पुष्टिमार्गोच्छेद हो जायेगा. मानो पुष्टिमार्ग पुष्टिप्रभुकी पुष्टिभक्ति करनेका मार्ग न होकर पुष्टिप्रभुके पुष्टिमार्गीय भजनरूप विश्वधर्म(!)के सार्वजनिक प्रदर्शनका ही मार्ग हो!

परन्तु विमर्शकारप्रभु स भी पुष्टिमार्गिओंका कर्तव्य है कि उल्लिखित श्लोकोंमें तथाकथित पृथक्-पृथक् तनुजा एवं वित्तजा का वर्णन जैसे उनके द्वारा खोजा जा रहा है, जैसे ही आधुनिक पुष्टिमार्गिओंको प्रभुके ये वचन भी खोज रहे हैं कि "मध्यर्पणं च मनसः सर्वकामविवर्जनं, यदात्मन्यर्पितं चित्तं शान्तं सत्त्वोपबृंहितम्, धर्मज्ञानं सर्वराम्यम् ऐश्वर्यं चाभिपद्यते, यदर्पितं तद्विकल्पे इन्द्रियैः परिधावति, रजस्वलं चासन्नं चित्तं विद्धि विपर्ययम्." अतः मूल बात न मानसी सेवाकी रह जाती है और न तनुवित्तजाकी अथवा तनुजा या वित्तजा की ही! मूल बात है सर्वविध (आर्थिकलाभ-पीठाधीश्वरप्रतिष्ठापूजा आदि-आदिकी) कामनाओंसे विवर्जित चित्तको भागवत्प्रवण बनानेकी. एतदर्थं न केवल "मदर्थे'वंगच्छेत्" अर्थात् अहंतापरित्यागविषयक — "मदर्थे'धर्पित्यागः" नहीं किन्तु "मदर्थे'धर्पित्यागः" अर्थात् ममतापरित्यागविषयक ही केवल उपदेशवचन नहीं है अपितु भगवदर्थक भोग-सुख-परित्यागविषयक भी उपदेशवचन हैं. चित्तको आत्मार्पित = भगवदर्पित रखनेके

बजाय जब कोई आत्मविकल्प = भगवद्विकल्पोंमें अर्थात् भगवत्स्वरूपको धर्मोपायतया अर्थोपायतया कामोपायतया या मोक्षोपायतया इष्ट मानकर जब तद्गुणविकल्पाथं अर्पित करता है तो भगवद्वचनाप्रामाण्यानुभवशास्त्र एसे वित्तको रजस्वल असन्नित्त विपर्यस्त मानना पडता है. इसी भगवदभिप्रायके विचारवाश प्रभुचरणोंके कहा है — "वित्तं दत्त्वा अन्येन पुरुषेण कृत्वा कारिता एका एतादृशेन पुसा कृता च अपरा, एतादृश्यौ ते तत्साधिके न इति अपिप्रायज्ञाकं समस्तं पदम्." और इसी विवृतिके आशयका अवगाहन करते हुए श्रीपुरुषोत्तमजीने सुस्पष्ट कहा है कि सेवार्थ वित्तप्रदान राजसभावोपदीपक होता है तथा सेवार्थ वित्तपरिग्रह अविविहित होनेसे निष्कल कर्माथं कालक्षेप है. अतः सिद्धान्तमुक्तावलीके उपदेशको भक्तिवर्धिनी तथा निरोधलक्षणके उपदेशसे समन्वित करके देखना हो तो यों कहा जा सकता है :

- (क) प्रपञ्चमाहात्म्यज्ञानरहित भगवन्माहात्म्यज्ञान
- (ख) प्रपञ्चव्यसनरहिता भगवदुपिपूर्विका तनुवित्तजा
- (ग) प्रपञ्चासक्तिरहिता भगवत्सेमपूर्विका तनुवित्तजा
- (घ) प्रपञ्चोपमरहिता भगवदासक्तिपूर्विका तनुवित्तजा
- (ङ) प्रपञ्चरुचिरहिता भगवद्व्यसनपूर्विका तनुवित्तजा.

इस पांचवी अवस्थाको प्राप्त भगवत्सेवा अंतमें पुष्टिजीवको कृतार्थ बनानेवाली सर्वात्मभाव, मानसी सेवा या प्रपञ्चविस्मृतिपूर्वक-भगवद्व्यसनभावापन्न चित्तकी तल्लीनतामें पर्यवसित होती है. यहां हम स्पष्ट देख सकते हैं कि प्रापञ्चिक लाभपूजाके व्यसनसे ग्रस्त चित्त लेशतः भगवानमें रुचि भी लेता है तो या तो पीठाधीश्वरताधिक्य प्रतिष्ठा अर्थात् राजस अहंताके पोषणार्थ ही अथवा अर्थोपाजनीपथिक लाभ अर्थात् निष्कल ममताके पोषणार्थ ही. ऐसी प्रापञ्चिकव्यसनवती अहंता-ममता न हो तो 'तनुवित्तजा'के अनुष्ठानमें विग्रहकी आवश्यकता ही नहीं. व्युत्पत्तिबोधमें विग्रह तो निर्दोष हो ही सकता है.

इसके अलावा श्रीपुरुषोत्तमजीने तो स्पष्टतया यहां श्रीमत्प्रभुचरणविवृतिके द्वारा प्रयुक्त 'उक्तसेवासाधने' द्विवचनका पुनः श्रीमत्प्रभुचरणभिप्रायके अन्यथानयनकी संभावनाकी भीतिके वश तथा श्रीगीताभागवतादि शास्त्रीय संदर्भानुभवशास्त्र भी पुनः एकवचनमें विभक्तित्विपरिणाम किया है : "यद्यपि एकादशस्कन्धे 'पुनश्च कथयिष्यामि मद्भक्तैः कारणं परम्' इति उपक्रम्य 'एवं धर्मैर्मुन्युपागाम उद्वलत्सन्निवेदिनाम् मयि सज्जायते भक्तिः' इत्यन्तोक्तवतीत्या क्रियमाणं साधनं (नतु साधने) तत्परिपाकदशायां तु स्नेहेन क्रियमाणं तत्साधनम् (नतु साधने). तत् (साधनं नतु साधने) चेत् वित्तं वेदान्त्येन दत्त्वा कायते तदा चित्तस्य राजसत्त्वं कुर्वन्ती चित्तस्य तद्वणत्वम् न करोति."

यहां सर्वत्र एकवचनसे साधनाभिधान हो रहा है, द्विवचनसे नहीं.

वैसे यह कोई बहोत बड़ी बात नहीं है क्योंकि एकवचन द्विवचन या बहुवचन वस्तुस्वरूपानुबंधन नहीं प्रयुक्त होते किन्तु वस्तुविवक्षानुबंधन ही. (प्रश्न. "द्वैतकयोः द्विवचनैकवचने बहुषु बहुवचनम् सूत्रयोः...द्विवचनविधायं द्विवचनस्य बहुत्वविवक्षयां बहुवचनस्य विधायकं सूत्रमिति निरर्थक्योऽसद्व्ययैक्य एकत्वसंख्यविरुद्धे-कवचनं सिद्धयति इति" टिप्पणी म. म. शिवदत्तविरचिते।) परन्तु यह तो 'उक्तसेवासाधने' में प्रयुक्त द्विवचनका बावैला मचानेवालेको केवल प्रतिबन्दी अंग है.

महत्त्वपूर्ण तो यहां यही है — सेवार्थ वित्तप्रदानसे अंग्रेज राजसत्त्वाभिमुखिद्विप्रसक्ति तथा सेवार्थ वित्तप्रतिग्रहसे निष्पत्तित्वप्रयुक्ति ही सर्वविध कुविमर्शोपशमनी है. विमर्शकाराद्वारा पृष्ठ ४-६ तथा १०४-१३२ पृष्ठोंपर भी विस्तृत विचार इस विषयमें किया गया है जिन सबका उत्तर तो यथायथ क्रोडाक्रीडनकञ्जीडाविभागमें तत्तद् अंशोंकी विशेषणिकामें दिया ही जायेगा. यहां प्रकृतमें केवल दो बातें जान लेनी जरूरी हैं.

(१) विमर्शकार वित्तप्रदानके अनेकविध शास्त्राभिमत प्रकारोंसे या तो सर्वथा अनवगत है या अधीत विशेषकों भूल गये लगते हैं या स्वार्थवश जानबूझ कर वास्तविकताको छिपाना चाहते हैं. अन्यथा अविभक्तस्वत्ववालोंका एकदूसरेको वित्त देना, स्वस्वत्वत्यागरूप या परस्वत्वोत्पादनरूप न होनेसे, 'वेतन'पदके प्रयोगसे पतिद्वारा पत्नीको सेवार्थ दिये जाते वित्तदानके कारण करनेकी आवश्यकता ही क्या थी? लिसपर भी मुखिया-भीतरियाकी बटालियनको पगारके रूपमें दिये जाते वित्तको भावप्रत्ययके कुविमर्शसे "वेतनबुद्धि रखकर दिया गया वित्त दोषावह होता है; आज्ञाविकार्य नहीं" — ऐसा और कहते हैं. इससे अधिक अकाण्डतापडव और क्या हो सकता है?

यदि सेवार्थ वेतनबुद्धि रखकर वित्त देने-लेनेपर ही धरु होता हो; अन्यथा नहीं तो कोई धनिक वणिक् उसके घरमें विराजते श्रीठाकुरजीकी सेवामें किसी धनहीन या धनलोलुप गोस्वामी महाराजको मुखिया या भीतरिया के रूपमें नियुक्त करना चाहें और कहें कि "वेतन नहीं, प्रतिमास आपके चरणारविन्दोंमें १००० या २००० भेट धर दी जायेगी" तो वह आचार्यवंशजोंके स्वरूपविचारासे निन्दनीय कथा होगी कि अभिनन्दनीय? क्योंकि बनियाके घरमें भी तो भगवत्सेवा करने ही जाना है; बनियाकी सेवा करने तो नहीं. और भगवत्सेवा स्वगृहमें ही करनी और परगृहमें नहीं करनी ऐसा भी कोई सैद्धान्तिक बंधन तो विमर्शकारने स्वीकारा नहीं है. इस तरह गोस्वामी महाराजोंको मुखिया-भीतरियाके रूपमें नियुक्त करके दर्शनार्थी जनतासे कोई बनिया उसके सेव्यस्वरूपकी सेवार्थके नित्यक्रमार्थ मंगलाभोग-पलना-राजभोग आदिकी भोग-सामग्री स्वीकारे, हिंडोला-फूलमंडली आदिके मनोरथोंकी भी सेवा ले तो उस अवस्थामें भी, दर्शनार्थी क्योंकि परिचाजन

या गुरुशिष्यान्तर नहीं हैं अतः, स्वयं नहीं ले सकता हो तो न लें परन्तु उसके घरमें विराजमान प्रत्येक लिये क्यों नहीं ले सकता उपायनीकृत भेट-सामग्री? और क्योंकि बनियाके घरमें बनियाकी आज्ञासे बनियाके पुष्टिप्रभुकी सन्तोषजनिका सेवार्थ उपाहत भेट-सामग्रीपर भी बनियाका भी पूर्ण अबाधित स्वत्व तो, कुविमर्शनीतिवश, होगा ही. अतः उससे, महाराज जैसे कीर्तनिकाको देते हैं वैसे ही, वह बनिया गोस्वामी महाराजोंका भी परिपालन क्यों नहीं कर सकता है? वेतनबुद्धिसे न देकर चरणारविन्दमें रखनेकी शर्त तो स्वीकृत है ही! यदि "कोई महाराज इतने अर्थकारणसे पीडित नहीं होता अतः ऐसा प्रस्ताव स्वीकारना नहीं ही" यह सफाई दी जाती है, तब तो स्वीकारना पडेगा कि गोस्वामिओंके यहां आते मुखिया-भीतरिया अर्थकारणवश ही भगवत्सेवाकी नैकी तथा पगार स्वीकारते हैं. तब तो वेतनबुद्धि अकाम गलेपतित है!

(२) रही बात "वेतन" वित्तदानका उपलक्षण या उदाहरण हो नहीं सकता, परन्तु "वित्तं दत्त्वा"विधानका प्रभुचरणामिश्रेत निष्कृत अर्थ या विशेषण है" — ऐसे कुविमर्शकी. तो वहां यह अवश्य है कि मैंने कभी भी इस आशयमें उसे उपलक्षण नहीं कहा कि वेतनदानकी विशेषोक्तिद्वारा वित्तदानकी सामान्योक्ति अभिप्रेत है. अतः विमर्शकार यहां अज्ञान एवं अनवधान से विजृम्भित नितान्त हास्यास्पद विधान कर बैठे हैं : "पूर्वपक्षियोंका कथन अप्रामाणिक है. श्रीपुरषोत्तमजीने 'वित्तं वेतनत्वेन दत्त्वा' इस वाक्यमें उदाहरणबोधक 'तद्यथा' आदि शब्द नहीं लिखा है. अतः उन्होंने उदाहरणके रूपमें 'वित्तं वेतनत्वेन दत्त्वा' लिखा है — यह बात स्वीकारनी नहीं जा सकती. 'वित्तं वेतनत्वेन दत्त्वा' यह 'वित्तं दत्त्वा'का उपलक्षण है यह कहना हास्यास्पद है. क्योंकि जब मूलमें 'वित्तं दत्त्वा' है ही तब कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति उसके उपलक्षणके रूपमें 'वित्तं वेतनत्वेन दत्त्वा' यह नहीं लिखेगा." (पृष्ठ १३२).

इस परमकाष्ठापन हास्यास्पद कुविमर्शके बारेमें क्या कहना समझमें नहीं आता! तृतीया विभक्तिके ११ अर्थ विद्वानोंने स्वीकारे हैं : (१) कर्तृत्व (२) करणत्व (३) वृत्तित्व (४) विशेषण (५) उपलक्षण (६) कारकहेतुत्व या ज्ञापकहेतुत्व (७) फल (८) अभेद (९) अवच्छेदकत्व या अवच्छेद्यत्व (१०) अधिकारणत्व (११) वैशिष्ट्य. इनमें "रामेण बाणेन हतो बालिः"की तरह कर्तृत्व-करणत्वकी तो यहां संभावना ही नहीं. इसी तरह "अक्षया काण्डः" की तरह वृत्तित्व अर्थ भी उपपन्न नहीं होगा. "इत्थंभूतलक्षणे = कंचित्प्रकारं प्राप्तस्य लक्षणे तृतीया स्यात्" और क्योंकि कोई भी लक्षण या प्रकार विशेषण भी हो सकता है या उपलक्षण भी. यथा "ज्ञायमानत्वेन लिंगं कस्यम्"के उदाहरणमें ज्ञायमानता 'अतद्व्यावर्तक'विशेषण है और लिंग विशेष्य. इसी तरह "जटाभिः तापसाः"

उदाहरणमें जटा तापसका उपलक्षण होती है. उपलक्षण “अतद्व्यावृत्त्यनवच्छेदकत्वे सति अतद्व्यावृत्तिसमानाधिकरण” होता है. क्योंकि वस्तुतः अन्यातिरिक्तवृत्ति होनेके कारण तापसके मुख्य लक्षण तो शमदमादि ही किसी व्यक्तिको तापस बनाते हैं. शमदमादि साधनाकी प्रक्रियामें यदृच्छया ढकी जटाएं नहीं. जटाओंके अतापसव्यावृत्तिकी अनवच्छेदिका होनेपर भी अतापसका व्यावर्तन तो जटाओंद्वारा होता ही है. अतः जटाएं उपलक्षण बन जाती हैं.

प्रकृतमें ‘वेतनत्व’को वित्तदानका विशेषण मानना या उपलक्षण — इस विषयमें विमर्शकारकी किसी तरहकी विप्रतिपत्ति होनी कोई अनुचित कथा नहीं. परन्तु अनवधानविजृम्भण या अज्ञानविजृम्भण की परकाष्ठा तब होती है कि जब एक और विमर्शकार पृष्ठ ४ पर स्थित अनुच्छेदका अनुराधिक दे रहे हैं : “वेतनत्वेन यह विशेषण क्यों?” और पृष्ठ ५वें तक उसकी उपपत्ति दे रहे हैं कि वेतनत्वविशिष्ट वित्तदानको निषेधकोटिमें नहीं गिनना चाहिये क्योंकि वेतनत्वविशिष्ट वित्तदान ही श्रीपुरुषोत्तमजी तथा श्रीप्रभुचरण के वचनोंकी एकवाक्यतासे निष्कृष्ट अर्थ है. और देखिये! १०-२० पृष्ठ बाद नहीं; इसी ५वें पृष्ठपर स्थित अनुच्छेदका अनुराधिक है : “क्रीत एवं विक्रीत सेवाएं मानसीसाधक तनुजाके अन्तर्गत नहीं.” (1) ईश्वर-अल्ला तैरे नाम सबको समति दे भगवान!

क्या “वेतनत्वेन वित्तदान” और “मूल्यत्वेन = क्रयत्वेन वित्तदान” और “स्तोमत्वेन वित्तदान” और “सेवकीत्वेन वित्तदान” और “चरणभेट-पधराजनीभेटत्वेन” और “देवलकप्रसादनार्थं मंगला-पलना-राजभोग-भूलमंडली-छण्णभोगकी भेट-सामग्रीत्वेन वित्तदान” आदि सभीमें “सर्व सर्वमयम्” का शुद्धादित है? यदि नहीं तो भृत्यको वेतन दिया जाता है, विक्रेताको मूल्य या क्रयोपयिक वित्त, भूमि या गृहके वास्तविक स्वामीको खेती-कारखाना-दुकान-ऑफिस-मकान-घर आदिका स्तोम = भाडा दिया जाता है, किसीकी सेवाभक्तिसे प्रसन्न होकर सेवकीत्वेन वित्तोपहार या वस्तुपहार सेवकको दिया जाता है. गोस्वामी भी क्या भागवत्सेवा नहीं करते? यदि करते हैं तो उन्हें सेवकी क्यों नहीं दी जाती? यदि कहा जाये कि वैष्णव धनपति स्वयं अन्तमें महापराजत्रीओंके सेवक हैं अतः महाराजत्रीओंको अपना सेवक तो मान नहीं सकते. तब भी महापराजत्रीको भगवत्सेवामें परायण होनेके कारण भगवत्सेवक तो मान ही सकते हैं. अतः जैसे मंदिरके मुखिया-भीतरियाको देते हैं, वे भी धनपतिके सेवक तो नहीं होते, तो ऐसे भगवत्सेवकोंमें पू.पा.महाराजत्रीके प्रसादनार्थ उन्हें भी निषेध सेवकी क्यों नहीं दे सकते? यदि कहा जाये कि महाराजत्री गुरुकल्प होते हैं अतः उनकेद्वारा स्वधर्मतया अनुष्ठित भगवत्सेवापर प्रसन्न या अप्रसन्न होनेका अधिकार भागवानका ही होता है, सेवकोपम शिष्योंका नहीं तो फिर गुरुत्वोपाधिसे दैनिक चरणभेट—बहुधा पधराजनीभेट-प्रदेशभेट-जन्मदिनभेट-

उपनयनभेट-विवाहप्रस्तावभेट- उनके खवास जलपरिया आदिओंको खवासी-सेवकीकी भेट आदि अनेकानेक प्रकारोंमें सेवककल्प अनुगामिनी जनता स्ववित्तदानद्वारा गुरुकल्प महाराजत्रीओंका प्रसादन तो कर ही रही है. तो “अपि कामातुरो जन्तुर्लोकं रक्षति माततम्” न्यायसे केवल स्वाराध्य भगवत्स्वरूपार्थक अतः पवित्तिषण न रहें तो बहोत हानि नहीं होनी चाहिये. क्योंकि “परद्व्याप्यभिव्यायन् तथानिष्ठानि चिन्तयन् वितथाभिनिवेशी च जयतेऽन्यासु योनिषु...अदत्तदाननिरतः पदारापेसवक. हिसकक्षाविधानेन स्थावरेषुपूजायते” (याज्ञ. स्म. प्राय. ४।१२४-१२६). यदि कहा जाये कि अन्य अनेक विधाओंसे वित्तदान करनेपर भी जब तक गोस्वामी महाराजत्रीओंके आराध्यको देवनमित्तक या देवसंप्रदानक वित्तदान शिष्यगण नहीं करते तब तक महाराजत्रीओंका उतना प्रसादन नहीं हो पायेगा. क्योंकि सेव्यसन्तोषजनिका महावैभवाशालिनी सेवा किन्ना महाराजत्रीओंका मन भरता ही नहीं है. तदुपयोगि वित्त पूर्वोत्थित चरणभेट आदिके अनेकानेक वित्तोपार्जनके प्रकारोंके बावजूद उस खर्चका बोझ महाराजत्री उदा नहीं पाते हैं.

तो भी कुछ अधिक चरणभेटप्रदानार्थ, कुछ अधिक पधराजनीभेटप्रदानार्थ, कुछ अधिक प्रदेशभेटसंग्रहार्थ स्वतः अथवा स्वाश्रित समाधानिओ जैसे एजेंटोंके द्वारा ण्णवोंको प्रेरित करनेपर अधिक वित्तसंग्रह भी अवरय शक्य है ही. परन्तु यदि कहा जाये कि उसमें वैसी निस्पृहता अथवा सरलता नहीं निभेगी जैसी सरलतासे अपने टाकुजोंके नामपर नित्य-नैमित्तिक सेवामनोरथोंकी भेट-सामग्रीके रूपमें पवित्रग्रहण करनेपर पू.पा.महाराजत्रीओंका प्रसादन हो पाता है. तब तो फिर यह निश्चित हो गया कि “देवलकप्रसादनार्थं मंगला-पलना-राजभोग-भूलमंडली-छण्णभोगकी भेट-सामग्रीत्वेन वित्तदान” भी एक पृथक ही प्रकार है!

अतः “सर्व सर्वमयम्” न्याय तो स्वयं विमर्शकार को भी मान्य नहीं तब “भृत्यसंप्रदानक वेतनत्वेन वित्तदानात्मिका सेवा” और “सेवारूपकर्मविक्रेतुसम्प्रदानक मूल्यत्वेन वित्तदानात्मिका सेवा” एक ही प्रकारकी सेवा नहीं होती. क्योंकि भृत्य होना और विक्रेता होना एक ही बात नहीं है. ऐसी स्थितिमें मुखिया भीतरिया आदि भृत्योंको दिये जाते वेतन तथा स्वाराध्य भगवत्स्वरूपकी सेवाके विक्रेता पू.पा.महाराजत्रीओंको दिये जाते सेवामूल्य तथा सेवकोंको दी जाती एतन्निषेध सेवकी में एकवद्भाव कैसे किया जा सकता है? क्योंकि स्वयं विमर्शकारको “वेतनत्व” वित्तदानरूप विशेष्यके विशेषणतया अभिमत है, उसे मूल्यप्रदानपूर्वक सेवाक्रय तो नहीं माना जा सकता. शमदमादिसाधनाकी प्रक्रियामें यदृच्छया अभिवृद्ध जटाओंकी तरह सेवा कर्ममूल्यत्वेन दीयमान वित्तमें यदृच्छया अनिवृद्ध वेतनत्ववृद्धि या क्रयवृद्धि के निवारणार्थ ही यहां “वेतनत्वेन” पदप्रयोग श्रीपुरुषोत्तमजीने किया है ऐसा स्वीकार लेते हैं तब तो घडकुटीमें प्रभात हो गया! क्योंकि स्वयं

विमर्शकार 'वेतनत्व'को विशेषण नहीं प्रत्युत उपलक्षण ही मान रहे हैं, और बावजूद इसके उसका प्रत्याख्यान भी करते हैं! तो जो स्वविवक्षितार्थावबोधक्षम न हो उससे अन्यविवक्षितार्थावबोधक्षमता की अपेक्षा क्या रखनी!! और ऐसी स्थितिमें शास्त्रविवक्षित गंभीरार्थावबोधकी अपेक्षा तो केवल मृगतृष्णा ही सिद्ध होगी!!!

इससे सिद्ध होगा है कि 'वेतनत्व'पद वित्तदानका उपलक्षण ही है. अतः जटारं जैसे प्रत्याख्यानव्युत्पत्तिकरपाठवच्छेदक शमदमादि साधनसे भिन्न होनेपर भी कहीं विद्यमानतया और कहीं अविद्यमानतया भी व्यावर्तक बन जाती हैं, ऐसे ही 'वेतनत्व'रूप उपलक्ष्यसे सामान्य वित्तदान नहीं किन्तु अन्य भी वेतनसदृश; अर्थात् स्तोमत्वेन, मूल्यत्वेन, दक्षिणात्वेन, सन्मुखभेटत्वेन, सामग्रीभेटत्वेन, मनोरथभेटत्वेन आदि अनेकानेक वित्तदानके, प्रकार भी यहां विवक्षित हैं ही. ऐसी स्थितिमें तृतीया विभक्तिका अर्थ विशेषण लेनेपर 'वेतनत्वेन वित्तदान'का अर्थ वेतनत्वविशिष्ट वित्तदान होगा. ऐसे ही उपलक्षण अर्थ लेनेपर 'वेतनत्वोपलक्षित वित्तदान' भी अकथित ही सिद्ध होता है. उन अनेक प्रकारोंसे वित्तदान करनेपर वित्तग्रहण करनेपर "एतादृश्यो ते तत्साधिके न" द्वारा विवक्षित निषेधता आती है — यह तो स्पष्ट ही है. सेवाकर्ताको सेवाकर्तृत्वोपाधिसे न देकर पत्नीत्वोपाधि-पुत्रत्वोपाधि-गुरुत्वोपाधि-भृत्यत्वोपाधिसे जब भी कुछ भी दिया जाता है तो वह कथान्तर है. उन उपाधियोंको सेवाकर्तृत्वोपाधिके साथ "गोमयं पायसं"कलेपर तो गोस्वामी महाराजश्रीओंकी प्रसन्नताके लिये दी जाती चरणभेटको भी 'सेवकी' ही कहना उचित होगा! यह कभी भी भूलना नहीं चाहिये कि तब तो गुरुपदाधिष्ठित गोस्वामी महाराजश्रीओंके खवास-जलपाडियाओंको दी जाती सेवकी भी 'गुरुभेट' ही कहलायेगी गुरुओंके पूर्ण स्वत्ववाली. इसी तरह क्योंकि अन्तमें गोस्वामी महाराजश्री भी ब्रह्मसंबंधदीक्षानर्गत भगवद्भक्त्योंके अंगीकार कर चुके हैं, अतः "दासेनोढा त्वदासी या सापि दासीत्वमानुवाद यस्माद् भर्ता प्रपुस्तस्यः स्वाम्यधीनः प्रयुक्तः दासस्य तु धनं यद् स्यात् स्वामी तस्य प्रयुक्तः." (व्यवहारमयूख : अन्यूपेत्यथ शुश्रूषाकरणस्य कात्यायनवचन). अतः गोस्वामिओंको चरणभेटके रूपमें या गोस्वामिओंके सेव्यस्वरूपकी सन्मुखभेटके रूपमें या मेहताखाना-पेढीओंमें भेट-सामग्रीके रूपमें या अन्य किसी भी रूपमें वित्त दिया जाये, सबके स्वामी गोस्वामीके प्रभु ही होंगे, स्वयं गोस्वामी नहीं; जैसीकि विमर्शकारको प्रान्ति है.

रही बात 'वेतनत्व'के उदाहरणार्थ होनेकी, तो उसमें भी यह अवधेय है कि परार्थनिमित्थं प्रयुक्त दृष्टान्त या उदाहरण एवं कात्यायनकवणार्थ प्रयुक्त दृष्टान्त उदाहरण या उपमामें 'इव' 'यथा' 'वत्' आदिका प्रयोग आवश्यक होता है. पन्तु एतावता "अपनी ममतास्यदीभूत सकल वस्तुओंका भावनाको समर्पण

करना चाहिये" विधानकी व्याख्या करते हुए ममतास्यदीभूत वस्तुओंके निरर्शानार्थ यदि कोई व्याख्याकार "पुत्रत्वेन ममतास्यदीभूत" अर्थ करता हो तो वहां भी 'तद्यथा'को खोजना तो अतद्यथाार्थकी ही खोज है! इतनी इतनी छोटीसी बातें तो समझते हुये भी लज्जा आती है पन्तु कहते-लिखते विमर्शकारको नहीं आती! किमाश्चर्यमतः परम्!! "दण्डकी दण्डत्वेन घटकारणता होती है, पार्थिवद्रव्यत्वेन नहीं"विधानमें अथवा "शर्करात्की शर्करात्वेन खीरकारणता है, इक्षुजन्यत्वेन नहीं" इन वचनोंमें दण्डत्व-शर्करात्व कारणतासामग्रीघटके उदाहरणार्थक हैं या कारणतासामग्रीस्वरूपनिरूपणार्थक? यदि उदाहरणार्थक तो 'तद्यथा'शब्द यहां क्यों नहीं है? यदि कारणतासामग्रीस्वरूपनिरूपणार्थक तो केवल दण्ड या शर्करासे भी घट या खीर उत्पन्न हो जानी चाहिये. प्रतीत होता है परम्परया अधीत शास्त्रोंमें कहीं उदाहरणतया निदर्शना प्रभेद विमर्शकोंके पढ़नेमें शायद आया नहीं होगा! अस्तु.

श्रीपुरुषोत्तमजीके बाद श्रीवल्लभजी तथा श्रीब्रजनाथजीमें 'उक्तसेवासाधने इतरे'की व्याख्यामें " 'उक्तसेवा' मामसीसेवा, 'इतरे' तनुवित्तजे'कहकर विमर्शकार और उनके सहयोगियोंको अत्यन्त क्षुद्र कुशकाशावलम्बनका अवसर तो अवश्य दिया है, इसमें सन्देह नहीं. फिर भी विमर्शकार उसपर अवलम्बित हो नहीं पाते! इसका मुख्य रहस्य तो इसीमें निहित है कि टिप्पणीकारके द्वारा प्रदत्त प्रचलित पाठ " 'इतरे' = तनुवित्तजे"के बारेमें पाठशुद्धि विमर्शकारने प्रस्तावित की है. वैसे यदि यह अशुद्ध पाठ ही हो तो संभवतः " 'इतरे' = तनुवित्तजे" ही अधिक सुसंगत पाठशुद्धि स्वीकारनी चाहिये, पूर्वोक्त अनेकानेक हेतुओंके कारण. फिर भी विमर्शकारद्वारा प्रस्तावित पाठशुद्धि तो स्वयं विमर्शकारको भी विवक्षितार्थनिवबोधविजृम्भित ही है.

विमर्शकारके शब्दोंमें : "यहापर 'इतरे तनुवित्तजे' यह शुद्धपाठ है. 'इतरे तनुवित्तजे' यह प्रकाशित पाठ अशुद्ध है. क्योंकि 'तनुवित्तजे'पदका विग्रह इस प्रकार होगा : (१) तनुश्च वित्तं च तनुवित्तं, तनुवित्ताभ्यां जाता तनुवित्तजा, तनुवित्तजा तटुत्पिन्ना च तनुवित्तजे अथवा (२) तनुश्च वित्तं च तनुवित्तं, तनुवित्ताभ्यां जाते तनुवित्तजे. एवं च 'द्वन्द्वान्ते श्रृयमाणं पदं प्रत्येकमभिसम्बध्यते' इस नियमके अनुसार 'तनुवित्तजे'पदसे दो-दो तनुजा वित्तजा सेवाओंका बोध होगा." (पृष्ठ ११६).

यहां इस विमर्शग्रन्थकी सबसे बड़ी एक कॉमंडी उभरी है! विमर्शकार स्वयं यह तो कह नहीं रहे हैं कि सेवात्रिविध्यवादी सभी गोस्वामी स्वयंके वित्तका विनियोग अथवा स्वयंके तनुका विनियोग अपने आराध्यकी सेवामें करते ही नहीं है. फलतः सेवात्रिविध्यवादी गोस्वामिओंद्वारा अशुद्धि स्वतन्त्र-स्ववित्तजन्य भगवत्सेवा एक तनुवित्तजा. इसी तरह विमर्शकारद्वारा सिद्धान्ततया अभिमत दर्शानार्थिओंके

द्वारा उपाहृत समुखभेट तथा महेशाखाना (पेढीमें) जमा होती मंगलभोग* -पलना-राजभोग-
 फूलमंडली-छप्पनभोगकी भेट-सामग्रीरूपा वित्तजा सेवा तथा मुखिया-भीतरियाकी
 बाललियांद्वाारा अनुष्ठित तुनुजासेवा — यों दूसरी तुनुवित्तजा. अतः "तुनुवित्तजा
 च. तुनुवित्तजा. तुनुवित्तजे सेवे" तो अभीष्टतम है ही फिर भी क्यों अभीष्ट
 नहीं माना है? अतः "स्वप्रतिपन्नोपाधो त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगिता" रूप मिथ्यात्व
 विमर्शाभिमत निरूपणका सिद्ध होता है!

इसके अलावा भी एककर्तृका मानसीसाधिका तुनुवित्तजासेवा तथा
 मानसी-अबाधिका अनेककर्तृका तुनुवित्तजा सेवा — यों दो तरहकी तुनुवित्तजा
 तो स्वयं विमर्शकार डिंडिमघोषसे कह रहे हैं. फिर भय, ऐसा लगता है कि,
 केवल त्रैविध्यप्रतिज्ञाहानिकों ही होना चाहिये! तो परम्पराधीत ग्रन्थोंके पुनरुच्चारणद्वारा
 आगामी संस्करणोंमें त्रैविध्यकी जगह "याज्ञ ह्यनतस्य सेवा: ह्यनन्ता:" पक्ष प्रस्तावित
 कर देना चाहिये! हानि क्या है; वैसी भी अध्ययनपरम्परा स्तोत्रादिनिर्माणद्वारा
 भी प्रचारित तो हो ही जायेगी!

इसी तरह प्रभुचरणकृतविवृतिके "एतादृश्यौ ते तत्साधिके न इति अभिप्रायज्ञापक
 समस्तं पदम्" अंशकी श्रीवल्लभजी तथा श्रीब्रजनाथजी की टिप्पणीके आशयोंके
 साथ विमर्शकारने जो बाललीला प्रदर्शित की है उसका ही आनंद लेने लायक
 है :

"एतादृश्यौ ते तत्साधिके नेत्यभिप्रायज्ञापक समस्तं पदम्" इस श्रीप्रभुचरणोंके
 वाक्यमें 'तत्साधिके' यह पद आया है उसका अर्थ 'फलरूपसेवासाधिके' किया
 है और आगे स्पष्टीकरण किया है कि "तथा चैककर्तृशब्द ते तत्साधिके इति
 फलितार्थः." "एककर्तृके एव ते तत्साधिके" इस वाक्यमें 'ते' शब्दसे मानसीसाधन
 तुनुजा वित्तजा सेवाएं ग्राह्य हैं. 'तुनुवित्तजा' इस समस्तपदसे दोनों (तुनुजा और
 वित्तजा) सेवाएं एककर्तृके होनी चाहिये, अर्थात् तुनुजा और वित्तजा सेवाओंको
 करनेवाला एक हो — यह सूचित किया गया है. ऐसी स्थितिमें "एतादृश्यौ
 ते तत्साधिके न" इस वाक्यमें 'ते' शब्दसे वे ही सेवाएं ली जायेगी जो मानसीसाधिका
 न होती हों. अब जो व्यक्ति अपने शरीरसे भावसेवा करता है और अपने
 धनका भी भगवत्सेवामें विनियोग (वैसे आधुनिक श्रीवल्लभवंशज तो प्रायः करते
 नहीं; उन्हें तो दर्शनार्थिओंके ही वित्तसे भागवत्सेवा करनी सुहाती है : ग. श्या. म.)
 करता है उसने सेवाक्रम विस्तृत होनेसे नीकर-चाकरोंको रखा और उन्हें मजूरी
 देकर उनसे सेवा कराई. वहांपर मजूरी देकर करायी गयी सेवा मजूरी देनेवालेकी

* भूे पास इसकी रसादि सुलकी मोटी हवेलीकी तथा वहां सुंवरके यद्वाधुभवन मंदिरकी क्रमशः
 स्वीकृतियोग्यमोल्लेखरहित नं. ३११८ तथा स्वीकृतियोग्यमोल्लेखरहित नं. २४४० हैं. वैसे समापनमें केलेअं
 स्वीकृत किया है कि श्रीबालकृष्णलालजीके मंगलभोगके लिये यह पक्ष स्वीकार्य है.

वित्तजा है वह मानसीसाधन वित्तजाके अन्तर्गत हो सकती है. उसे मानसीसाधन
 वित्तजाके बहिर्भूत करनेमें कोई प्रमाण नहीं है. तो वह सेवा भी "एतादृश्यौ
 ते" इन दो सेवाओंमेंसे प्रथमसेवामें आ जाती है. अर्थात् "वित्तं दत्त्वा अन्येन
 पुरुषेण कृत्वा कारितैका" कहकर आयी उसमें मानसीसाधकता नहीं यह कहना
 बाधित है. तब श्रीप्रभुचरणोंमें किस आशयसे "एतादृश्यौ ते तत्साधिके न"
 कहा यह प्रश्न उठता है. उसका उत्तर यह है कि 'ते'पदका अर्थ 'तुनुजे'
 कर उसे 'एतादृश्यौ' और 'तत्साधिके' इन दोनोंमें अन्वित करनेसे समाधान
 हो जाता है...तदनुसार निष्कर्ष निकला कि खरीदी हुई तुनुजा और बेची हुई
 तुनुजा मानसीसेवासाधन तुनुजा नहीं इस अभिप्रायका ज्ञापक "तुनुवित्तजा" यह
 समस्त पद है." (विमर्श पृष्ठ : १२१-१२२).

यहां सर्वप्रथम तो यह विचारणीय है कि "उक्तसेवासाधने इतरे इत्याहुः
 तदिति" अंशकी कुविमर्शसंशोधित टिप्पणीके अनुसार भी शुद्ध पाठ होगा
 "इतरे = तुनुजवित्तजे इति आहुः तत् (सिद्धये तुनुवित्तजा) इति." अतः प्रक्रान्त
 सेवा तुनुजा वित्तजा गयीं. उन वित्तजा और तुनुजाके अन्तर्गत किसी दूसरे पुरुषको
 वित्त देकर करायी हुई सेवा, सेवाका एक प्रकार है, जिसे श्रीवल्लभजी-श्रीब्रजनाथजी
 एक स्वरमें 'वित्तजा' कह रहे हैं. इसी तरह दूसरे किसीसे वित्त लेकर की
 गयी सेवा, सेवाका अपर प्रकार है, जिसे श्रीवल्लभजी-श्रीब्रजनाथजी एक स्वस्ते
 'तुनुजा' कह रहे हैं. इस तरह पूर्वप्रक्रान्त तुनुजा और वित्तजा को उद्देश्य
 बनाकर उनके मानसीकी असाधिका होनेका विधान "एतादृश्यौ ते तत्साधिके
 न" द्वारा हो रहा है. इसका प्रमाण श्रीवल्लभजी-श्रीब्रजनाथजी दोनोंके द्वारा समानतया
 प्रदत्त निष्कर्षनीकृतक वचन है "तथा च एककर्तृके एव ते तत्साधिके." बावजूद
 इसके पूर्वप्रक्रान्त तुनुजा एवं वित्तजा मेंसे वित्तैकचित होकर वित्तजाको अनिषिद्ध
 बनाना हो तो समानन्यासे तुनुजाको भी अनिषिद्ध मानना पड़ेगा. क्योंकि सेवाके
 विस्तृत प्रकारके निर्वहार्थ मुखिया भीतरिया बालभोगिया दूधपरिया जलपडिया
 कीर्तनिया पखावजिया हाफोनिया झापटिया फूलपरिया पानपरिया समाधानी भैरविया
 की बटालियनको मजूरी महाराजोंको देनी पडती है. इसी तरह दर्शनार्थिओंको
 भी अपने गाममें पू.पा. (देवलक) महाप्राज्ञजीको भावसेवायें समुखभेट मनोत्पथेट
 महेशाखानामें भेट-सामग्री आदि अनेक रूपोंमें वित्त देना ही पडता है. जैसे
 मुखियाओंसे तुनुजासेवा करवानेको महाराजोंद्वारा की गई वित्तजा सेवा दोषावह
 नहीं, ऐसे ही पू.पा. महाप्राज्ञजीओंसे तुनुजासेवा करवानेको बनियाओंद्वारा की गई
 वित्तजासेवा भी दोषावह तो नहीं है. फिर जैसे मुखिया आदि सेवाका विक्रय
 नहीं करते क्योंकि वे वेतनमुद्धिसे वित्त नहीं ले रहे हैं, किन्तु सेव्यसुगार्थ
 ही, वैसे ही वैष्णव बनिया भी (देवलक) गुरुमुद्धिसे ही देते हैं तथा पू.पा. गुरु

भी उसे छलकपटके बिना केवल स्वसेव्यप्रसुप्तोषजनबुद्ध्या ही लेते हैं. ऐसी स्थितिमें यह क्यों नहीं कहा जाता कि वेतनबुद्ध्या प्रदत्त वित्तप्रदाताकी वित्तजा तथा वेतनबुद्ध्या ग्रहीत वित्तग्रहीताकी तनुजा — यों वित्तजा और तनुजा दोनों ही सेवाओंका यहां निषेध हो रहा है. एतावता श्रीगुणोत्तमजीके साथ श्रीवल्लभजी-श्रीब्रजनाथजीकी एकवाक्यता भी सिद्ध हो जायेगी. फिर व्यर्थ ऐसे द्राविडप्राणायामके कुविमर्शकी आवश्यकता क्या है? जहांतक श्रीवल्लभजी-श्रीब्रजनाथजीद्वारा प्रदत्त फलितार्थ कि "एककर्तृक एव ते फलरूपमानससेवासधिके" की ही उपपत्ति विमर्शकाले पृष्ठ १२२-१२३ पर दे ही दी है कि छलकपटरहित होकर सेवा करना ही अपना मुख्य सिद्धान्त है. अन्यथा इतने वैभवविस्तारसे सेवा हो ही नहीं पायेगी!

यदि वेतनत्वबुद्धिसे वेतनदान या वेतनग्रहण दोषावह है और स्वयं वेतनदानग्रहण नहीं; तब तो मद्यबुद्ध्या मद्यदान दोषावह होगा, "सर्वं खलु इदं ब्रह्म" श्रुत्युक्त ब्रह्मबुद्ध्या नहीं. सगोत्रकन्योद्धार ही सगोत्रबुद्ध्या दोषावह होगा, कन्यबुद्ध्या नहीं. इसी तरह अन्याश्रय भी कृष्णोत्तर देवोमें द्वैतबुद्ध्या ही अन्याश्रय होगा, शुद्धद्वैतबुद्ध्या नहीं. तब इतरसंप्रदाय भी द्वैतबुद्ध्या ही अंगुसरणीय होंगे, सर्वबुद्धिप्रेरककृष्णप्रेरित धर्मबुद्ध्या नहीं. और तब तो — "आनन्दमात्रकपादमुखोदरादि सर्वत्र च त्रिविधभेदविवर्जितात्मा" की अनुभूति हो ही जायेगी!

प्रतीत होता है कि ८४ तथा २५२ वैष्णवोंमें जो अकिंचन होनेपर भी तनुवित्तजा कर रहे थे उनमें अपने सेव्यको सन्तुष्ट करनेकी छलकपटरहित भावना ही नहीं थी! अन्यथा वे भी इस तरह व्यावसायिक मंदिर स्वसेव्यसन्तोषार्थ चलाकर उनमें दर्शनार्थी जनताके द्रव्यसे मुष्टिया-भितरियाओंकी फीज रखकर स्वसेव्यसन्तोषजनिका वैभवपूर्ण सेवा क्यों नहीं करते! विमर्शकारोक्त सारेके सारे स्पष्टीकरणद्वारा कि शिष्टाचारप्राप्त महद्विनिम्य भक्तिप्रकार तो उसे भी कहा ही जा सकता! इससे सिद्ध होता है कि ८४-२५२के अन्तर्गत जितने भी निरकिंचन भावदीय तनुवित्तजा सेवा कलेवाले थे वे उत्तमाधिकारी नहीं रहे होंगे!! कमसे कम श्रीवल्लभवंशज आधुनिक पू.पा.गोस्वामिओंकी तुलनामें तो अवश्य ही हीनाधिकारी पुष्टिजीव होंगे!!!

इसके बाद श्रीलालुभट्टजीने, यद्यपि, "भक्तिरस्य भजनं तदिहागुणोपाधिभैरवस्येन मनःकल्पनम्" — "अहेतुकव्यव्यवहृता या भक्तिः पुरुषोत्तमे" — "गृहशुश्रूषणं मह्यं दासवद् यद् अमायया" — "सर्वलाभोपहरणम्" वचनोक्त सन्दर्भमें शब्दतः तनुजा एवं वित्तजा सेवाओंका पृथक्-पृथक् निरूपण किया है, परन्तु "एककर्तृका (तनुजा+वित्तजा) = तनुवित्तजा" सूत्रको इद्वत रखकर ही किया है. यह उनके आगामी अंशगत "ततः" = तनुवित्तजसेवातएव" व्याख्यानसे सुस्पष्ट है.

श्रीद्वारकेशजीकी व्याख्या या तो विमर्शकारने देखी ही नहीं है या देखकर भी अनजान बने रहना चाहते हैं. अन्यथा विमर्शकारके पक्षका इससे अधिक सक्षम प्रत्याख्यान तो श्रीगुणोत्तमजीकी टीकाके आधारपर भी शक्य नहीं है. यहां उल्लेखनीय है "द्वन्द्वान्ते श्रृयमाणं पदं प्रत्येकमभिमानध्वयते" इस व्याकरणनियमका 'तनुवित्तजा'पदके व्याख्यानार्थ प्रयोग कतेवाले मूलतः श्रीद्वारकेशजी हैं.

श्रीद्वारकेशजीके अनुसार चित्तकी भगवत्प्रवणतासिद्धिके लिये तनुवित्तजा ही करणीय है. वे कहते हैं :

"टीकायां समस्तपदमिति 'तनुवित्तजा' इति समस्तम्. तनुश्च वित्तं च 'तनुवित्ते' तथायां 'जा'ता = कृता स्वतः प्रादुर्भूता वा = 'तनुवित्तजा'. द्वन्द्वान्ते श्रृयमाणत्वात् तनुजा वित्तजा च."

इससे सर्वथा कतलात्मलकवत् स्पष्ट हो जाता है कि श्रीद्वारकेशजी तनुवित्तजा सेवाके स्वरूपगत ऐश्वर्यको खण्डित करनेको तनुजा और वित्तजा का द्वन्द्वान नहीं सुना रहे हैं, जैसा कि विमर्शकारने कुविमर्शपूर्वक करना चाहा है. अगिणु 'तनुवित्तजा'में 'जा' द्वन्द्वान्तमें श्रुत होनेके कारण तनुजा और वित्तजा का तनुवित्तजाके साथ अन्वाचय कर रहे हैं, 'भिक्षाम्' इदं गां च आनय"न्यायसे. विमर्शकारने जबकि स्वार्थमूलक अनवधानवशा इस अन्वाचयार्थ प्रस्तुत गौण तनुजा और वित्तजा के कल्पसे प्रधान तनुवित्तजाकी प्रधानताको खतम करनेकी अभक्तिमयी अज्ञानमयी तथा क्षुद्रस्वार्थैकपरायणा अपनी मनोवृत्ति उजागर कर दी है! न केवल इतना अपि तु श्रीद्वारकेशजी जहां मानसीसेवाकी सिद्धिके लिये प्रधान तनुवित्तजा तथा तदनुषंगिक तनुजा और वित्तजा को मानसी सेवाके अवान्तर्फल ब्रह्मनाथकी तथा संसारनिवृत्तिकी सिद्धिदायिनीके रूपमें ही प्रस्तावित करना चाहते हैं. इसका आगे खुलासा करेंगे. बिचारे श्रीद्वारकेशजीको इसकी लेशमात्र कल्पना भी नहीं होगी कि उनके इस "व्याख्याविन्यासवैचित्र्य"के कारण आगामी पुष्टिभागियोंमें ऐसी कुमति प्रकट हो जायेगी कि अंगनुष्ठानार्थ प्रधान अंगीके विलोपनकारि विमर्शकारसदृश पक्षधर (मित्र) प्रकट हो जायेंगे!

इसके बाद श्रीगुणोत्तमजीकी व्याख्याका गुजरतीमें अनुवाद तथा सारांश देनेवाले श्रीविठ्ठलरायजी तथा श्रीनरसिंहलालजी यहां क्या कहना चाहते हैं वह भी देख लेना चाहिये. श्रीवल्लभजी तथा श्रीब्रजनाथजीकी टिप्पणी में हम देख चुके हैं कि "एककर्तृक तनुजावित्तजे सेवे" = "तनुवित्तजा" और "तनुवित्तजा" = "एककर्तृक सेवे" मान्य समीकरण है. तदनुसार एककर्तृक तनुवित्तजसेवाइय अथवा एक तनुवित्तजा सेवा ही मानसीरूप परमफलकी साधिका होती है इस अंशमें किसी भी संस्कृतभाषामें व्याख्या लिखनेवालोंको मतभेद नहीं है. वेदो ही यथाचि व्याख्यानशैलीका भेद इन गुर्जाभाषामें तथा ब्रजभाषामें व्याख्यानकर्ताओंका भी

स्पष्ट दिखलाई देता है. व्याख्येय अनुष्ठानके प्रकारमें तो मतभेदका कोई प्रश्न ही नहीं उठता है. तदनुसार सर्वप्रथम श्रीविठ्ठलरायजीने यद्यपि "चित्त भगवानामं प्रवण थवुं तैनुं नाम सेवा. ते धवासार तनुजा अने वित्तजा करवी." कहकर "तेथी साध्यरूपी मानसीनो सार कहीने साधनरूपी सेवानी बात करे छे. एम श्रीगुरुसाईंकी जाणीने आगला पदतुं वर्णन करे छे के कहेली जे मानसी सेवा तेना साधनो बे बीजा छे. वळी मूलामां श्रीआचार्यजीए आज्ञा करी छे के चित्तनुं प्रवण थवुं ते मानसी अने मानसी सिद्ध धवासार तनुजा अने वित्तजा छे." यहाँ तनुजा एवं वित्तजा का पार्थक्य काष्ठतः निरूपित किया है परन्तु यह पार्थक्य व्याख्यानापेक्षिक है या अनुष्ठानोपेक्षिक इसका खुलासा उनके आगे अनुवादसे हो जाता है : "ए कहेली रीते कराय छे जे साधन तेनुजा वित्तजा; अने ए परिपाकदशामां स्नेहथी कर्या करे त्यारे ए साधन छे — ते जो रोजगार*पणाय पैसो आपीने करववे ते चित्तने खोजुण पेदा करीने आपणा चित्तने भगवानामां प्रवणपणुं करती नथी. त्यारे जो पैसो आपनारने सेवा थई तेणे रजोगुण पेदा करीने तोए करीने तखवणरूपी फल न थाय. तेमज पैसो रोजगारपणाथी (विमर्शकाराभिमत केवल वेतनत्वेन नहीं अपितु वृत्त्यर्थः भी) लईने शरीरथी सेवा करे तो जेम ऋत्विजो एटले होम करना ब्राह्मणो करे तेने यज्ञतुं फल मळे नहीं. तेम ए रोजगार लईने सेवा करनारने तखवणरूपी फल न थाय. वादी शंका करे छे के जेम ऋत्विजो पैसो लईने होम करे छे ते होम करनारने फले छे तेम आई पैसो आपनारने फलशो! एवी शंका न करवी केमके त्यांहा ऋत्विजोने दान (भूतकको वेतनत्वेन नहीं अपितु अभूतक ऋत्विजोंको शाखाविहित कर्मदक्षिणारूप एक हितलक्षण दानप्रकारत्वेन) आपतुं अने वरण करवुं, एम भक्तिमार्गमां भावाने नथी कहुं तेथी न करवुं. भक्तिमार्गमां तो जेम भगवाने रीत कही छे तेम करवी. त्यारे ज साधनरूपी तनुजा वित्तजा पोते फलने पेदा करती पोते फलरूप थई जाय. हवे श्रीपुरोत्तमजीए जेनी टीका करी ते श्रीगुरुसाईंजीना वाक्य छे जे पैसा आपीने सेवा करववी ते एक अने पैसो लईने सेवा करवी ते बीजा ए बे सेवा ते मानसीसेवा सिद्ध करती नथी (अर्थात् क्रीत-विक्रीत यों दो तनुजा नहीं प्रसुत तनुजा और वित्तजा) ए बतवासालार समासवाळुं पद छे. एणे करीने निउपाधीनी रीते पोतातुं सर्वस्व भगवानामां निवेदन करीने पोतानो देह पण भगवानामां लगाडवो. एम करवाथी एना मनमां एम आवे जे हवे म्हारुं कोण छे? म्हार भगवान छे अने एम थाय जे आ देह अने पैसो (अर्थात् तनु और वित्त ही तत्साधन हैं; तनुजा-वित्तजा नहीं. :गो.श्या.म.)

* (केवल 'वेतनत्वेन' ही नहीं अपितु प्रत्येक 'रोजगार' = गुणवत्तामेत करवाने धंधे, नोकरी के उद्यम : गुणवत्ताविधायीरूपाकृतित जोडणीकोश) .

भगवानामां लगाडवो. ते ज्यारे थाय त्यारे एने प्रेम थयो तेथी मानसी सिद्ध थाय." (संवत् १९४८में उ.देवालमूलजीद्वारा बोम्बे सीटीप्रेसमें मुद्रित कराकर प्रकाशित की गई प्रतिमें पृष्ठ: १९, २२ तथा २३-२५).

बडौने मानसीसेवारूप फलकी सिद्धिमें निजतन-निजधनका केवल कारणसामग्रीयटक होना ही नहीं निरूपित किया है परन्तु वृत्त्यर्थ भागवत्सेवन उपधर्म है यह भी निरूपित किया है. कमसे कम सौ वर्षोंई हुए श्रीविठ्ठलरायजीको तो परम्पराप्राप्त अध्ययनकी दुहाई देनेवाले विमर्शकारकी तरह इस विषयमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं है. अताएव वे कहते हैं : "कथा विगिरे करतो होय ते लाभसार अने म्होटाई (पीठाधीशत्व) करतो होय ते उपधर्म छे...उपधर्म ते पाखंड त्यारे उपधर्मधी देवलकपणा विगिरे दोष पेदा थाय." (पृ.८५-८६).

इसी तरह श्रीनरसिंहलालजी भी कहते हैं— "श्रीकृष्णमें चित्त प्रथम कष्टक लाभ होय, पीछे श्रीकृष्णके अधीन होय और ता पीछे श्रीकृष्णमें एकतानसकृत् प्राप्त होय सो सेवा कही है. ऐसी सेवा सिद्ध होयवेके लिये तनुवित्तजा सेवा है. अर्थात् श्रीकृष्णमें चित्तकी एकतानता होयवेके तनुजा (शरीरसुं) तथा वित्तजा (धनसुं) सेवा है. यहाँ तनुजा तथा वित्तजा ऐसे भिन्न-भिन्न पद नहीं कहते तनुवित्तजा ऐसे समस्तपद कह्यो है ताको अभिप्राय ऐसो है जो अन्यकूं मूल्य ('वेतनत्वेन' अथवा केवल वेतनबुद्ध्या ही नहीं :गो.श्या.म.)रूप धन देके सेवा करववे सो वित्तजा सेवा भई; परन्तु ताकरिके राजस आय जाय तासूं मानसीसेवा सिद्ध न होय और मूल्य (वेतनबुद्ध्या ही केवल नहीं अपितु जैसे मनोरथके निर्धारित मूल्य लेकर पतनान-फूलमंडली-छपनभोगके नाटक किये जा रहे हैं :गो.श्या.म.)रूप धन लेके शरीरसुं सेवा करे सो तनुजा सेवा भई. परन्तु सोहू मानसीसेवाकूं सिद्ध नहीं करे हैं. जैसे यज्ञमें जितने ब्राह्मणको वरण होय तिनको यज्ञको फल नहीं होय है तैसे ही मूल्य लेके सेवा करे तनुजासेवाको फल (मानसी) सिद्ध न होय. तासूं भावानामें निकाम (अर्थात् वृत्त्यर्थ नहीं तथा पीठाधीशपदप्राप्त्यर्थ नहीं :गो.श्या.म.) स्नेह होय और शरीरसुं तथा धनसुं संग ही जो सेवा करे तासूं मानसी सिद्ध होय." (पृ.१३३-३४). पुरिषार्गीय सिद्धान्तोंके तथाकथित परम्पराधीत तत्त्वोंके कुविमर्शमें जैसे विमर्शकारका कहना है उससे सर्वथा विपरीत श्रीनरसिंहलालजी महाराज भी कहते हैं— "लौकिक अर्थ इच्छा रखिकें जो भगवद्भजनमें प्रवृत्त होय सो सर्वथा क्लेश पावे हैं. इतने कछु लाभके लिये पूजादिकमें प्रवृत्त होय सो तो पाखंडी और देवलक कह्यो जाय है." (पृ. ४४-४५). इन दोनों अंशोंकी एकाव्यक्तता साधक देखनेपर तनुवित्तजा जैसे मानसीकी साधका वैसे ही तनुजा, अर्थात् असाध्य धूसरका चित्त लेकर अपने देहसे की जाती सेवा, मानसीकी केवल सेवाका ही नहीं अपितु पाखंडकी भी नवीवृत्ति

तथा शास्त्रतः निन्दित देवलकत्ववृत्ति भी है यह सौ वर्ष पूर्वतक तो पुष्टिमार्गकी विद्वत्परम्परामें मान्य था — इतना निश्चित है. इसके बाद ८वां अंश हमें देखना है.

(८) 'ततः संसारदुःखस्य निवृत्तिर्ब्रह्मबोधनम्' : इस अंशपर श्रीकल्याणरायजीने एक महत्वपूर्ण बात यह कही है कि तनुवित्तजा सेवाके कारण सेवाकत्वकि अहंताममतात्मक संसारसंबंधी दुःखकी निवृत्ति होती है अर्थात् भगवद्भजनोपयोगी अहंताममतात्मक संसार तो उपादेय ही होता है.

श्रीपुरषोत्तमजीने आधुनिक पुष्टिमार्गीअंके लिये सर्वदा अवघेय बात यह कही है कि ब्रजभक्तों जैसा अधिकार न होनेपर भी मार्गप्रवर्तकाचार्यचरणोत्पत्त प्रकासे (अर्थात् तनुजा-वित्तजा भिन्नकर्तृक भी हो सकती है ऐसा स्वार्थवश मनघडंत अर्थ निकालकर नहीं.) अर्थात् सनुपदिष्ट प्रकारसे शास्त्रार्थको समझकर आचरणोंमें उतारना चाहिये. (स्वार्थी असज्जनोंके अपने उदरभरणार्थ निकाले गये मनघडंत अर्थको सुनकर नहीं.) अतः न केवल बाह्य तनुवित्तजा अगितु आभ्यन्तरी मानसी सेवा भी यथोक्त रूपोंमें संपन्न होनेपर ही फलसाधिका होती है.

श्रीवल्लभजीका कहना है कि सेवाके ऐसे स्वरूपके निरूपणद्वारा यह सिद्ध होता है कि किसी भी फलकी आकांक्षा रखे बिना अपने (नहीं कि दर्शनार्थी जनताके) यच्च यावत् द्रव्यादिका निवेदन करके कार्यान्तरमें अपने देहको विनियुक्त किये बिना जब भगवदर्थ विनियोग हम कर पाते हैं, तब क्रमशः प्रेम प्रकट होता है; और बादमें मानसी सेवा हो पाती है. अतएव श्रीप्रयुष्टरणके "एतादृशस्य अवात्तरं फलं भवति इति आहः तत इति" अंशकी व्याख्यामें "निवेदितस्वीयसर्वस्वस्य भगवद्विनिवृत्तदेहस्य पुत्रस्य ततः इति साधनरूपसेवाद्यतः" जो कहते हैं, यहां भी क्योंकि एककर्तृक भगवदपेक्षित यावद्द्रव्यसमर्पणरूपा सेवा तथा शरीरभगवद्वास्तवसेवा का संपूर्ण निर्दिष्ट है, अतः भगवदपेक्षित द्रव्य न होनेपर या वैसी शारीरिक सामर्थ्य न होनेपर निभ नहीं पायेगी, इस आशंकाके समाधानार्थ यह पंक्ति है — ऐसा भी निरूपित करते हैं, तनुवित्तजाको केवल निरुपाधितया करनेके उपदेशार्थ नहीं जैसा कि विमर्शकारद्वारा अभिप्राय प्रस्तावित किया गया है.

यही बात श्रीब्रजनाथजी भी कहते हैं. अन्तर केवल इतना ही है कि उनके अनुसार क्योंकि एककर्तृका ही सेवा मानसीकी साधिका होती है अतः भगवत्सेवार्थ अपेक्षित यावद्द्रव्यसमर्पणार्थ तथा भगवत्सेवार्थ अपेक्षित यावत्तनुव्यापारार्थ किसीके असमर्थ होनेपर यह अशक्योपदेश हो जायेगा परन्तु यह उपदेश अशक्योपदेश नहीं है, क्योंकि सेवाको तनुवित्तजा कहा गया है अतः किसी भी फलकी आकांक्षा रखे बिना जितनी स्वयंकी वित्तसामर्थ्य हो — जितनी स्वयंकी तनुसामर्थ्य हो तनुनुसार सेवा करनेपर यह मानसीकी साधिका बनती है. अतएव 'एतादृश' पदकी व्याख्यामें 'निवेदितस्वीयसर्वस्व' तथा 'भगवत्सेवाविनियुक्त' पर भार दिया गया होनेसे

अग्रिमांश "ततः" की व्याख्याके रूपमें जो साधनसेवाद्वय कहा है वहां भी एककर्तृक सेवाद्वय ही विवक्षित है — यह सभी निष्काम भक्तिमार्गीयोको समझनेमें तकलीफ नहीं होगी. सकाम तो देवलकत्ववृत्तिका समर्थन करनेमें भी लज्जा अनुभव नहीं करता तो अधिक क्या कहना ?

अतएव श्रीतालुभट्टजीने तो " 'ततः' = तनुवित्तजसेवातएव संसारदुःखस्य..." स्पष्टतया निरूपित किया है. श्रीद्वारकेशजीने यहीं श्रीवल्लभजी-श्रीब्रजनाथजीका इंगित पाकर अंगी तनुवित्तजास्वरूप अवच्छेदकेसे बाह्यसेवावृत्ति मानसीसेवासाधकत्वको अवच्छिन्न माना है. इसी तरह अंगभूत तनुजात्व-वित्तजात्व अवच्छेदकोसे ब्रह्मबोधनसाधकताको तथा संसारनिवृत्तिसाधकताको अवच्छिन्न माना है. हेतु अतीव मजेदार दिया है कि तनु पांचभौतिक होनेसे ब्रह्मात्मक है अतः ब्रह्मविनियुक्त होनेपर "गंगात्वं...तद्द्वयप्रति" न्यायसे ब्रह्मात्मक होकर वैसा बोध पैदा कर देता है. इसी तरह ममतास्पदीभूत वित्त व्यामोहिकामायाका कार्य होनेसे आसुरी होता है. अतः ब्रह्मविनियुक्त होते ही ममता निवृत्त हो जाती है. ये दोनों ही मानसीसेवाके लिये हैं फिर भी तनुजा कारकहेतु बनती है और वित्तजा ज्ञापक. अतः स्वीय वित्तका अविनियोग चित्तकी अभगवत्प्रवृत्तताकी ही ज्ञापक है.

(III) उपसंहार

वैसे तो ८ वर्षपूर्व श्रीवल्लभस्मृति(ग्रन्थमाला)में प्रकाशित "पुष्टिने शीतल छांयडे" में विमर्शाधिकारिचतुष्टयीमेंके एक श्रीबातुराजाने भी स्वीकारा ही था कि "प्रभुनी सान्निध्यमां जे द्रव्य अथवा चीजवस्तु भेट धरवामां आवे ते देवद्रव्य कहेबाव छे. कारणके ते प्रभुने उडैश्रीण ज भेट धरवामां आवतुं होय छे. आ रीते आवेतुं द्रव्य अथवा कोईपण वस्तु होय तेमां सीधुं देवलकत्व आवे छे. तेथी अग्राह्य छे...श्रीनी सन्मुख भेट धरयेतुं द्रव्य अमारी पेडीमां (महेताखानामां) जमा थतुं नथी. तेने स्पष्ट देवद्रव्य कही शकाय अने ते द्रव्यथी सिद्ध यती सामग्रीमां भगवत्प्रसादी थया पछी महाप्रसादपणुं तो आवे छे परन्तु तेनी साथे तेमां देवद्रव्यपणुं रहे ज छे. तेथी वैष्णवोए ए महाप्रसादने देवद्रव्य समज्जने ज व्यवहार करवो जोईए. ते महाप्रसाद लेवामां देवद्रव्यनो बाध तो रहेलो ज छे." (पृ. १८६-१८७). इसी तरह "आवी तद्व्यवस्था सेवासिद्धिमां तनुजा अने वित्तजा सेवना साहचर्यनी पण तेतली ज जरूर छे. तनुवित्तजाना योथी ज मुख्य जे मानसी सहाय..." (पृ. २१४) इन दोनों विधानोंकी भी एकवाक्यतां करनेपर स्वयं श्रीबातुराजाद्वारा श्रीवल्लभस्मृति(ग्रन्थमाला)में लिखे गये उस ग्रन्थ तथा षष्ठमीठाडीशपदलभार्थ प्रकाशित महाप्रभु श्रीयदुनाथ(स्मृतिवशा प्रकाशित)ग्रन्थप्रकाशनेके इस नवम 'विमर्श'ग्रन्थमें विभिन्न परम्पराएं दृष्टिगोचर हो रही हैं! यह वदतोव्याघात भी इस सन्दर्भमें कम उल्लेखनीय नहीं है.

ऐसी स्थितिमें सिद्ध हो जाता है कि 'निरुपधि' विशेषणका जो सोपाधिक उपयोग तदुचितजाके अनुष्ठानोपधिक स्वरूपक्यके खण्डनार्थ किया है वह देवलकीका केवल अविचारितरमणीय बुधकाशावलम्बन ही है. दूसरे शब्दोंमें प्राचीन ग्रन्थोंके अभिप्रायोंका स्वाथानुकूल्येन लुप्तन कलेका महासाहस है!

देवलकवृत्ति शास्त्रतः कहीं निन्दित तो कहीं अनिन्दित भी हो सकती है. जैसे सौत्रामणिसं सुराका विधान है, अन्यत्र सुराका स्पर्श भी निषिद्ध है. ऐसे है नियोगपद्धतिसे देवसे गर्भधारण करनेकी विधवाको छूट भी थी और कलिगुणमें निषेध भी. ऐसे गवालंभन भी कहीं-कभी विहित था तो कहीं-कभी निषिद्ध. इसी तरह पुष्टिभाग्यितर वैष्णव या शैव उपासनामें कभी कहीं देवलकताको दोष न माना हो एतावता पुष्टिभागिसं वह दोष नहीं — यह कहना उल्लिखित कण्ठोक्त निन्दाओंके रहते कितना बड़ा वाक्छल है! यह असन्मार्गसे वितोपार्जन करनेका कैसा अधमग्रह है? यदि पू.पा. गोस्वामी महाराजोंको उनके सेव्य भगवत्स्वरूपके निमित्त या उद्देश्य करके जो कुछ दर्शनार्थियोंके द्वारा भेट-सामग्री दी जाती हो उसपर दर्शनार्थी (में शिष्य नहीं लिखता क्योंकि दुकानोंकी तरह भक्तितके व्यापारार्थ चलनेवाले इन आधुनिक मंदिरोंमें शिष्य ही आते हैं इसकी कोई गैरुन्दी नहीं है : गो.श्या.म.) जनताद्वारा दिये जाते वित्तपर जनताका स्वत्व रखना या नहीं यह गुरुकी इच्छापर अधीन हो और ऐसे सारे सारे द्रव्यपर गुरुका पूर्ण स्वत्व हो जाता हो तो किशोरीबाईके टाकुराजोंके लिये दी गई सामग्रीपर किशोरीबाईका स्वत्व होना चाहिये था. यदि कहा जाये कि देवेवाला वैष्णव न तो किशोरीबाईके परित्यागका था और न उनका शिष्य तो क्या हुआ? एक वैष्णव दूसरे वैष्णवको कुछ उपहार नहीं दे सकता क्या? यदि नहीं तो पू.पा. महाराजोंकी मुखियादिकी फौजको सेवकी भी न दे पायेगा! इसका उत्तर अब खुलकर देना पड़ेगा. यदि एक वैष्णव दूसरेको उपहार दे सकता है परन्तु भगवदर्थ देनेसे वह देवद्रव्य बन जाता हो तो गोस्वामिओंके यहां भी वही व्यवस्था होनी चाहिये. या फिर आधुनिक गोस्वामी असन्मार्गवर्ती देवलक हैं — यह स्वीकारना चाहिये. और इस दोषको दूर करनेका प्रयत्न सर्वप्रथम मनसे, पश्चात् वाणीसे तथा अन्ततः कृति = आचरणसे भी करना ही चाहिये.

आजकल कुछ लोग कह रहे हैं कि अन्य भी ऐसे अनेक स्वखलन हैं उन्हें सुधारनेकी बात न करके क्यों मंदिरपर ही महमद गजनवीकी तरह हमला किया जा रहा है? उत्तर सीधा है, कि अन्य स्वखलन व्यक्तिगत है जिन्हें न तो वैष्णव धर्मबुद्धका देखते हैं और न पू.पा. महाराजश्री उन्हें खुलेआम धर्मबुद्धका अनुसरणीय घोषित करते हैं. अतः वह व्यक्तिगत समस्या है, साम्प्रदायिक नहीं.

अतएव मुझे भी इस परिच्छेदको समाप्त करनेसे पहले जहां-जहां वैयक्तिक सन्दर्भमें सिद्धान्तापसिद्धान्तका विशोधन करना पड़ा है, अर्थात् विमर्शकारके जैसी शुद्ध निर्वैयक्तिक भाषामें सिद्धान्त में लिख नहीं पाया हूँ, मुझे तो अपनी इस असाधमर्धका भी न केवल पूर्ण भान है अपितु कुछ अपराधबोध भी है. परन्तु क्योंकि साथ ही साथ मुझे यह भी अच्छी तरह अवगत है कि स्वयं विमर्शकारने भी अपने शुद्ध सिद्धान्तबोधके आधारपर प्रस्तुत ग्रन्थ प्रकट नहीं किया है, अपितु अर्थलोलुपावश तथा पदप्रतिष्ठाभोगवश ही यह अकाण्डताण्डव व्यवस्था है. अतः उस खीजमें मैंने भी यह प्रतिअकाण्डताण्डव कर दिया है! और इसके लिये हृदयसे क्षमायाचनाके अलावा मेरे पास अन्य कोई उपाय भी नहीं है. विमर्शकार मुझे क्षमा करके मेरी आपत्तिऑपर अपना कोई ठोस निराकरण प्रस्तुत करते हैं तो मैं उस क्रणसे कभी उक्रण नहीं हो पाउंगा. यदि क्षमा नहीं करते और मीन धारण कर लेते हैं; जैसे 'पुष्टिभाग्यी पीठाधीशः स्वरूप और कर्तव्य'के बारेमें धारण कर लिया था, तो भगवदिच्छा!

अन्तमें —

युक्तिभित्तिशिथिलाभिः समादधानो दृढान्दोषान्।

वत्त्वभ्रतयोपि विमर्शग्रन्थव्याजेन दूषणं वक्ति ॥

इस तरह गोस्वामिश्रीदीक्षितात्मज श्याममनोहरविरचित सेवा-देवद्रव्यादिविमर्श तथा सेवादेवद्रव्यादिसासंग्रह क्रोडपत्रसहितकी विशोधनिकामें प्रथम सिद्धान्तपुस्तकालोक्युक्त-सेवास्वरूपविषयकसिद्धान्तिरूपणार्थ सेवाप्रकरणनामक प्रथम प्रकरण यहां समाप्त होता है.*

॥ सकलावतारका श्रीहरिः प्रसन्नो भवतु ॥



*इसके बाद (२) शाश्वती सन्दर्भमें पुष्टिभाग्यसेवाार्थ आजीविकारूपविशोधनिका (३) वार्ताविमर्शविशोधनिका (४) द्रष्टव्यकरणविमर्शविशोधनिका (५) भावसंगोपनविमर्शविशोधनिका तथा (६) क्रोडाक्रीडनकक्रीडाविमर्श 'पुष्टिभाग्यी पीठाधीशः स्वरूप और कर्तव्य' अन्तर्गत स्मृति-सदाचारप्रकरणरूप परिशिष्टोपेतका प्रकाशन क्रमशः होगा.

परिशिष्ट

(१)

जो कटोरी (गिरवी) धरिके सामग्री आई सो तो भोग श्रीठाकुरजी आप ही के द्रव्यको आरोगे सो आप ही को भयो. जो श्रीठाकुरजीको द्रव्य खायगो सो मेरो नाहीं अरु मेरो सेवक भगवदीय होयगो सो देवद्रव्य कबहू न खायगो. जो खायगो सो महापतित होयगो. तातें वा प्रसादमेंते भोजन करिवेको अपनो अधिकार न हतो. वाके लिये गोअनकों खवायो अरु श्रीयमुनाजीमें पधरायो.

—पुष्टिसिद्धान्तप्राकट्यकारी महाप्रभु श्रीवल्लभ (धरुवार्ता ३).

(२)

वैष्णवे सेवा, भगवद्स्मरण, भगवद्धर्म इनमें पाखंड न करनो. ओर काहुके दिखायवेके अर्थ, पुजा अर्थ, उद्धारार्थे न करे. आपनो सहज धर्म जांने, जैसे ब्राह्मण गायत्री जपे. लाभ संतोषसुं सेवा करे...ओर विवेक बिना पुजा सेवा करे तो नकमें पड़े, ओर पाखंडीकी पूजा, सेवा प्रभु अंगीकार न करे...अपने सेव्यस्वरूपकी सेवा आपुही करनी. ओर उत्सवादि समय अनुसार अपने वित्त अनुसार वस्त्र, आभुषण, भातिभातिके मनोरथ करि सामग्री करनी...सो रीतिप्रमाण यथाशक्ति करनी. जो द्रव्य होय सो श्रीकृष्णके अर्थ लगावनो, कृपणता नाहीं करनी.

—पुष्टिसिद्धान्तपालनकारी श्रीवल्लभ गोकुलनाथजी (२४ वचनामृत : ६ तथा १०).

(३)

आ जीव पूर्णपुरुषोत्तममाथी प्रगट थयो होय तो एने पूर्णपुरुषोत्तम उपर स्नेह उपजे. माटे आ जीव जे करे छे ते स्नेह बिना करे छे. अने जे श्रीवल्लभकुछ छे ते पोताना सेव्यस्वरूप उपर केवो स्नेह राखे छे? के एक बाजु द्रव्यनो ढगलो करो, अने एक बाजु श्रीठाकोरजीने पधरावो, तो श्रीवल्लभकुल ए द्रव्य सामुं जोरो पण नहीं, अने श्रीठाकोरजीने अतिस्नेह करीने पधरावी लेरो. पण जे आ कळीना जीव छे तेने तो द्रव्य घपुं प्रिय छे. माटे ते तो श्रीठाकोरजी सामुं जोरो नहीं. अने केवल वैभव सामुं जोरो अने तत मोह पामरो. माटे जीवमां ने श्रीवल्लभकुलमां घणो फेर छे.

...जीव सेवा भजन कररो पण मन लौकिकमां राखरो तो तेथी

लोक रीझरो. पण प्रभु नहीं रीझे. माटे जो प्रभुने प्रसन्न करावा होय तो लौकिक कामना छोडीने सेवा करे तो प्रभु प्रसन्न थाय.

—(श्रीमद्भुजी महाराजकृत ३२ वचनामृत : ५, १८).

(४)

...श्रीठाकुरजी पधरायके सेवा करन लागी. सुत कांतीके निर्वाह चलावे. हरहमेश अढाई आने कमावे तासों निर्वाह आनंदसों चलावे. तब एक दिन एक वैष्णवने रुपीआ पांच देके कह्यो— आज श्रीठाकुरजीको आळी भांतसों आरोगावो. तब श्रीठाकुरजीके लिये बहोत प्रकारके व्यंजन किये, छेऊ रसको राजभोग धरे. पीछे श्रीको अनोसर कियो. तब श्रीठाकुरजी किशोरीबाईसों कहे— मोकुं भुख लागी है. तब किशोरीबाईने कह्यो—आज बहोत सामग्री आरोगी है, तब भुखे क्यों भये? तब श्रीठाकुरजी कहे— आज तैने पराई सत्ता धराई है, सो मैं नहि आरोग्यो. तातें वैष्णवको पराई वस्तु अंगीकार न करावनी.

—पुष्टिसिद्धान्तपोषणकारी श्रीवल्लभ (कामवनवाले) (६९ वचनामृत : ५३)

(५)

...तेवी ज रीते आपणे त्वां सन्मुखभेट थाय छे ते पण देवद्रव्य छे अने ते सामग्रीना काममां नथी आवती. श्रीगोकुलनाथजी अने श्रीचन्द्रमाजी ना घरमां हजी आ नियमुं पालन थाय छे. त्वां जे सन्मुखभेट थाय छे ते कीर्तनियो लई जाय छे. ए कीर्तनियो महावनियो होय छे. ते वल्लभकुलनो, यमुनाजीनो गोर होय छे. बीजो तेनुं अनुकरण करे ते खोटुं ... अमे श्रीनाथजी अगाडी जे सन्मुखभेट धरीए छीए ते श्रीमहाप्रभुजीनी पादुकाजीने धरीए छीए छतां ते अलंकारादिकमां वपराय छे, सामग्रीमां नहीं. सन्मुखभेट धरवामां घणो अनाचार थाय छे.

...श्रीठाकोरजी निमित्ते कांई मंगाया नहीं के कांई अपाय नहीं. ए रीते आवेल द्रव्य देवद्रव्य बने अने श्रीठाकोरजी ते अंगीकार करे नहीं एटले सामग्री महाप्रसाद थाय नहीं अने ते लेनारनी बुद्धि बगड्या वगर न रहे.

—श्रीरणछोडलालजी महाराज राजनगरवाळा (वचनामृत : ४८४, ४८७).

(६)

सेवा ए जाहेर कार्य के जाहेर प्रवृत्ति नथी परन्तु सेवा ए पोताना आंतरिक जीवन साथे संबंध धरावती होवाथी ते आपणा जीवननी आपणा

निजी घरमां धती स्वधर्मरूप प्रवृत्ति छे... पोताना माथे विराजता स्वरूपनी सेवा वगैरेनो पोताना अंगत धर्माचरण तरीके ते ते बालकोनो ज अधिकार अने कर्तव्य छे.

— अधुना पुष्टिसिद्धान्तविनाशार्थ विमर्शकारी श्रीवल्लभ (सुरतवाले)
(पुष्टिने शीतल छांयडे: भाग १ पृ. १५८).
(७)

प्रेमपद्धतिने अनुसार ग्राह्य थयेलां पुष्टिभक्तिनां आ साधनो 'तनुजा' 'वित्तजा' सेवारूपे प्रसिद्ध छे. "कृष्णसेवा सदा कार्या मानसी सा परा मता चेतस्तत्प्रवर्ण सेवा तत्सिद्धयै तनुवित्तजा" इत्यादि आचार्यवाक्यो अत्रे स्पष्ट छे. आ तनुजा वित्तजा चित्तनी प्रवणतावाळी मानसीना साधनरूपे कहैली छे. एथी शरीर अने द्रव्यना संबंधवाळां सर्वे साधनो आ अवस्थानी सेवामां ग्राह्य छे. यदि शरीर अने द्रव्यना संबंधवाळा एकपण साधनने जो सेवारूप भक्तिथी पृथक राखवामां आवे तो तेटला अंशथी आ साधनात्मक सेवा अपूर्ण रहे अने तेथी भगवान प्रति चित्तनी प्रवणतामां पण तेटली ज न्रुटि रहेवानी संभावना बनी रहे. एतदर्थ अत्रे तनुवित्तजावाळां साधनने जाणवां आवश्यक छे. तनुवित्तजामां तनुजानुं प्राधान्य छे, केमके द्रव्यादि शरीरथी ज प्राप्त थता होई ते वित्तजा तेना अंगरूपे ज ग्राह्य छे. अतः केवळ द्रव्यथी कराववामां आवती सेवा फलदायी थती नथी. तेमां शरीरनो संबंध पण अवश्य होवो ज जोईए.

— श्रीद्वारकादास परीख (पुष्टिमार्ग : पृ. ३०-३१).



स्वशिद्धांत

- (१) अपने मार्गमें भगवत्सेवा स्वगृहमें ही करनी चाहिये, सार्वजनिक मंदिरमें नहीं.
- (२) भगवत्सेवार्थ दूसरेको धन देनेसे अहंकार बढता है, भगवत्सेवा नहीं. भगवत्सेवार्थ दूसरेका धन स्वीकारनेपर वह सेवा भाङ्गती सेवा बन जाती है.
- (३) भगवत्सेवा स्वधर्म है, स्ववृत्ति या आजीविका नहीं.
- (४) अपने भावात्मक सेव्य प्रभुका सार्वजनिक प्रदर्शन करनेपर हृदय भावशून्य बन जाता है.
- (५) वृत्त्यर्थ या चंदा एकत्रित करने की जाती भगवत्कथा श्रीमद्भागवतका आनादर है.

